लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३८, १९६०/१८८१ (शक)

[८ से १९ फरवरी, १९६०/१९ से ३० माघ, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ३८ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३८—अंक १ से १०—८ से १९ फरवरी, १९६०/१९ से ३० माघ, १८८१ (शक)] पृष्ठ

अंक १—सोमवार ८ फरवरी १९६०/१९ माघ, १८८१(शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—९

संसदीय समितियां—कार्य सारांश . . . ९

दहेज निषेध विधेयक—

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ९–१०

श्री एम० सी० शाह का निधन . १०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १०—१२

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . १२

त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार विधयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १३

मनीपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . १३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना। १३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १४—१७

अंक २—मंगलवर, ९ फरवरी, १९६०/२० माघ १८८१(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १९ . १९—४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २० से ३१ . ४४—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २३ ४९—५९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ५९—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६२—६४

विषय	पृष्ठ
विशेषाधिकार का प्रश्न--	
लोक सभा की कार्यवाही से निकाले गये अंश का फ्री प्रैस जरनल, बम्बई द्वारा प्रकाशन	६४
भारत-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा सम्मेलन के बारे में वक्तव्य--	
भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य	६५–६६
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	६६–६७
जिनेवा अभिसमय विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	६७–८८
खंड २ से २० और १	८७
संशोधित रूप में पारित करने के लिये प्रस्ताव	८७--८८
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	८८--१०२
कार्य मंत्रणा समिति--	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	१०२
दैनिक संक्षेपिका	१०३--०७
अंक ३-- बुधवार, १० फरवरी, १९६०/२१ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२ से ४४	१०९--३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ४५ से ६४	१३४--४२
अतारांकित प्रश्न संख्या २४ से ५३	१४२--५७
औचित्य प्रश्न के बारे में	१५७–५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५८--६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
पचपनवां प्रतिवेदन	१६१
तारांकित प्रश्न संख्या ९२३ के उत्तर की शुद्धि	१६१
सदस्य के निलम्बन का समाप्त किया जाना	१६१--६५
दो विमान दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१६५
खम्भात में तेल के कुएं की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	१६६

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति--	
सतालीसवां प्रतिवेदन	१६७
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . .	१६७–२११
खण्ड २ से १२ तथा १ . .	२०४–११
पारित करने के लिये प्रस्ताव . . .	२११
निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२११–१८
सुपरकांस्टीलेशन विमानों को यात्री मालवाही विमानों में बदलने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२१८–२०
दैनिक संक्षेपिका	२२१–२७
अंक ४—गुरुवार, ११ फरवरी, १९६०/२२ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ६९, ७१ से ७५, ७८, ८० तथा ८१	२२९–५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७६, ७७, ७९ तथा ८२ से ८९ . .	२५१–५८
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से ७७ तथा ७९ से ८१ .	२५८–६८
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ के उत्तर में शुद्धि . .	२६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२६८–७०
राज्य सभा से सन्देश	२७१
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रख गये . .	२७१
(१) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६० ।	
(२) रुई परिवहन (संशोधन) विधेयक, १९६० ।	
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
एयर-इंडिया इन्टरनेशनल निगम के विमान चालकों द्वारा हड़ताल ..	२७१-७२
सदस्य द्वारा पद-त्याग . .	२७२
सभापति तालिका	२७२–७३
निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . .	२७३–९०

विषय	पृष्ठ
खंड २ से ६, ८ और ९, ७ और १ . . .	२८८–९०
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव . . .	२९०
दहेज निषेध विधेयक—	
राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	२९१––९७
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	२९७––३१२
दैनिक संक्षेपिका	३१३—१८
अंक ५–– शुक्रवार, १२ फरवरी, १९६०/२३ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९० से १०३ . .	३१९––४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४ से ११९ .	३४३––४९
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से १०८ . .	३४९––५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	३५९––६१
सभा का कार्य . .	३६१
विधि व्यवसायी विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना . .	३६१–६२
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	३६२––७८
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
पचपनवां प्रतिवेदन	३७९
शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के बारे में संकल्प . .	३७९––४००
भारत के राष्ट्र मंडल से अलग होने के बारे में संकल्प . .	४०२–०३
दैनिक संक्षेपिका	४०४—०८
अंक ६—सोमवार, १५ फरवरी, १९६०/२६ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२० से १२४, १२६ से १३०, १३३ और १३४ .	४०९––३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १२५, १३१, १३२ और १३५ से १४६ .	४३३—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९ से १६० . .	४४०—६४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव--	
१. केरल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति . . .	४६४—६८
२. मिज़ो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में भुखमरी से कथित मृत्यु . .	४६८—७०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७०—७१
राज्य सभा से संदेश	४७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें आय-व्ययक (सामान्य) १९५९–६० . .	४७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें आय-व्ययक (रेलवे) १९५९–६० .	४७१
खमरिया के आयुध कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य . .	४७१—७३
तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ के उत्तर की शुद्धि . .	४७३
भारत-पाक नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य . . .	४७३–७४
बाग़ान श्रमिक (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . . .	४७४
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	४७४–८३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	४८३—५१३
दैनिक संक्षेपिका	५१४—१८
अंक ७--मंगलवार, १६ फरवरी, १९६०/२७ माघ, १८८१ (शक) .	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या १४७ से १५४, १६० तथा १६३ से १६६ .	५१९—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५ से १५९, १६१, १६२ तथा १६७ से १७५ .	५४२—४९
अतारांकित प्रश्न संख्या १६१ से १८७ . . .	५४९—५९
स्थगन प्रस्ताव--	
चीन सम्बन्धी नीति में तथाकथित परिवर्तन . . .	५६०—६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५६२–६३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	५६३—९९
दैनिक संक्षेपिका	६०८—१३
अंक ८--बुधवार, १७ फरवरी, १९६०/२८ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७६ से १८७	६०५—२८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	६२८—३१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८८ से २१०	६३२—४३
अतारांकित प्रश्न संख्या १८८ से २३७ और २३९ से २४२ .	६४३—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २१८ के उत्तर में शुद्धि . .	६७१
स्थगन प्रस्ताव—	
सहारा में फ्रांसीसी परमाणु विस्फोट से उत्पन्न रेडियम-सक्रिय बादल के भारत पर से गुजरने की संभावना	६७२–७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६७४
पशु निर्दयता निवारण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया.	६७४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दमुआ कोयला खान में अचानक पानी भर जाना . .	६७४–७५
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के उत्तर की शुद्धि .	६७५–७६
रेलवे आय-व्ययक, १९६०–६१—उपस्थापित किया गया .	६७६—९८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	६९८—७२८
दैनिक संक्षेपिका	७२९—३३
अंक ९—गरुवार, १८ फरवरी, १९६०/२९ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१७ से २१९, २२१, २२२, २२४ से २२७ और २३० . .	७३५—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २२०, २२३, २२८, २२९ और २३१ से २३७	७५९—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या २४३ से २८१ . .	७६४—८१
सभा पटल पर रखा गया पत्र . .	७८१
राज्य सभा से संदेश	७८२–८३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	७८३—८२८
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के डा० जोज़ेफ द्वारा आत्म-हत्या के बारे में आध घंटे की चर्चा	८२८—३४
दैनिक संक्षेपिका . .	८३४—३८

पृष्ठ

अंक १०—शुक्रवार, १६ फरवरी, १६६०/३० माघ, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४०, २४२ से २४६, २४८ से २५०, २५२ और २५६ से २६२ . . . . ८३६—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४१, २४७, २५१, २५३ से २५५ और २६३ से २६६ ८६६—७१

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३०८ . . . ८७१—८८

स्थगन प्रस्ताव—

१. मुरादनगर स्थित दूध ठंडा करने की मशीन में कथित ख़राबी . ८८२—८५

२. भिलाई इस्पात कारखाने में श्रमिकों सम्बन्धी गड़बड़ . . ८८५—८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ८८७—८६

राज्य सभा से संदेश ८८६

कोल्हू से निकाले गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में याचिका . . ८८६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति— . . . . . ८८६—६१

सहारा में फ्रांस द्वारा परमाणु विस्फोट से उत्पन्न रेडियम सक्रिय बादल से भारत को संभावित ख़तरे के बारे में वक्तव्य . ८६१—६३

सभा का कार्य ८६४

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्य की नियुक्ति . . ८६४–६५

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८६५–६१६

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक–(धारा १४ का संशोधन)—श्री बाल्मीकी का—अस्वीकृत ६१६–१७

पिछड़ी जातियां (धार्मिक-संरक्षण) विधेयक—श्री प्रकाश वीर शास्त्री का— विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . ६१७—४७

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अजित राम, श्री (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याक्कण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरूमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ।

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनिश्वरदत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह, जी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

क–(क्रमशः)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली, (सम्बलपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री मं० र० (करीम नगर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिगलपट)

कृष्णया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोन––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारगंल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेडकर, श्री गोपाल राव, (अकोला)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फीरोज़ (रायबरेली)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री रामकृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, सेठ, (जबलपुर)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुघ (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)

गौंडर, श्री क० देरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (कैरा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, अनिल कु० (वीरभूम)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

चावन, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (विलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

द—(क्रमशः)

दासगुप्त, श्री विभति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देब, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

द्रोहड, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्पा, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)

नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)

नाथ पाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

न–(क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोज़ीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द्र)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

परागीलाल, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प–(क्रमशः)

पाण्डय, श्री सरजू (रसरा)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर–दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)

पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)

पुन्नस, श्री (अम्बल पुजा)

पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)

प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बदन सिंह, चौ० (बिसौली)

बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)

बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)

बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)

बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)

बसु मतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बांगझी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाकलीवाल, श्री मोहनलोल् (दुर्ग)

बाबूनार्थसिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब–(क्रमशः)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्ण, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर–दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोडा)
बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिदशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरंगि)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खान देश)
भार्गव, पंडित ठाकुरदास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा––रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालापाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

म–(क्रमशः)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (रांची––पूर्व)

मसुरिया, दीन, श्री (फूलपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)

महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)

माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)

माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)

मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मालविया, श्री केशव देव (बस्ती)

मालविया, श्री मोतीलाल (खजुराहो––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)

मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)

मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)

मिश्र, श्री विभूति (बगहा)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता––मध्य)

म–(क्रमशः)

मुत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वल्लोर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)

मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनूं)

मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)

मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)

मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर-उत्तर)

मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)

मेलकोटे, डा० (रायचूर)

मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)

मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)

मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)

मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)

मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)

मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)

मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कल्हैयालाल (अहमदाबाद)

यादव, श्री राम सेवक (बारांबांकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)

रंगाराव, श्री (करीम नगर)

रघुनाथसिंह जो, श्री (बाड़मेर)

रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)

रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)

रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)

रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)

र–(क्रमशः)

रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)

राउत, श्री भोला (चम्पारन––रक्षित––अनूजित जातियां)

राउत, श्री राजा राम बालकृष्ण (कोलाबा)

राजबहादुर, श्री (भरतपुर)

राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)

राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम्)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हज़ारीबाग)

राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामन्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौला, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)

राय, श्रीमती सहोदरा बाई (सागर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)

राव, श्री सिरुमल (काकिनाडा)

र–(क्रमशः)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंसुंगग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)

रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री नानी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाइकर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्बारन)

वर्मा, माणिक्य लाल (उदयपुर)

वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

वर्मा, श्री रामजी (देवरिया)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)

वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)

विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)

व–(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोला नाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)

वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)

वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)

वैरावन, श्री अ० (तंजोर)

बोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरप्पा, श्री मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवन चन्द (गुरुदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बारांबांकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)

शोभा राम, श्री (अलवर)

श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत्, श्री (नामक्कल)

सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)

सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)

साहू, श्री भगवत (वालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाज़ीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

स–(क्रमशः)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रताप (पालामऊ)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर—उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० (तिरुचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता–उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड)

सोमानी, श्री ग० घ० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)

स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

ह–(क्रमशः)

हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा,—श्री हूवर (स्वायत जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)

हुडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)

हुमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिवराम रंगो राने

श्री श्रीनारायण दास

श्री तंगामणि

श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री रघुबीर सहाय

श्री तिरुमल राव

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री ब्रजराज सिंह

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति,**

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री अशोक कुमार सेन

श्री शिवराम रंगो राने

डा० सुब्बरायन

श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल

श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह

श्री ना० वाडीवा

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री च० द० पांडे

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री मी० रू० मसानी

श्री विमल कुमार घोष

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री फतसिंह घोडासर

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्रीमती शकुन्तला देवी

श्री व० ना० स्वामी

श्री अय्याकण्णु

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री सु० हंसदा

श्री र० सिं० किलेदार

श्री रूंग सुंग सुइसा

श्री बी० ल० चांडक

श्री क० र० आचार

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री षनमुघ गौंडार

श्री वै० च० मलिक

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री इगनेस बेक

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—सभापति

डा० सुशीला नायर

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री न० रं० घोष

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्रीमती मफीदा अहमद

काजी मतीन

श्री नरेन्द्रभाई नथवानी

श्री राजेश्वर पटेल

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री शंकरपाण्डियन

श्री झूलन सिंह

श्री हेम बरूआ

श्री बासप्पा

श्री प्रताप केसरी देव

श्री द० अ० कट्टी

श्री भाऊ साहब रावसाहब महाशंकर

श्री मुत्तुकृष्णन्

श्री कुट्टिकृष्णन् नायर

श्री नागी रेड्डी

श्री बुतुकुरु रामी रेड्डी

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री दिनेश सिंह

सरदार इकबाल सिंह

श्री रघुनाथ सिंह

श्री तय्यपा हरि सोनावने

श्री सुन्दर लाल

श्री अ० मु० तारिक

श्री मं० गा० उइके

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अनिरुद्ध सिंह

श्री विश्वनाथ राय

श्री वासुदेवन नायर

श्री चि० र० बासप्पा

श्री सुब्बया अम्बलम्

श्रीमती इला पालचौधरी

श्री नवल प्रभाकर

श्री जसवंत राज मेहता

श्री मोती लाल मालवीय

श्री कमल सिंह

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

श्री रामजी वर्मा

श्री बी० दासगुप्त

श्री गणपति राम

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्रीमती उमा नेहरू

पंडित द्वारिका नाथ तिवारी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री अब्दुल सलाम

श्री जियालाल मंडल

श्री अं० वै० घारे

श्री प्रमथ नाथ बनर्जी

श्री पेन्देकान्ति वंकटासुब्बैया

श्री प्रताप सिंह दौलता

श्री छ० म० केदरिया

श्री शिवनंजप्पा

श्री रामचन्द्र माझी

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री नरेन्द्र भाई नथवानी

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री बीरबल सिंह

श्री झूलन सिंह

श्री यादव नारायण जाधव

श्री स० अ० अगाड़ी

डा० पशुपति मंडल

श्री सुन्दर लाल

श्री ईश्वर अय्यर

श्री बाला साहेब पाटिल

श्री थानूलिंगम् नांदर

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—सभापति

श्री मनायन

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामेश्वर साहू

श्री तो० संगण्णा

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री कोरटकर

श्री परूलकर

श्री नेसवी

श्री राधा रमण

श्री अरविन्द घोषाल

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर

श्री अमोलक चन्द

श्री टी० आर० देवगिरीकर

श्री एस० वेंकटरामन

श्री सुरेन्द्र मोहन घोष

श्री रोहित मनु शंकर दवे

श्री जसवन्त सिंह

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री क० स० रामस्वामी

श्री सिंहासन सिंह

श्री न० रं० घोष

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

श्री बहादुर सिंह

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय

श्री अरविन्द घोषाल

श्री मोहम्मद इमाम

डा० कृष्णस्वम्मी

श्री ले अचौ० सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री दासप्पा

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

श्री मूल चन्द दुबे

श्री सत्य नारयण सिंह

श्री श्रीपाद अमृत डांगे

आचार्य कृपलानी

श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक

श्री जयपाल सिंह

श्री ब्रजराज सिंह

श्री प्र० के० देव

श्री शिवराज

डा० कृष्णस्वामी

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या— सभापति

श्री स० चं० सामन्त

श्री दिग्विजय नारायण सिंह

श्री राजेश्वर पटेल

श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी

श्री मि० सू० मूर्ति

श्रीमती मैमूना सुलतान

श्रीमती सहोदरा बाई राय

श्री बैरो

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

श्री खुशवक्त राय

श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

श्री दीवान चन्द शर्मा

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री कन्हैया लाल खादीवाला

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री दुरायस्वामी गौण्डर

श्री नारायण गणेश गोरे

श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव

श्री कोडियान

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाधन्

श्री जसपत राय कपूर

डा० आर० पी० दुबे

श्री टीका राम पालीवाल

श्री रोहित एम० दवे

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री सत्यनारायण सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शिवराज

श्री राधेलाल व्यास

श्री तय्यापा हरि सोनावने

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्रीमती उमा नेहरू

श्री शंकरय्या

श्री पुरुषोतम दास पटेल

श्री अमजद अली

श्री मी० रू० मसानी

श्री त्र० ब० विट्ठल राव

लाभ पद सम्बन्धी समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्—सभापति

डा० मा० श्री अणे

श्री प्रेमजी आसर

डा० क० ब० मेनन

श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका

श्रीमती उमा नेहरू

श्री राधाचरण शर्मा

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

राज्य-सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार

श्री अमोलक चन्द

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा

भारत सरकार

मंत्री-मंडल के सदस्य

प्रधान-मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —श्री गोविन्द बल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यककार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री —श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मौ० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरामैया

असैनिक उड्डयन उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री जी० राजगोपालन

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित नारायण मिश्र

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव—श्री श्यामघर मिश्र

लोक-सभा

सोमवार, १५ फरवरी, १९६०

२६ माघ, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेल-मार्ग को क्षति

+

†*१२०. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अमजद अली :
श्री खुशवक्त राय :
श्रीमती मफ़ीदा अहमद :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पांगरकर :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने २३ दिसम्बर, १९५९ को प्रातः पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पंडू-तिनसुकिया क्षेत्र को मुख्य लाइन पर बोकाजन और नोग्राजन के बीच पटरियों को उड़ा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के कारण क्या थे ; और

(ग) कितनी रेलवे सम्पत्ति की हानि हुई ?

†मूल अंग्रेज़ी में

362 (Ai) LSD—1.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) २३–१२–५९ को लगभग ४ बजे प्रातः जब कि रेलवे पाइलट इंजन नं० ४०९५ वाई० जी० ६४ डाउन गाड़ी को तिनसुखिया से ला रहा था, बोकाजन और नोआजन स्टेशनों के बीच चंगुजन पुल पर पहुंचने वाला था कि तभी ड्राइवर ने जबकि इंजन पुल से लगभग दो पटरी पीछे था, बारूद भरे पठाखे के दगने की आवाज़ सुनी। इस विस्फोट के तत्काल पश्चात, इंजन पर तीन बार राइफल से गोली चलायी गई। इस गोली से इंजन का कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। एक गोली इंजन के ब्रैकेट के आधार पर लगी। जिस स्थायी मार्ग मिस्त्री ने घटनास्थल की जांच की उसने बताया है कि ४३१/४–५ मील पर लगभग १८ इंच तक पटरी उड़ा दी गई थी। चार जोड़े फिश प्लेट, सोलह फिश बोल्ट और पचास डाग स्पाइक्स गायब पाये गए थे। ८ डाउन को सारूपाथर में और ६४ डाउन को नोआजन में रोक लिया गया था। स्पष्टतः नागा विद्रोहियों का इरादा ८ डाउन डाकगाड़ी को पटरी से उतार देने का था।

(ग) स्थायी मार्ग को २०० रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : बढ़ते हुए नागा विद्रोह को ध्यान में रखते हुए सरकार भविष्य में रेल मार्ग को सुरक्षित रखने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार करती है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : कुछ आवश्यक कार्रवाई की गई है। असैनिक और सैनिक प्राधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया गया है। सबसे पहले हमने पाइलट इंजन भेजे थे; बाद को समय बदल दिया था। असैनिक और सैनिक प्राधिकारियों के सम्मेलन के बाद से स्थिति उन्होंने अपने हाथ में ले ली है।

†**श्रीमती मफ़ीदा अहमद** : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि गोली घोषित अशांत क्षेत्र में चलाई गई थी, सरकार ने उस क्षेत्र में रेलों के लिये सशस्त्र मार्गरक्षकों की व्यवस्था करना आवश्यक क्यों नहीं समझा था?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह सब अचानक हुआ था। इसीलिये बाद में हमने रेल-गाड़ियों के समय बदल दिये थे। अब चूंकि असैनिक और सैनिक प्राधिकारियों का सम्मेलन हुआ है, इसलिये स्थिति काबू में आ गई है।

†**श्री लीलाधर कटकी** : क्या सरकार हमें इस बात का आश्वासन दे सकती है कि रेलवे उस हिस्से में यात्रियों और गाड़ियों की सुरक्षा के लिये किये गये उपाय पर्याप्त हैं?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं नहीं जानता कि कोई आश्वासन दिया जा सकता है। जो कुछ भी कहा जा सकता है वह यह कि स्थिति का सामना करने के लिये सर्वोत्तम उपाय किये जा रहे हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : सरकार ने यह नतीजा किस प्रकार निकाला कि यह काम नागा विद्रोहियों ने किया था। यह काम सरकार विरोधी लोग भी कर सकते हैं। क्या यह नतीजा निकालने का सरकार के पास कोई प्रमाण मौजूद है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमारे सामने जो कुछ जानकारी है वह यही है कि यह काम नागा विद्रोहियों का था।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न ही यही था कि क्या नागा विद्रोहियों ने पटरियां उड़ा दी थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय का काम इस बात का पता लगाना नहीं कि यह काम किसका था अपितु उसका काम तो यह है कि पटरियों का क्या हुआ था और उसकी सुरक्षा किस प्रकार की जाये। यदि गाड़ी उलट जाती है तो इससे क्या अन्तर पड़ता है कि वह काम नागाओं का था या और किन्हीं लोगों का था। किसी भी सदस्य को नागाओं अथवा अन्य लोगों को बचाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

†**श्री हेम बरूआ :** मैं यह जानना चाहता था कि नागाओं पर इसकी जिम्मेदारी कैसे रख दी गई।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह मूल प्रश्न से अलग होते जा रहे हैं। प्रश्न तो यह है कि क्या गाड़ी पटरी से उलट गई थी अथवा कुछ और हुआ था।

†**श्री हेम बरूआ :** मैं प्रश्न से दूर नहीं जाना चाहता हूं।

†**श्रीमती मफ़ीदा अहमद :** रेलवे के उस सेक्शन पर विद्रोही नागाओं द्वारा बराबर गड़बड़ी की जाती है। आपातकाल के समय यात्रियों की सुरक्षा के लिये रेलवे ने क्या सुरक्षा संबंधी उपाय किये थे?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हमने स्थिति सुधार ली है। सेना का असैनिक प्राधिकारियों से सम्पर्क रहता है और रेलवे का सम्पर्क उन प्राधिकारियों से है। वहां हमारी कुछ चौकियां हैं और संचार संबंधी अच्छे साधन भी हमारे पास मौजूद हैं। ज्योंही स्थिति गड़बड़ होती है तत्काल ही सूचना इन चौकियों के द्वारा भेज दी जाती है। गांव भी उस क्षेत्र की समीपवर्ती सेना अथवा चौकी को सूचित करने के बारे में सजग हैं। ये सारी कार्रवाई की गई है।

†**श्री हेम बरूआ :** चूंकि यह क्षेत्र ऐसा है जो अशान्त घोषित किया जा चुका है, क्या रेल गाड़ियों और पटरियों की रक्षा करने के लिये राज्य सरकार का सहयोग मिला है अथवा नहीं?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी हां, केवल राज्य की पुलिस का ही नहीं अपितु सेना का भी सहयोग हमें प्राप्त है।

सस्ते रेडियो सेटों का लाइसेंस शुल्क

*१२१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री पद्म देव :
श्री चुन्नी लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न-संख्या ६९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सस्ते रेडियो सेटों का लाइसेंस शुल्क घटाने के बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : १ जनवरी, १९६० से १२० रु० से कम कीमत के सस्ते रेडियो सेटों का लाइसेंस शुल्क १५ रुपये वार्षिक के बजाय, जो पहले लिया जाता था, अब ७ रुपये ५० नये पैसे वार्षिक निर्धारित किया गया है।

†**एक माननीय सदस्य** : अंग्रेजी में भी ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि १२० रुपये की जो यह कीमत रखी गई है किस आधार पर इस का निर्णय किया गया है और क्या इस से ज्यादा कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती थी ?

श्री राज बहादुर : अब इस तरह के रेडियो सेटों की कीमत निर्धारित करने का आधार तो मिनिस्ट्री आफ इनफारमेशन एंड ब्राडकास्टिंग ने तय किया था और कीमत का आधार हो एक ऐसा आधार हो सकता है जिस के कि ऊपर लोगों के वास्ते रेडियो सेटों के सस्ते होने या न होने का फैसला किया जा सकता है और इसीलिये उस ने १२० रुपया उन की कीमत रक्खी है ।

श्री त्यागी : मैं पूछना चाहता हूं कि इस में क्या कुछ खबरें कम आती हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने श्री दी० चं० शर्मा का नाम पुकारा था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यदि १२० रुपये से भी कम मूल्य के रेडियो सेट तैयार किये जाते हैं तो उन की लाइसेंस फीस भी अनुपातत: कम कर दी जायेगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी नहीं यह फीस कम से कम है । किन्तु कठिनाई यह है कि हम अब भी कोई मूल्य निश्चित नहीं कर सकते हैं । यद्यपि हम ने यह मूल्य १२० रुपया रख लिया है, फिर भी हमें इस पर और आगे जांच करनी होगी कि क्या फीस में कमी की जा सकती है और क्या जनता के लिये सन्तोषजनक सेट तैयार किये जा सकते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या गवर्नमेंट ने इस बात का अन्दाजा लगाया है कि यह लाइसेंस शुल्क घटाने से गवर्नमेंट को कितना नुक्सान उठाना पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा अंदाजा तो नहीं लगाया गया है लेकिन चूंकि यह पहले से बहुत मांग थी कि सस्ते रेडियो सेटों के ऊपर कुछ कम लाइसेंस फीस ली जाय इसलिये उस को कम किया जा रहा है ।

श्री पद्म देव : पिछड़े इलाके वाले लोग बड़ी मुश्किल से रेडियो सेट खरीद सकते हैं और चूंकि वह प्राय: सीमावर्ती इलाके हैं तो क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि उन से लाइसेंस फीस न ली जाय ?

श्री राज बहादुर : ऐसा तो कोई विचार नहीं है ।

†**श्री सोनावणे** : क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि १२० रुपये से कम मूल्य के रेडियो उपलब्ध हैं । यदि ऐसा है, तो इस समय ऐसे सेटों की संख्या कितनी है और अब तक कितने सेटों के लिये लाइसेंस फीस दी जा चुकी है ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खराब स्लीपरों के लिए स्वीकृति

+

†*१२२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री र० च० माझी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खराब स्लीपरों के स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में आरोपों की विभागीय जांच पूरी हो जाने के बारे में अब तक किस प्रकार की सहायता की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]**

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण के अन्त में यह कहा गया है :—

"यह खेद की बात है कि कुछ रेलवे पदाधिकारी मामले की प्रारम्भिक अवस्था में पुरानी और नई पटरियों की विशेषताओं को नहीं समझ सके ।"

इस बात को देखते हुए क्या उन विशेषज्ञों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी जिन्हों ने विशेष पुलिस संस्थान द्वारा की गई जांच के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत किये थे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : विभागीय समिति द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप, जिस की नियुक्ति मामले की जांच करने के लिये की गई थी, कुछ तथ्य प्रकाश में आये हैं । उस का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । इस पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा और हम यथोचित कार्रवाई करेंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : बहुत समय हुआ इस प्रश्न पर विशेष पुलिस संस्थान द्वारा बताई गई खराबियों के बावजूद भी विचार किया गया था । उन की सिफारिश है कि कुछ पदाधिकारियों को दण्ड मिलना चाहिये । अन्य किसी समिति के बजाय विभागीय समिति की स्थापना क्यों की गई थी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : स्वयं विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की सिफारिश थी कि मामले को विभाग की ओर से आगे बढ़ाया जाये, अतः पदाधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का सुझाव देने के लिये एक विभागीय समिति स्थापित की गई थी । जब विभागीय समिति ने मामले की जांच की तो उसे पता लगा कि फर्म द्वारा जिन स्लीपरों का संभरण किया गया वे विशिष्ट विवरण के अनुरूप थे और उन में कोई भी खराबी नहीं थी ।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : क्या यह सच है कि क्या वे पदाधिकारी जिन्हों ने यह बताया था कि स्लीपर खराब थे, जांच के दौरान में बाद में बताया अथवा उन्हें यह कहलाने के लिये फुसलाया गया कि स्लीपर बिल्कुल ठीक थे ?

†**श्री जगजीवन राम** : इस में फुसलाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, यह तो सच बात है । स्लीपर भी मौजूद हैं और उन का विशिष्ट विवरण भी है । अतः यह निर्णय करना लोगों के हाथ में है कि स्लीपर विशिष्ट विवरण के थे अथवा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या जिन पदाधिकारियों ने यह कहा था कि स्लीपर खराब हैं और विशिष्ट विवरण के अनुरूप नहीं हैं, बाद को उन्हीं पदाधिकारियों ने कहा कि स्लीपर विशिष्ट विवरण के अनुरूप हैं ।

†**श्री जगजीवन राम :** वस्तुतः सभा पटल पर जो विवरण रखा गया था उस में कहा गया है :—

> "यह खेद की बात है कि कुछ रेलवे पदाधिकारी मामले की प्रारम्भिक अवस्था में पुरानी और नई पटरियों की विशेषताओं को नहीं समझ सके ।"

यह सच है । यदि यही तथ्य प्रारम्भिक अवस्था में जानकारी में आ जाता कि स्लीपर विशिष्ट विवरण के अनुरूप हैं और खराब नहीं हैं तो मामला और आगे नहीं बढ़ने पाता ।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी :** रेलवे बोर्ड द्वारा स्लीपरों की खराबी आदि बताने के लिये सर्वप्रथम जो पदाधिकारी नियुक्त किये गये थे क्या वे प्रशिक्षित इंजीनियर थे और वे अपना काम जानते थे और क्या वे इस बात को समझते थे कि वे क्या कह रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** तथ्य यह था कि विशेष पुलिस संस्थान के कहने पर मामले की सम्पूर्ण जानकारी करने के लिये एक टेक्निकल समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति में एक वरिष्ठ रेलवे पदाधिकारी, जो इस मामले में विशेषज्ञ समझा जाता था, और संभरण तथा निपटान महानिदेशक कार्यालय का एक वरिष्ठ पदाधिकारी था । यह पदाधिकारी स्लीपरों के निरीक्षण के लिये उत्तरदायी था । उन्हों ने मामले की जांच की और बताया कि स्लीपर खराब हैं । बाद को विशेष पुलिस संस्थान ने रेलवे मंत्रालय से इस मामले को विभागीय स्तर पर निबटाने के लिये कहा । चूंकि मामला आगे बढ़ गया था और इस सदन में बहुत से प्रश्न पूछे गये थे, इसलिये एक विभागीय समिति स्थापित की गई जिस में एक वरिष्ठ रेलवे पदाधिकारी, गृह-कार्य मंत्रालय का एक पदाधिकारी एवं संभरण तथा निपटान महानिदेशक के कार्यालय का एक पदाधिकारी था । इस समिति ने सारीचीज़ों की जांच की और अपने सामने अनेक गवाह बुलाये । समिति इस निर्णय पर पहुंची कि वस्तुतः स्लीपर खराब नहीं थे, वे विशिष्ट विवरण के थे और सर्वप्रथम जिस टेक्निकल समिति की स्थापना की गई थी उस ने गलती की थी ।

स्थिति इस प्रकार है । भारतीय रेलों में दो प्रकार की पटरियां इस्तेमाल की जाती हैं । एक ९० पाउण्ड वाली पटरियां होती हैं । वास्तव में इस बात में असावधानी हो गई थी कि दो प्रकार की पटरियां प्रयोग में लाई जाती हैं । एक ब्रिटिश स्टैण्डर्ड की होती हैं और दूसरी पुनरीक्षित ब्रिटिश स्टैण्डर्ड विशिष्ट विवरण वाली । ब्रिटिश स्टैण्डर्ड विशिष्ट विवरण पटरियों में नीचे का उभरा हुआ हिस्सा कुछ मोटा होता है जिस का परिणाम यह होता है ..... (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री त्यागी :** अतः स्लीपर ठीक हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य यह जानने के इच्छुक हैं कि उन पदाधिकारियों का क्या हुआ जिन्हों ने गलत वक्तव्य दे कर यह कठिनाई उपस्थित की ।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** हमें खेद है कि इस मामले की पूरी तरह तहक़ीक़ात न करने के परिणामस्वरूप यह प्रश्न उठा । हम उपयुक्त कार्रवाई करने जा रहे हैं ।

†**श्री त्यागी :** किन के खिलाफ ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उन व्यक्तियों के खिलाफ जो उत्तरदायी हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या उन पदाधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गलत प्रतिवेदन दिया था ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी हां ।

†**श्री त्यागी** : क्या हम यह समझें कि जिन पदाधिकारियों ने यह कहा था कि स्लीपर खराब हैं, अब उन्हें दण्ड दिया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हम उपयुक्त कार्रवाई करेंगे ।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : क्या टेक्निकल समिति में जो पदाधिकारी थे वे रेलवे के प्रशिक्षित इंजीनियर थे और क्या माननीय सदस्य इस सदन से आशा करते हैं कि उस का यह विश्वास है कि ये उच्च प्रशिक्षित इंजीनियर ९० पाउण्ड और १०० पाउण्ड की पटरियों में अन्तर नहीं समझते हैं जिसे हम लोग तक जानते हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं नहीं चाहता कि सदन एकदम इस पर विश्वास कर ले किन्तु तथ्य यह है कि उस अवस्था में पदाधिकारी प्रश्न के इस पहलू को समझ नहीं सके। मैंने रेलवे बोर्ड से यह कहा है कि वह इसका उत्तरदारी उस व्यक्ति को ठहराये जिसने इस महत्व-पूर्ण पहलू को भुला दिया था ?

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : क्या माननीय मंत्री टेक्निकल समिति के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह प्रथम प्रतिवेदन की बात कर रहे हैं ?

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : जी हां।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं जैसा आप लोग कहें करने को तैयार हूं । टेक्निकल समिति की कोई अलग रिपोर्ट नहीं है। जिस समय विशेष पुलिस संस्थान इसकी जांच पड़ताल कर रहा था वह यह चाहता था कि कुछ टेक्निकल पदाधिकारी उसकी इस काम में सहायता करें। इस कारण विशेष पुलिस संस्थान की सहायता के लिये उसे एक रेलवे पदाधिकारी दे दिया गया था। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का यह प्रतिवेदन उस पदाधिकारी की सलाह पर आधारित है कि स्लीपर खराब थे।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : क्या वह उसे सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं कह चुका हूं कि मैं तो जो कुछ आप लोग कहें करने को तैयार हूं।

†**श्री नरसिंहन्** : मैं सुझाव देना चाहूंगा कि दोनों प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिये जायें।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** : हम उस पर चर्चा कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का स्पष्ट कथन यह है कि उन्हें जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है वह एक विभागीय प्रतिवेदन है। उसे गुप्त रखने की क्या बात है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जगजीवन राम :** इसको गुप्त रखने की या और कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक यह प्रक्रिया रही है कि विभागीय समितियों के प्रतिवेदन विभागीय समझे गए हैं और वे सभा-पटल पर नहीं रखे गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह कोई गुप्त चीज़ है जो सदन से छिपाई जाये और न ही वह इस प्रकार की कोई चीज़ है जिसे लोकहित में गुप्त रखने की आवश्यकता हो। मेरा बचाव यह नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें कि अभी तक की प्रथा यह रही है कि विभागीय प्रतिवेदन सभा-पटल पर नहीं रखे गए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं एक सुझाव देता हूं। अनेक माननीय सदस्य स्थिति जानने के लिये उत्सुक हैं। उनको यह आशंका है कि कुछ व्यक्ति जिन्होंने यह कहा था कि पटरियां विशिष्ट विवरण के अनुरूप नहीं हैं, इस कारण उनके इस सत्य कथन से उसी विभाग के कुछ व्यक्तियों को दण्ड मिलने जा रहा है। किन्तु यदि माननीय मंत्री मुझसे सहमत हों तो प्राक्कलन अथवा उसके कुछ भाग को मैं इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त कर सकता हूं और उसके बाद स्वतन्त्र रूप से निर्णय किया जाये। उन्हें ऐसा क्यों न करना चाहिये? यदि कोई व्यक्ति विभाग को कोई गलती पकड़ लेता है तो बाद में दूसरे पदाधिकारी द्वारा उससे सहमत होने के बजाय अपना कर्त्तव्य करने के लिये यदि उस पर कुछ जुर्माना किया जाता है, ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिये। अतः यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति न हो तो यह मामला प्राक्कलन समिति को सौंपा जा सकता है। दोनों प्रतिवेदन सदन के सम्मुख रख दिये जाने चाहियें।

†**श्री जगजीवन राम :** मुझे भय है कि आपने जो सुझाव दिया है.....

†**अध्यक्ष महोदय :** उसमें क्या गलती है?

†**श्री जगजीवन राम :** मैं यह नहीं कहता कि उसमें कुछ गलती है। यह आपके लिये विचारणीय विषय है कि आप कोई दृष्टांत तो प्रस्तुत करने नहीं जा रहे हैं और उसका क्या.....क्या प्रभाव होगा **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री त्यागी :** उससे भ्रष्टाचार और अकुशलता सब कुछ बन्द हो जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस पर आधे घटे की चर्चा करने की अनुमति दूंगा।

†**श्री वाजपेयी :** प्रतिवेदनों के बिना चर्चा से क्या लाभ होगा?

†**श्री ब्रजराज सिंह :** प्राक्कलन समिति के लिये सुझाव के बारे में क्या रहा?

†**श्री त्यागी :** हम प्रतिवेदन चाहते हैं।

†**श्री जगजीवन राम :** स्थिति इस प्रकार है। जब विशेष पुलिस संस्थान किसी ऐसे मामले की जांच करता है जो उसे मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो उसकी जांच वह तीन तरीकों से करता है। जांच-पड़ताल के पश्चात् या तो वह अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और कह देता है कि इस मामले में कुछ नहीं है और इसे समाप्त कर दिया जाये। दूसरा तरीका उसके लिये यह होता है कि वह सिफारिश करे कि यह मामला ऐसा है जिसमें संबंधित पदाधिकारियों अथवा पक्षों पर न्यायालय में अभियोग चलाया जाना न्यायोचित होगा। तीसरा तरीका यह होता है कि वह यह कहे, "कि हमने मामले की जांच कर ली है किन्तु वह अभियोग चलाने वाला मामला नहीं है किन्तु विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

ये तीन संभाव्य सिफारिशें हैं जो विशेष पुलिस संस्थान मामले की जांच करने के पश्चात् कर सकता है।

उस आकस्मिकता को ले लीजिये जिसमें विशेष पुलिस संस्थान न्यायालय में अभियोग चलाने की सिफारिश करता है और न्यायालय का यह मत होता है कि टेक्निकल पदाधिकारियों की सम्मति पर विशेष पुलिस संस्थान का निर्णय सही नहीं था और अन्त में अपराधी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी दशा में इस सदन में क्या प्रक्रिया होगी?

†**श्री नागी रेड्डी :** अब वह स्थिति नहीं है।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं यह बात अध्यक्ष महोदय से कह रहा हूं। यह आपके विचार के लिये है। मैं एक सादृश्यता उपस्थिति कर रहा हूं। यह सादृश्यता बहुत कुछ जांच समिति की सादृश्यता से मिलतो जुलती है।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी :** श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं।

†**श्री जगजीवन राम :** मैंने अपनी बात समाप्त नहीं को है। **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय :** यह औचित्य प्रश्न पहले से उठाया गया समझा जायेगा।

†**श्री जगजीवन राम :** मेरा निवेदन यह है। सौभाग्य से इस मामले में केवल रेलवे के पदाधिकारियों ने ही विभागोय जांच नहीं की थी। यह एक विभागोय समिति थी जिसमें तीन विभिन्न मंत्रालयों के तीन पदाधिकारी थे। इसमें दो मंत्रालय से संबंधित थे। गृह मंत्रालय का इससे सीधा संबंध नहीं था किन्तु वह इससे केवल इस कारण संबंधित था क्योंकि दो मंत्रालयों के पदाधिकारी इसमें फंसे हुये थे। विशेष पुलिस संस्थान की पूर्ण रूप से परीक्षा करके तब सारी टेक्निकल बातों पर विचार करके वह विभागोय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह आरोप गलत हैं।

अब, क्या करना है? जैसा मैंने कहा है, जहां तीन पदाधिकारियों की समिति के विचार किये जाने के बाद कोई विभागोय कार्यवाही की जाती है तो चाहें वह मामला प्राक्कलन समिति को प्रस्तुत किया जाना हो अथवा आपके द्वारा देखा जाना हो, वह एक ऐसा मामला होगा जिसमें पूर्व उदाहरण उपस्थित किये जायेंगे और उस बात पर आपको और सभा को विचार करना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : औचित्य प्रश्न क्या है?

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी :** औचित्य प्रश्न यह है। रेलवे के प्रभारी मंत्रिमंडल के मंत्री ने कहा कि सभा को इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि इसका अभियोक्ता पक्ष पर उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि यह मामला विधि न्यायालय के समक्ष लाया जायेगा। किन्तु साथ ही रेलवे उपमंत्री ने अभी बताया है कि वे उस पदाधिकारी को दंड देंगे। उसका अभियोक्ता पक्ष पर विधि न्यायालय में क्या प्रभाव पड़ेगा?

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे खेद है। मैं उस बात को अभी ठीक किये देता हूं। मैंने यह नहीं कहा है कि उसका अभियोक्ता पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी :** मेरी तीसरी बात यह है कि माननीय मंत्री ने कहा कि वे अध्यक्ष महोदय पर निर्भर हैं, उस संबंध में मैंने कहा था कि हमें अध्यक्ष महोदय को बुरी स्थिति

---

†मूल अंग्रेजी में

में नहीं डालना चाहिए। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने एक सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदय ने जो सुझाव दिया है उसे माननीय मंत्री क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? इसकी परीक्षा करने वाली प्राक्कलन समिति को उससे क्या हानि पहुंच सकती है? अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया है।

†**श्री त्यागी** : आप कृपया अपने द्वारा बनाई गई प्रक्रिया की ओर ही ध्यान दें। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की प्रक्रिया क्या है। संसद् द्वारा चुनी गई वे सब से बड़ी संस्थायें हैं। उन को स्वयं यह अधिकार है कि वे परीक्षा के लिये किसी भी मंत्रालय से पत्र मांग सकती हैं। यह उन का अधिकार है। हम उन्हें कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं दे रहे हैं। यदि हम प्राक्कलन समिति के सभापति से उन्हें बुलाने को कहें, तो वे आने के लिये मना नहीं कर सकते। अतः वह अधिकार उन को स्वतः मिला हुआ है।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : क्या समिति गोपनीय और गुप्त पत्र भी मांग सकती है?

†**कुछ माननीय सदस्य** : वे गोपनीय पत्र नहीं है।

†**श्री सोनावे** : क्या इस प्रश्न-काल को चर्चा अथवा वाद-विवाद में बदलना नियमानुकूल होगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कुछ बातें उठाई हैं। उन्हों ने कई मामलों अथवा कई सिफारिशों का उल्लेख किया है जो विशेष पुलिस संस्थान द्वारा की जा सकती हैं। जैसाकि उन्हों ने कहा, उन में से एक यह है। यदि कोई अभियोग चलाया जायेगा तो न्यायालय पहले की जांच से असहमत हो सकता है। जहां तक न्यायालय का सम्बन्ध है, वह स्वतंत्र है और हमें न्यायालय का निर्णय मानना होगा। दूसरी बात कार्यपालिका से सम्बन्धित है। कुछ लोग यह कहते हैं कि स्लीपर खराब हैं और कुछ लोग, जो बाद को आये, यह कहते हैं कि ऐसा नहीं है और वे लोग गलती पर हैं। इन लोगों के विचारों में विरोध प्रतीत होता है। उपमंत्री ने कहा कि वे सम्बन्धित लोगों को दण्ड देने का विचार कर रहे हैं। स्वभावतः सभा को यह बात बुरी लगी कि जिन लोगों ने ठीक काम किया उन्हें वे लोग दण्ड दे रहे हैं जोकि विभागीय कार्यवाही पूरी करना चाहते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, यही बात माननीय सदस्यों को बुरी लग रही है।

ऐसी परिस्थितियों में मेरा एक सुझाव है। यह मामला स्लीपरों के बारे में है। प्रश्न केवल यह है कि क्या अपना कर्तव्य निभाना पदाधिकारी के लिये उचित है अथवा नहीं और यह विषय एक विभागीय विषय है जिस पर प्राक्कलन समिति को कोई अधिकार नहीं है

†**श्री जगजीवन राम** : श्रीमान्, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वक्तव्य की अन्तिम कंडिका में यह कहा गया है कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में टेक्नीकल बातों पर विचार नहीं किया गया था और मैं ने बोर्ड को सुझाव दिया था कि वह इस के लिये किसी को उत्तरदायी बनाये। इस का अर्थ विशेष पुलिस संस्थान के जांच से सम्बद्ध पदाधिकारी से ही नहीं है क्योंकि उस के पूर्व भी जबकि यह मामला मेरी जानकारी में आया तो एक ऐसा वातावरण बना दिया गया था कि स्लीपर खराब हैं। उस समय भी उस काम को करने वाले किसी पदाधिकारी को यह बताना आवश्यक था कि स्लीपर खराब हैं या नहीं किन्तु उस समय उन्हों ने उस टेक्नीकल पहलू पर विचार नहीं किया। जहां तक इस पदाधिकारी का, जोकि विशेष पुलिस संस्थान की जांच से सम्बद्ध था, सम्बन्ध

†मूल अंग्रेजी में

है, उस के लिये उत्तरदायी बताने के लिये जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं ने बोर्ड से कहा था कि वह किन्हीं पदाधिकारियों को इस के लिये उत्तरदायी ठहरा दें तो यह बात उस समय कही गई थी जबकि विशेष पुलिस संस्थान की जांच भी प्रारम्भ नहीं हुई थी। अतः प्रत्यक्ष रूप से इस समय इस पदाधिकारी को दंड देने का कोई इरादा नहीं है किन्तु उस प्रारम्भिक अवस्था में किसी को उत्तरदायी ठहराने का है जबकि यह अफवाह फैली हुई थी कि अमुक सार्थ से मंगाये गये स्लीपर खराब थे और किसी पदाधिकारी ने जानबूझ कर उन्हें स्वीकार कर लिया।

†**श्री सोनावरे** : मेरे औचित्य प्रश्न का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उस में कोई भी औचित्य प्रश्न नहीं उठता। यदि वह महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो मैं सारा प्रश्न-काल देने को तैयार हूं। और कई अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दूंगा। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सब कठिनाइयों को दूर करने का कौन सा सब से ठीक तरीका है जोकि पैदा हो गई हैं और लोगों के दिमागों में समा गई हैं। एक घंटा उतना ही बुरा अथवा अच्छा है जितना कि दूसरा घंटा।

†**श्री फ़ीरोज गांधी** : मैं रेलवे उपमंत्री तथा रेलवे मंत्री द्वारा कही गई दो विरोधी बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने रेलवे बोर्ड से यह पता लगाने को कहा है कि क्या इस मामले में कोई पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से अपराधी है जबकि उपमंत्री ने निश्चित रूप से यह कहा है कि वे पदाधिकारी को दंड देंगे।

†**श्री शाहनवाज खां** : यह गलत है। मैं ने केवल यह कहा था कि हम प्रश्न की जांच कर रहे हैं और उचित कार्यवाही की जायेगी।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं और प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा। आधे घंटे की चर्चा की जायेगी।

†**श्री नागी रेड्डी** : इस प्रश्न का एक अन्य पहलू भी है जिस पर विचार नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस प्रश्न के लिये काफी समय दे दिया है। इस विषय पर कई घंटों चर्चा की जा सकती है।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस प्रश्न पर दोनों सभाओं में गत १८ महीनों में कई प्रश्न पूछे गये हैं और उन में बड़ी-बड़ी गम्भीर बातों पर विचार किया है। जो कुछ मंत्री महोदय और उपमंत्री ने कहा है उस को सुनने के बाद हम लोगों का यह विचार है कि सभा-पटल पर केवल उद्धरण न रखे जायें अपितु प्रारम्भ से अन्त तक सारा प्रतिवेदन रखा जाय। हम १८ महीने से इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं और हम को गलत बात बताई गई है। हमेशा ही खराब स्लीपर का शीर्षक रहा है किन्तु अब हम देखते हैं कि स्लीपर खराब नहीं थे बल्कि 'की' खराब थीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन मामलों को देखे बिना मैं कोई पूर्व उदाहरण नहीं बनाना चाहता। माननीय मंत्री का कहना है कि यह विभागीय जांच समिति है। मैं इसे देखूंगा कि इस मामले को सभा-पटल पर रखना चाहिये अथवा नहीं और तभी मैं कोई निर्णय करूंगा। यदि मैं समझूंगा कि इस को अवश्य रखना चाहिये. तो उसी प्रकार का निदेश दे दूंगा।

†**कुछ माननीय सदस्य** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं और अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा। जबकि एक विषय पर पूरी तरह से विचार किया जा चुका है तो केवल इस कारण से ही कि किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिल जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरूआ** : आप के उस सुझाव के बारे में क्या हुआ कि प्राक्कलन समिति को इस विषय की जांच करनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं ने अभी निश्चय नहीं किया है । वस्तुतः यदि मैं ऐसा निर्णय करूंगा तो मैं स्वयं प्राक्कलन समिति को इस विषय की जांच करने की आज्ञा दे सकता हूं । मैं इस पर विचार करूंगा और फिर निर्णय करूंगा । इस बीच यदि कोई सदस्य कोई स्पष्टीकरण चाहता हो तो मुझे आधे घंटे की चर्चा के लिये अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं इस के लिये आप का कृतज्ञ हूं किन्तु जब तक सभा के समक्ष सारे तथ्य नहीं रखे जायेंगे तब तक हम क्या चर्चा कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस विषय के सम्बन्ध में विचार करूंगा कि क्या उन प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखना चाहिये अथवा नहीं । अगला प्रश्न ।

गंडक परियोजना

+

†*१२३. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री झूलन सिंह : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल और भारत के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से गंडक परियोजना की कार्यान्विति में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस काम को पूरा करने के लिये कोसी बोर्ड जैसा कोई अभिकरण बनाया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) गंडक परियोजना के बारे में बिहार और उत्तर प्रदेशों की सरकारों से प्राप्त पुनरीक्षित प्रतिवेदनों की परीक्षा की जा रही है । उस के बाद उन्हें प्रविधिक मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा । इस बीच बिहार सरकार वहां तक पहुंचाने वाली एक सड़क का निर्माण कर रही है, नहरों का नक्शा बना रही है और परियोजना के लिये पत्थर तथा मशीन आदि का प्रबन्ध कर रही है ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या समझौते पर हस्ताक्षर होने से पूर्व इस परियोजना की प्रविधिक रूप से कोई भी परीक्षा नहीं की गई थी ? यदि कोई परीक्षा की गई थी तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

†**श्री हाथी** : सम्पूर्ण परियोजना की परीक्षा की गई थी किन्तु उत्तर प्रदेश और बिहार के सम्बन्ध में परियोजना की बारीकियों पर विचार नहीं किया गया था ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस की परीक्षा करने तथा अन्तिम निर्णय करने में कितने महीने लगेंगे ? काम कब प्रारम्भ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : इस की परीक्षा में कुछ महीने लग जायेंगे । किन्तु हम ने बिहार सरकार को इस की अनुमति दे दी है कि वह प्रारम्भिक काम चालू कर दे । बिहार सरकार सड़कें बना रही है और प्रारम्भिक काम कर रही है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये कोई समय निश्चित कर दिया गया है ?

†**श्री हाथी** : वस्तुतः प्रारम्भिक काम आरम्भ कर दिया गया है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : काम के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों के लिये क्या कोई अन्तिम लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ?

†**श्री हाथी** : काम किस के द्वारा कराया जाये इस पर निर्णय किया जाना है किन्तु दो सरकारों द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम होगा ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या बांध के निर्माण के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**श्री हाथी** : यह वही प्रश्न है जिसका मैंने उत्तर दिया है। हमने एक क्रमबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : उन संगठनों तथा जनता के उन वर्गों का सहयोग प्राप्त करने के लिये, जो परियोजना में काम करने को तैयार हों, क्या कोई प्रस्थापना विचाराधीन है ?

†**श्री हाथी** : हमें ऐसा करने में बड़ी प्रसन्नता होगी । हमने यह सोच रखा है कि नहर की दीवार की खुदाई का काम कोसी की भांति जनता के सहयोग से ही किया जाये ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या लागत का अन्तिम रूप से कोई अनुमान लगा लिया गया है ?

†**श्री हाथी** : जी हां, उसके संबंध में परीक्षा की जा रही है। लगभग ५० करोड़ का अनुमान लगाया गया है।

†**श्री हेम बरूआ** : प्रविधिक मंत्रणा समिति को परियोजना की परीक्षा करने का उत्तर-दायित्व कब सौंपा गया ? क्या योजना आयोग ने अब तक इस परियोजना के लिये कोई धन नियत किया है ?

†**श्री हाथी** : जी हां, उसने इस परियोजना के लिये इस वर्ष २५ लाख रुपये दिये हैं और अगले वर्ष के लिये १ करोड़ रुपये दिये हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : इसकी जांच करने का काम प्रविधिक मंत्रणा समिति को कब सौंपा गया था ?

†**श्री हाथी** : समिति इसकी जांच कर रही है।

†**श्री हेम बरूआ** : कब तक करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : इस पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा परीक्षा की जा रही है। वह अपना प्रतिवेदन प्रविधिक मंत्रणा समिति को प्रस्तुत करेंगे और फिर प्रविधिक मंत्रणा समिति योजना आयोग को अपनी सिफोरिशें प्रस्तुत करेगी। इसमें लगभग १ $^{१}/_{२}$ महीने लग जायेंगे इससे अधिक नहीं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या जनता के सहयोग का तात्पर्य भारत सेवक समाज तथा किसी अन्य संस्था से है?

†**श्री हाथी** : यह केवल भारत सेवक समाज तक ही सीमित नहीं है, कोई भी सार्वजनिक स्वयंसेवक संस्था उदाहरणतः ग्राम पंचायतें अपना सहयोग प्रदान कर सकती हैं।

दिल्ली में सामुदायिक सिकास कार्यक्रम

†***१२४ श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तीव्र बनाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : दिल्ली में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को तीव्र बनाने के लिये उठाये गये पगों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की गति में तीव्रता लाने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पग उठाये गये हैं।

१. प्रत्येक परिवार के लिये कृषि उत्पादन योजनायें बनाई गई हैं और उन्हें सहकारी समितियों द्वारा लिया जा रहा है।

२. ग्राम स्तर पर पंचायतें बनाई गई हैं और उन्हें विकास संबंधी काम सौंपा जा रहा है।

३. सुधरे हुये तरीकों, औजारों, बीजों आदि के प्रयोग के बारे में काश्तकारों को सहायता देने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये ग्राम सहायक प्रशिक्षण शिविर चालू किये गये हैं।

४. गैर-सरकारी पदाधिकारियों के सहयोग से खरीफ और रबी आन्दोलनों का आयोजन किया जा रहा है?

५. ग्राम वासियों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिये सारे ग्रामों में समाज शिक्षा केन्द्र और पुस्तकालय खोल दिये गये हैं।

६. लगभग सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में देहाती प्रोग्राम चालू किये गये हैं और उनसे कार्यक्रम के बारे में लोगों को शिक्षित करने का काम लिया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

७. कार्यक्रम में युवकों तथा स्त्रियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये कई स्थानों में युवक क्लब और महिला समितियां चालू की गई हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस कार्यक्रम पर कितना और व्यय होगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : जहां तक कार्यक्रम में तीव्रता लाने का संबंध है मेरे विचार में अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। सहकारी समितियों के जरिये कृषि उत्पादन को बढ़ाने में धन अवश्य खर्च होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रत्येक परिवार के लिये कृषि उत्पादन की योजना इस पूरे खंड के लिये तैयार कर ली गई है अथवा इसके कुछ ही भाग के लिये ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : अभी काम अधूरा हुआ है वैसे सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये योजना बनाने का इरादा है।

†**श्री तंगामणि** : कितने ग्राम सहायक शिविर स्थापित किये गये हैं, कितने ग्राम सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षित ग्राम सहायकों के अनुसार काम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : ग्राम सहायक शिविर की संख्या ६३ है। अब तक २,३१६ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कार्यक्रम में तीव्रता लाने के फलस्वरूप जो प्रगति होगी क्या उसका कोई अनुमान लगाया जायेगा और यदि हां, तो यह अनुमान किसके जरिये लगाया जायेगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : आवश्यक अनुमान लगाने में कुछ समय और लगेगा।

†**पंडित द्वा० नाथ तिवारी** : क्या कार्यक्रम में तीव्रता केवल दिल्ली में लाई जायेगी अथवा यह तीव्रता पूरे देश के संबंध में लाई जायेगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : सम्पूर्ण देश के प्रत्येक खंड में कृषि उत्पादन के कार्यक्रम में तीव्रता लाने का विचार है।

†**श्री रघुवीर सहाय** : इस परियोजना के अन्तर्गत, जिसका उद्घाटन किया जायेगा क्या शहरी क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे और यदि हां, तो शहरी लोगों की सामुदायिक विकास में रुचि पैदा करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास के काम को देहातों में ही फैलाने में काफी कठिनाइयां प्रतीत हो रही हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो प्रोग्राम है यह दिल्ली के पांच ब्लाकों में से किन-किन में है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : सभी खंडों में।

---

†मूल अंग्रेजी में

गढ़ी मानिकपुर के निकट रेलगाड़ी में डाका

+

†*१२६. { **श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री आसर :
श्री आविन्द गोषाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० दिसम्बर, १९५९ को उत्तर रेलवे के इलाहाबाद–रायबरेली सेक्शन पर इलाहाबाद से ४० मील दूर गढ़ी मानिकपुर के निकट एक चलती हुई गाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे में डाका डाला गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रिहंड बांध के सह इंजीनियर तथा उनकी पत्नी से छुरा दिखाकर १००० रुपये लूट लिये गये ;

(ग) क्या कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्। उससे देशी पिस्तौल दिखाकर रुपये छीन लिये गये।

(ग) और (घ). असैनिक और सरकारी रेलवे पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। संदेह पर अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्योंकि हाल ही में कई ऐसी घटनायें घटित हो चुकी हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आवश्यक पग उठाये गये हैं और क्या उन रास्तों पर जहां ये दुर्घटनायें घटित हुई हैं, शान्ति और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिये राज्य सरकारों से कहा गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : शान्ति और व्यवस्था की स्थिति सुधारने का काम राज्य सरकारों का है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अभी हाल ही में एक और डाका पड़ा था जिसमें ३०,००० रुपये लूटे गये थे और अब रेलगाड़ियों में यात्रा करना खतरनाक हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि शान्ति और व्यवस्था के प्रश्न पर राज्य सरकारों से बातचीत की गई है ? आपने क्या किया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस प्रश्न से उत्पन्न होने वाला यह एक सामान्य प्रश्न है। हम ने उत्तरी खंड के डी० आई० जी० की बैठक बुलाई थी और गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हम ने विभिन्न राज्यों के इंस्पेक्टर जनरलों का सम्मेलन भी किया था जिस में हम ने चलती हुई गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा के विषय पर विशेष रूप से चर्चा की थी। मेरा विचार है कि हम ने सारे आवश्यक पग उठाये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो पग इस समय उठाये जा रहे हैं उनके अतिरिक्त और कौन से उपाय इस प्रकार की डकैतियों को रोकने के लिये इस सम्मेलन में सोचे गये हैं ?

†**श्री सें० वें० राम स्वामी** : हमने चर्चा कर के कुछ अस्थायी निर्णय किये हैं, उदाहरणतः उन में से एक सुझाव यह था कि सरकारी रेलवे पुलिस में वृद्धि की जाये। वाकी-टाकी जैसे सुधार

---

†मूल अंग्रेजी में

किये जाय ताकि वे रेलगाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोगों को अपनी बात बता सकें तथा अपराधियों का पता लगाने के लिये तेज रोशनी का प्रबन्ध किया जाये । इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है और अस्थायी रूप से निर्णय कर लिये गये हैं । उन को यथा समय कार्यान्वित किया जायेगा ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या प्रत्येक रेलगाड़ी में सशस्त्र पुलिस की व्यवस्था करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

खाद्य उत्पादन की अग्रिम परियोजनाएं

+

†*१२७ **श्री प्र० गं० देव :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के सहायता से कुछ राज्यों में खाद्य के उत्पादन की कुछ अग्रिम परियोजनायें लागू होगीं ;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) वे कहां कहां स्थापित होंगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) हां, यह करने का विचार है ; परन्तु योजना अभी निश्चित नहीं है ।

(ख) योजना विचाराधीन है ।

(ग) अभी निश्चय नहीं हुआ है ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या इन परियोजनाओं का सम्बन्ध विश्व बैंक के सहायता कार्यक्रम से है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : नहीं । यह योजना प्रथक है । देश के कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने बीस लाख मार्क दिये हैं । हम इस उद्देश्य के लिये उस धन का उपयोग करना चाहते हैं ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : यदि नया ढंग कृषि करने का नया ढंग है तो क्या यह धान का है या गेहूं का ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : समूची योजना विचाराधीन है और अन्तिम रूप से कुछ भी निश्चित नहीं हुआ है । वे चाहते हैं कि हम अपना कृषि उत्पादन बढ़ावें । एक प्रस्ताव यह है कि पचास पचास एकड़ के छः छोटे फार्म खोले जायें और उन में छोटे कृषि यन्त्रों के प्रयोग से जैसाकि जर्मनी में होता है, कृषि के जर्मनी ढंग की जांच की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कृषि धान की है या गेहूं की ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : गेहूं और धान दोनों की ।

†**श्री गोरे** : क्या जर्मनी निकासी धान की खेती करते हैं ?

†**श्री सम्पत** : क्या योजना समस्त राज्यों में लागू की जायेगी और क्या ये कुछ ही राज्यों तक सीमित रहेंगी ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : छः फार्म होंगे । एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या चावल जर्मनी में पैदा होता है । चावल जर्मनी में पैदा नहीं होता । जो भी ढंग हम ग्रहण करेंगे वह भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अंगीकार किया जायेगा और जर्मनी की मशीनों का प्रयोग किया जायेगा ।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या यह योजना फोर्ड फाउन्डेशन टीम के "पैकेज प्लान" से सम्बद्ध है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : फोर्ड फाउन्डेशन का कृषि सम्बन्धी प्लान पहिले ही पटल पर रखा जा चुका है । हम ने अभी यह निश्चय नहीं किया है कि योजना क्या होगी ।

हीराकुड परियोजना का उड़ीसा सरकार को हस्तान्तरण

†*१२८. **श्री सूपकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल १९६० से उड़ीसा की राज्य सरकार को हीराकुड बान्ध परियोजना देने से राज्य सरकार पर केन्द्र का कुल कितना ऋण होगा ; और

(ख) पुनः भुगतान की क्या शर्तें हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

	पूंजी	ब्याज
(क) हीराकुड बान्ध परियोजना १-४-१९६० को राज्य सरकार का दायित्व .	रु०	रु०
प्रक्रम १—३१ मार्च १९५९ के अन्त तक व्यय	६१,९८,७९,६६३	१३,३३,५५,१४२
प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार १९५९-६० के वर्ष का व्यय . .	२,६०,००,०००	२,९०,९७,६९५
योग .	६४,५८,७९,६६३	१६,२४,५२,८३७
सम्पूर्ण योग . .	८०,८३,३२,५००	

राज्य सरकार का उपरोक्त दायित्व अस्थायी है । परियोजना का पूंजी प्राक्कलन समाप्त होने पर ही अन्तिम दायित्व का अनुमान किया जा सकता है ।

उपरोक्त आंकड़ों में अभी बन रहे चिपलिका बिजली घर परियोजना (प्रक्रम २) सम्बन्धी दायित्व सम्मिलित नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हीराकुड बान्ध परियोजना प्रक्रम १ की वित्तीय व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को दिये गये ऋण ४० वर्ष बाद एक ही किस्त में लौटाया जायेगा और उस को ब्याज प्रति वर्ष दिया जायेगा। परियोजना के निर्माण-काल में ऋणों का ब्याज पूंजी में सम्मिलित किया जा रहा है और प्रति वित्तीय वर्ष के अन्त में उन अधिक ऋणों में उसे समायोजित कर दिया जाता है जो भारत सरकार इस कार्य के लिये देती है।

†**श्री सूपकार** : इन ६४ करोड़ रुपयों में से भूति प्रतिकर के लिये उड़ीसा सरकार को कितना ऋण दिया गया है ?

†**श्री हाथी** : यदि माननीय सदस्य लगभग ८० करोड़ रु० का वितरण जानना चाहते हैं तो मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

†**श्री सूपकार** : कहा जाता है समूची पूंजी ४० वर्ष बाद देनी है। ४० वर्ष के अन्त में पूंजी और ब्याज की राशि कितनी होगी ?

†**श्री हाथी** : ८० करोड़ रु० का और प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करना है। यह राशि का ४० वर्ष के अन्त ; भुगतान करना है।

सेठ अचल सिंह : हीराकुड डैम जिस को सेंटर ने बनाया है वह स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं और सेंटर उसे क्यों नहीं रखता ?

श्री हाथी : हीराकुड डैम सेंटर ने नहीं बनाया बल्कि वह उड़ीसा गवर्नमेंट के लिये बनाया है। उड़ीसा गवर्नमेंट के पास टेक्निकल मशीनरी नहीं थी और ट्रेंड आदमी नहीं थे इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनाया लेकिन पैसा सेन्टर ने उड़ीसा गवर्नमेंट को कर्जे के रूप में दिया है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या हीराकुड बान्ध के निर्माण के लिये दिये गये ऋण की ब्याज दर में परिवर्तन करने के लिये उड़ीसा सरकार ने प्रार्थना की है ?

†**श्री हाथी** : वित्त आयोग की सिफारिश पर ब्याज की दर में परिवर्तन कर दिया गया है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : कितना ?

†**श्री हाथी** : वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ३१ मार्च १९५८ तक दिये गये सभी ऐसे ऋणों पर, जिन का भुगतान नहीं किया गया, ब्याज की सिंचाई के लिये ३ प्रतिशत और बिजली के लिये ४ प्रतिशत होगी। उस तारीख के उपरान्त सिंचाई के लिये ऋणों पर ३$^{1}/_{2}$ प्रतिशत और विद्युत के लिये ऋण पर ४$^{1}/_{2}$ प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा।

†**श्री प्र० के० देव** : हीराकुड द्वारा उद्योगीकरण में और अधिक खाद्य पैदा करने से विदेशी मुद्रा बचाने से समूचे देश को लाभ होने के कारण ब्याज समूचे देश से न ले कर उड़ीसा सरकार से ही ब्याज क्यों लिया जाता है ?

†**श्री हाथी** : यह महा नीति का प्रश्न है। समूचे देश को लाभ पहुंचने के कारण वह चाहते हैं कि समूची राशि समूचे देश पर बांटी जाये। मेरा विचार है यह बात इस प्रश्न में नहीं आती।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निम्न दामोदर घाटी में बाढ़

†*१२९. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचेट और माइथन से नीचे निम्न दामोदर घाटी में हाल की भारी वर्षा और बाढ़ से दामोदर घाटी निगम की नहरों के किनारों को पहुंची हानि की मरम्मत की कुल प्राक्कलित लागत क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने इन किनारों की मरम्मत का उत्तर-दायित्व लेने से मना कर दिया है क्योंकि इन नहरों को पश्चिमी बंगाल सरकार को देने का विचार है ; और

(ग) आगामी वर्षा के आरम्भ होने से पहिले इन किनारों की शीघ्र मरम्मत का क्या प्रबन्ध है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) लगभक ८२.७५ लाख रु० ।

(ख) नहीं श्रीमान ।

(ग) निगम ने मरम्मत के लिये अपेक्षित धन की स्वीकृति दे दी है और मरम्मत के लिए टेन्डर मांगे गये हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या दामोदर घाटी निगम इन नहरों की मरम्मत इन्हें पश्चिमी बंगाल को देने से पहिले कर देगा ?

†**श्री हाथी** : दामोदर घाटी निगम को आशा है कि वह यह कार्य जून १९६० में अर्थात इन्हें देने के समय तक पूरा कर लेगा ।

†**श्री त्रिदिव कुमार** : पश्चिमी बंगाल को ये नहरें देने के बाद नहर प्रशासन और बान्ध प्रशासन का क्या प्रबन्ध होगा ? किस प्रकार का सम्पर्क रखा जायेगा और इन नहरों को पानी देने की नीति का निश्चय कौन करेगा ?

†**श्री हाथी** : जून १९६० के नहरों का प्रशासन पश्चिमी बंगाल को देने के बाद दामोदर घाटी निगम पश्चिमी बंगाल सरकार की मांग पर अधिकतर जल देगा । नहरों आदि का प्रबन्ध पश्चिमी बंगाल सरकार के हाथ में रहेगा ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या ये किसी निर्धारित दर पर की जायगी अथवा प्रतिवर्ष तदर्थ आधार पर ?

†**श्री हाथी** : यह करार के आधार पर होगा, अर्थात्, तदर्थ आधार पर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पोचमपद परियोजना

†*१३० { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री नागी रेड्डी :
श्री दे० वें० राव :
श्री बसुदेवन नायर :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार की पोचमपद परियोजना संबंधी रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने की आन्ध्र प्रदेश सरकार की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) इस बारे में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है क्योंकि परियोजना अभी विचाराधीन है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पिछले प्रश्न के उत्तर में भी माननीय मंत्री ने यही उत्तर दिया था। क्या यह द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में निश्चित हो जायेगी या यह द्वितीय योजना में सम्मिलित की जायेगी ?

†**श्री हाथी** : परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय में सम्मिलित नहीं है। परन्तु हमें आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने से पहिले कम से कम विचार कर लिया जायेगा क्योंकि इसे अपनी प्राथमिकता प्राप्त करनी होगी। पहिले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित सभी योजनाओं पर विचार किया जायेगा और निश्चय किया जायेगा। फिर, स्वभावतः इस पर विचार होगा।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट पांच या छः मास पूर्व दी गई थी ? क्या यह असाधारण नहीं है कि इस रिपोर्ट पर निश्चय करने में इतना अधिक समय लग गया है ?

†**श्री हाथी** : यह हो सकता है परन्तु पहिले उन रिपोर्टों पर राज्यों से प्राप्ति-समय के अनुसार विचार व निश्चय किया जायेगा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं। जो परियोजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं हैं उनके लिए अन्य परियोजनाओं की परीक्षा व पूर्ति होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह द्वितीय योजना की परियोजना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेडा** : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस रिपोर्ट को भेजने के साथ प्रार्थना की थी कि यह परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाये।

†**श्री हाथी** : यह हो सकता है, परन्तु आयोग पहिले उन परियोजनाओं पर विचार करना तथा उन्ह प्राथमिकता देनी होगी जो द्वितीय योजना में सम्मिलित हैं।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने को तैयार थी परन्तु बम्बई सरकार ने कुछ आपत्तियां कीं और बम्बई तथा आन्ध्र प्रदेश सरकारों के मंत्रियों में विचार विमर्श हो रहा है? यदि विचार विमर्श हुआ है तो उनका क्या परिणाम रहा है?

†**श्री हाथी** : यह भी टेक्निकल परीक्षा का एक अंग है। जिस समय जल के पूर्ण उपयोग पर विचार किया जा रहा था, तब बम्बई सरकार ने एक पत्र भेजा था और उस बात पर भी विचार करना है।

†**श्री रामी रेड्डी** : मेरा ख्याल है कि तत्संबंधी सरकारों के मंत्रियों में विचार विमर्श हो गया है। इनका क्या परिणाम रहा?

†**श्री हाथी** : दो मंत्रियों में विचार विमर्श हुआ था, परन्तु हमारे पास कार्यवाही की वह प्रति है जो आन्ध्र प्रदेश के मंत्री ने तैयार की थी। इसकी पुष्टि अभी बम्बई सरकार द्वारा नहीं हुई है।

†**श्री रामी रेड्डी** : बम्बई सरकार की क्या आपत्तियां हैं?

†**श्री हाथी** : आपत्ति यह है कि यदि यह स्वीकार हो जाती है तो बम्बई सरकार को पर्याप्त जल प्राप्त न होगा।

राज्यों के लिये विद्युत

\+

†*१३३ { **श्री आचार :**
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत शक्ति के उचित उपयोग के लिए सरकार ने राज्यों को विभिन्न खण्डों में रखने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). विद्युत शक्ति के उचित उपयोग के एक अखिल भारतीय अधिग्राभारि संहति बनाने का विचार है। इसके लिए कार्यवाही के रूप में राज्यों को विभिन्न खण्डों में रखने पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में अभी कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है।

†**श्री आचार** : क्या यह देखने के लिए कोई व्यवस्था होगी कि क्या शक्ति राज्यों में वितरित की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : अभी तो प्रत्येक खंड की टेक्निकल समितियां इस प्रश्न की जांच करती हैं ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : इन राज्यों को खण्डों में रखने से उपभोक्ताओं को कितना लाभ होगा ?

†**श्री हाथी** : एक ही खण्ड में एक ही दर रखी जा सकेगी और उन स्थानों पर जहां जल विद्युत नहीं जाती और केवल तापीय विद्युत उपलब्ध है लाभ हो सकता है।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या सरकार का विचार है कि खंड विद्युत विकास योजनाओं से पर्याप्त लाभ होगा ?

†**श्री हाथी** : हमें यह आशा है ?

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या इस बारे में कोई अस्थायी निश्चय किया जायेगा कि कौन राज्य किस खंड में रहेगा ?

†**श्री हाथी** : कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है परन्तु राज्यों को विभिन्न खण्डों में रखने पर विचार किया जा रहा है। हम दक्षिण खंड से आरम्भ कर रहे हैं।

†**श्री सिंहासन** सिंह : परीक्षण में कितना समय लग गया है और यह कब समाप्त होगा ?

†**श्री हाथी** : अध्ययन १९५८ में आरम्भ किया गया था। मेरा विचार है कि हम तृतीय योजना में आरम्भ करेंगे।

†**श्री तंगामणि** : क्या दक्षिण खंड ने 'कामन ग्रिड' को यथाशीघ्र बनाने की सिफारिश की है और क्या वह बात भी अध्ययन का विषय है या यह द्वितीय योजना में ही लागू हो जायेगा ?

†**श्री हाथी** : यह भी अध्ययन किया जायेगा।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या सरकार का विचार समूचे देश में विद्युत का समाहार कर के उस का एक मूल्य निश्चित करने का है ?

†**श्री हाथी** : मुख्य प्रश्न का यही उत्तर दिया गया है।

डीजल रेलवे इंजन

+

†*१३४. **श्री सुब्बया अम्बलम्** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री अरबिन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीजल इंजन बनाने के लिये आर्डर देने के बारे में तब से अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं, प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय किया जा रहा है ।

(ख) तीन देशी फर्मों को जो इस प्रकार हैं (१) मेसर्स टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग कम्पनी, (२) मेसर्स टेक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन और (३) मेसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज़ ; विदेशी फर्मों के सहयोग से डीज़ल इंजन बनाने के लिये चुना गया है । मूल्य आदि का ब्योरा अभी तय होना है ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या डीज़ल इंजनों की हमारी आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है । यदि हां, तो कितने इंजनों के लिये आर्डर देने की संभावना है ?

†**श्री शाह नवाज़ खां** : हम ने तृतीय योजना काल की आवश्यकता का अनुमान लगाया है । मोटे तौर से यह संख्या ५७७ होगी । प्रारम्भिक आर्डर देने के बारे में अभी बात-चीत चल रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इन फर्मों ने मूल्य उद्धृत किया है वह आयात किये गये इंजनों से कम है और इन फर्मों में उत्पादन कब से आरम्भ होने वाला है ?

†**श्री शाह नवाज़ खां** : इस अवस्था में कुछ नहीं बताया जा सकता ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : सरकार ने इसे गैर सरकारी क्षेत्र में आरम्भ करने के बजाय सरकारी क्षेत्र में इन का निर्माण क्यों नहीं करती ? चित्तरंजन कारखाने का विकास कर के अथवा अन्य किसी स्थान पर इन का निर्माण किया जा सकता था फिर इसे गैर सरकारी क्षेत्र को क्यों सौंप दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : पिछली बार भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है । निश्चय यह किया गया था कि इसे गैर सरकारी क्षेत्र में आरम्भ करना लाभदायक होगा । जहां तक चितरंजन कारखाने के विस्तार का सम्बन्ध है, मैं पहले ही सदन को बता चुका हूं कि चितरंजन में विद्युत् चालित इंजनों का निर्माण आरम्भ करने का विचार है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या बड़ी लाइन और मीटर लाइन के सेक्शनों के सम्बन्ध में कोई अनुपात निर्धारित किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : सामान्यतया स्थिति उत्पन्न होने पर इस प्रकार का अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है । जब भी किसी लाइन पर भाप से चलने वाली गाड़ियां चरम सीमा तक पहुंच जाती ने, तो उस अवस्था में हमें नयी गाड़ियों को डीज़ल से या बिजली से चलाना पड़ जाता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : डीजल इंजनों का निर्माण करने वाली तीन फर्मों के नामों का उल्लेख किया गया है । क्या वे सभी फर्मों निर्माण का ही कार्य करेंगी अथवा उन में एक या दो फर्मों पुर्जों को जोड़ने का भी काम करेंगी और यदि हां, तो उन में से कौन कौन सी फर्म निर्माण का कार्य करेगी ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमारी इच्छा यही है कि सम्पूर्ण डीज़ल इंजनों का निर्माण हमारे देश में किया जाये । प्रारम्भ में कुछ एक पुर्जों का आयात करना पड़ेगा, परन्तु इच्छा यही है कि कुछ समय के उपरान्त ही सम्पूर्ण जनों तथा डीजल इंजनों का निर्माण अपने देश में ही प्रारम्भ कर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : माननीय उपमंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के अतिरिक्त मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उन में से कोई भी फर्म केवल पुर्जे जोड़ने का काम नहीं करेगी। उन सभी फर्मों का काम इंजनों का निर्माण करना है । प्रारम्भ में कुछ प्रतिशत तक पुर्जों का आयात करना पड़ेगा, परन्तु वास्तव में मंशा यही है कि दो वर्ष के अन्दर अन्दर शतप्रतिशत लोकोमोटिव इंजनों और पांच वर्षों के अन्दर अन्दर शतप्रतिशत इंजनों का निर्माण इस देश में ही होने लग पड़े ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मध्य प्रदेश को हीराकुड से बिजली का सम्भरण

†*१२५. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने हीराकुड नियंत्रण बोर्ड की इस सिफ़ारिश पर कि १९६१ के अन्त तक हीराकुड से मध्य प्रदेश को ५००० किलोवाट बिजली संभरित की जाये, कोई और कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हीराकुड नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशें अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पेराम्बूर का सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना

†*१३१. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर में स्थायी यूनिटों के निर्माण पर अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ख) क्या इस कार्य को गति देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जनवरी, १९६० तक ६३.३० लाख रुपये ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजना तो नहीं है ।

कृषि उत्पादन के लिए आणविक आइसोटोप

†*१३२. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिये आणविक आइसोटोप्स के निर्माण के सम्बन्ध में एक परियोजना प्रारम्भ की गयी है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) क्या उस के लिये किसी विदेश से सहयोग मिलेगा ; और यदि हां, तो कैसा सहयोग मिलेगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : इस प्रश्न का उत्तर यथासमय प्रधान मंत्री द्वारा दिया जायेगा ।

'एस० एस० सीस्टेन' में भारतीय नाविकों की मृत्यु

†*१३५. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री प्रभातकार :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष 'एस० एस० सीस्टेन' नामक ब्रिटिश जलयान में जो ४५ भारतीय नाविकों की मृत्यु और पांच अन्य कर्मचारी घायल हो गये थे, उस दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उस पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) क्या उन घायल व्यक्तियों को तथा मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर अदा कर दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी, हां ।

भारत में विद्युत अनुसन्धान संस्थायें

†*१३६. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री वि० दास गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनस्को में भारत में कोई विद्युत अनुसंधान संस्था स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी संस्थायें और कहां कहां पर ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी नहीं। परन्तु यूनेस्को में बंगलौर में एक विद्युत अनुसंधान संस्था और भोपाल में एक स्विचगीयर प्रयोगशाला की स्थापना में सहायता देने का निर्णय किया है।

ज्वालापुर के निकट गाड़ी में छुरा मारने की दुर्घटना

†*१३७. **श्री सै० अ० मेहदी :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ जनवरी, १९६० को ज्वालापुर के निकट गाड़ी में एक चपरासी को छुरा मार कर उसे गाड़ी से बाहिर फेंक दिया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उस दुर्घटना की जांच की गयी थी तो उस जांच की उपपत्ति क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). १३-१-१९६० को प्रिंसिपल ओक ग्रोव स्कूल झारीपली (उत्तर रेलवे) का चपरासी श्री माधो सिंह, पैदल चलता हुआ पथरी स्टेशन पर पहुंचा और उस ने सहायक स्टेशन मास्टर से यह रिपोर्ट की कि जब वह हरद्वार से ४२ डाउन मसूरी एक्सप्रैस में दूसरी श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था तो ज्वालापुर और पथरी स्टेशनों के बीच उस किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने आक्रमण कर दिया और उसे घायल कर के उस से २५ रुपये छीन कर उसे गाड़ी से बाहर फैंक दिया गया।

उस सहायक स्टेशन मास्टर ने सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचित कर दिया। सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३९४/३०७ के अधीन एक मामला दर्ज कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

रासायनिक उर्वरक

†*१३८. **श्री हेम राज :**
श्री सुब्बया अम्बलम :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५९-६० में अभी तक देश में कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरक का उत्पादन दन किया जा चुका है ;

(ख) १९५९ में फसलों के लिये कितनी मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता थी ;

(ग) १९५९ में कितनी मात्रा में उर्वरक का आयात किया गया था ;

(घ) १९६० में कितनी मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता होगी ;

(ङ) १९६० में लगभग कितनी मात्रा में उर्वारक का निर्यात किया जायगा ; और

(च) १९६०-६१ में लगभग कितनी मात्रा में उर्वरक का आयात किया जायगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (च). रासायनिक उर्वरकों की वसूली तथा वितरण का कार्य वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९५९-६० और १९६०-६१ के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के गांवों में मकान बनाना

*१३९. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास अधिकरण दिल्ली के ग्रामीणों को मकान बनाने से रोक रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये मकान ग्राम कीं सीमा (लाल डोरे) में हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार नोटिस देने का क्या कारण हैं ; और

(घ) ३१ जनवरी, १९६० तक दिये गये नोटिसों की संख्या क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ के अधीन "विकास क्षेत्र" घोषित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गावों के निवासियों को दिल्ली विकास अधिकरण बिना अनुमति प्राप्त निर्माण-कार्य रोकने को कह रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली विकास अधिकरण की कार्यवाही दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ के प्रावधानों के अनुसार है।

(घ) ३१ जनवरी, १९६० तक दिये गये नोटिसों की संख्या ९६ है।

तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना

†*१४०. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और मैसूर की सरकारों ने तंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना की प्रथम प्रावस्था की कार्यान्वित के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपनी योजनायें पेश कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न-उत्पन्न नहीं होता।

चम्बर परियोजना

*१४१. **श्री खादीवाला :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल परियोजना के कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कब तक बिजली और सिंचाई के लिये जल लोगों को दिया जा सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

विवरण

(क) (१) **मध्य प्रदेश**

चम्बल परियोजना (मध्य प्रदेश का भाग) पर जनवरी १९६० के अन्त तक की प्रगति इस प्रकार है :—

(१) **गांधी सागर बांध**— ८८.४८ प्रतिशत चिनाई तथा कंक्रीट का कार्य पूरा हो गया है।

(२) **गांधीसागर बिजली घर** : गांधीसागर बिजली घर पर चिनाई तथा कंक्रीट का कार्य प्रायः समाप्त हो गया है। पहले बिजली उत्पादन यंत्र की अगस्त १९६० तक, दूसरे की नवम्बर, १९६० तक और तीसरे की फरवरी १९६१ तक चालू हो जाने की आशा है। चौथे यंत्र के लिये आर्डर दे दिया गया है और उसके १९६० के अन्त तक आ जाने की आशा है।

(३) **पारेषण प्रणाली (ट्रांसमिशन सिस्टम)** : गांधीसागर बिजली घर से उज्जैन तक बिजली पहुंचाने के लिये पारेषण पथों (त्रिगुण परिपथ) से सम्बन्धित कार्य प्रायः समाप्त हो गया है। दूसरे पारेषण पथों पर कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(४) दाई मुख्य नहर (जो कोटा बराज से निकलती है) जिससे मध्य प्रदेश में भूमि की सिंचाई होगी, पर मिट्टी के कार्य का ४२.५४ प्रतिशत चट्टान कटाई का ७९.८३ प्रतिशत तथा चिनाई कार्य का ४२.२८ प्रतिशत भाग समाप्त हो गया है।

(२) **राजस्थान** :

परियोजना के राजस्थान से सम्बन्धित भाग में दिसम्बर १९५९ के अन्त तक की प्रगति नीचे दी गई है :—

(१) **कोटा बराज** : फाटक लगाने के कार्य को छोड़कर, लगभग सारा कार्य समाप्त हो गया है। यह कार्य संतोषजनक प्रगति कर रहा है और उसके १९६० की खरीफ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

(२) **मिट्टी बांध** : प्रायः सारा कार्य समाप्त हो गया है।

(३) **पारेषण प्रणाली** : समस्त पारेषण पथों पर विस्तृत मार्ग सर्वेक्षण (रूट सर्वे) समाप्त हो गया है। सवाईमाधोपुर से जयपुर तक १३२ के०वी० पारेषण पथों को लगाने का कार्य प्रगति कर रहा है। गांधीसागर से सवाईमाधोपुर तक पारेषण पथों के लिये स्तम्भों (टावर्स) के लिये आर्डर दे दिया गया है और उसके लिये आवश्यक इस्पात का ९० प्रतिशत भाग प्राप्त हो गया है। कोटा से

†मूल अंग्रेजी में

अजमेर और नीमच से उदयपुर तक पारेषण पथों के लिये स्तम्भों (टावर्स) बनाने का आर्डर दिया जा रहा है। इन पारेषण पथों को पूरा करने के लिये इस्पात प्राप्त करने का कार्य प्रगति कर है। अधिकतर आवश्यक बिजली के साजसामान के लिये आर्डर दे दिये गये हैं।

(४) दाई मुख्य नहर पर मिट्टी के काम का ९६.५८ प्रतिशत चट्टान कटाई का ९३.२२ प्रतिशत और चिनाई तथा कंक्रीट डालने के कार्य का ९७.९७ प्रतिशत भाग पूरा हो गया है।

(५) बाई मुख्य नहर पर मिट्टी के काम का ९८.३५ प्रतिशत, चट्टान कटाई का ९५.७४ प्रतिशत और चिनाई तथा कंक्रीट डालने के कार्य का ९५.९८ प्रतिशत भाग पूरा हो गया है।

(ख) अगस्त १९६० से बिजली और १९६० की खरीफ से पानी मिलने की आशा है।

रेलवे के लिए खराब स्लीपर

†*१४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब स्लीपर संभरित करने वाली विदेशी फर्म से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) फर्म ने यह उत्तर दिया है कि इन त्रुटियों का कारण यह है कि उन स्लीपरों को सुखाये जाने आदि की व्यवस्था करने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया था।

(ग) उस फर्म के उक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया गया है और उससे कहा गया है कि वे संविदा के करार की शर्त के अनुसार उन स्लीपरों को बदल दें।

दिल्ली को मास्टर प्लान का पता लग जाना

*१४३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वैं० च० मलिक :
श्री पांगरकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने नगर योजना संगठन द्वारा तैयार किये गये दिल्ली के मास्टर प्लान के कथित पता लग जाने के बारे में जांच को पूरा करने के पश्चात् रिपोर्ट दे दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) जी नहीं । इस विषय में अभी जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

रेल गाड़ियों में आकाशवाणी के समाचारों का प्रसारण

†*१४४ **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री ९ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती हुई गाड़ियों में आकाशवाणी के समाचारों के प्रसारण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वप्रथम इस की व्यवस्था किस किस गाड़ी में की जायेगी ; और

(ग) इसके लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी, हां । यह निर्णय किया गया है कि तजरबे के तौर पर हावड़ा—नई दिल्ली—मद्रास के बीच चलने वाली वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों के एक डिब्बे में जिस में जन सम्बोधन प्रणाली की व्यवस्था होगी आकाशवाणी के समाचार सुनाने तथा संगीत सुनाने की व्यवस्था की जाये ।

(ग) इस नयी व्यवस्था पर कुल खर्च लगभग १००० रुपये होगा । इसमें 'जन सम्बोधन प्रणाली' पर आने वाला खर्च सम्मिलित नहीं है ।

दिल्ली के लिए जल संभरण

†*१४५ **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने पंजाब सरकार से निवेदन किया है कि दिल्ली में जल संभरण की व्यवस्था को स्थिर रखने के लिये पश्चिमी यमुना नहर से कुछ पानी दे दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :(क) जी, हां ।

(ख) मामला पंजाब सरकार के विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का पुनर्गठन

†*१४६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पुनर्गठन की योजना को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी

†१०९. **श्री प्रमथ नाथ बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नयी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये और क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) क्या शेष सभी रिक्त स्थान भरे जा चुके हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). नवम्बर,, १९५९ में दिल्ली और नई दिल्ली के चार सरकारी अस्पतालों में मेडिकल अफसरों के ११ स्थान खाली थे । जनवरी, १९६० तक इनमें से ७ स्थान भर दिये गये थे । परन्तु इस अवधि में चार और स्थान खाली हो गये । इस प्रकार से इस समय कुल ८ स्थान खाली हैं । उनमें से एक स्थान को भरना स्थगित कर दिया गया है और एक स्थान के लिये नियुक्ति पत्र भेज दिया गया है । शेष स्थानों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

चीन की छोटी सिंचाई योजनाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन

†११०. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री कर्णी सिंह जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की छोटी सिंचाई योजनाओं तथा वहां की भूमि संरक्षण पद्धति के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये वहां जो भारतीय दल गया था, उसकी रिपोर्ट के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से उनके विचार प्राप्त हो गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने उस दल की सिफारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). बम्बई सरकार ने सूचित किया है कि वह तृतीय पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को निर्धारित करते समय इस रिपोर्ट में दी गयी रिफारिशों को ध्यान में रखेगी। शेष राज्य सरकारों से अभी उत्तर नहीं आये हैं।

आसाम सरकार को ऋण

†१११. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने आसाम में बिजली से रेलगाड़ियां चलाने के लिये विद्युत संभरण का खर्च पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गयी है ; और

(ग) यदि कोई राशि मंजूर नही की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आसाम में किसी भी लाइन पर बिजली से गाड़ी चलाने का कार्यक्रम अभी तक नहीं बनाया गया है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में नींबू आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान

†११२. श्री इंद्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के उद्यान औद्यानिकी विभाग[1] द्वारा विभिन्न नींबू प्रजातीय फलों (citrus fruits) के सम्बन्ध में कैसी खोज की जा रही है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का औद्यानिकी विभाग अप्रैल, १९५६ में स्थापित किया गया था। गत चार वर्षों में देश में उपलब्ध नींबू प्रजातीय फलों की विभिन्न किस्मों को इकट्ठा करने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया है। इस समय ४३ किस्म की मीठी नारंगियों २० किस्म की छोटी नारंगियों और ३१ किस्म के अन्य नींबू प्रजातीय फलों के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है और विदेशों से भी और अधिक फल इकट्ठे किये जा र हैं। इन किस्मों तथा देश में उपलब्ध अन्य किस्मों के फलों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है ताकि विभिन्न फलों की किस्मों के सम्बन्ध में कोई भ्रम न रहे। ३१ विभिन्न फलों के सम्बन्ध में विशेष रूप से अध्ययन किया जा रहा है जिससे उन्ह मूल-स्टाक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Horticultural Division.

विकास चक्र, पुष्पोदय का रूप और छोटी नारंगी, मीठे नीबू और मीठी नारंगी की उत्पत्ति सम्बन्धी प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन किया जा रहा है ताकि इनकी अधिक और अच्छी उपज की जा सके। परिवर्तन के द्वारा नयी किस्मों का निर्माण करने के लिये विभिन्न प्रकार के रेडियेशन का इस्तेमाल करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। मीठे नींबू में मिठास बढ़ाने की दृष्टि से पौधा नियामक रसायन लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं।

उक्त सभी अनुसंधान कार्य अभी जारी है और उनमें विभिन्न स्तरों तक प्रगति हुई है। आगामी पांच वर्षों में उनका परिणाम ज्ञात होगा।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के क्षेत्र विद्या विभाग[1]

†११३. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली के क्षेत्र विद्या विभाग में गेहूं का अधिकतम तथा न्यूनतम उत्पादन कितना हुआ था?

(ख) गत दस वर्षों में उक्त खेत में गैर प्रयोगात्मक प्लाटों में औसतन कितना उत्पादन किया गया था; और

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) गत दस वर्षों में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में गेहूं के अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन के आंकड़े निम्न लिखित हैं :—

(आंकड़े प्रति एकड़ मनों में)

वर्ष	अधिकतम	न्यूनतम (गेहूं अधिकांशत: प्रयोगात्मक प्लाटों में उगाई जाती है)	औसत उत्पादन
१९४९–५० .	४२.५०	९.६०	२०.४०
१९५०–५१ .	३७.००	६.१०	१९.००
१९५१–५२	३०.०५	५.८०	९.७४
१९५२–५३ .	३१.२०	७.००	१८.९०
१९५३–५४ .	२७.३५	१०.७५	१६.६६
१९५४–५५ .	३२.४५	१४.८०	२१.६७
१९५५–५६ .	३८.३५	७.००	२१.५७
१९५६–५७ .	२९.४५	४.७०	११.३०
१९५७–५८ . .	३०.००	९.५०	१५.९०
१९५८–५९ . . .	३५.५०	८.००	१८.७०

(ख) अभी तक किसी भी क्षेत्र में गेहूं की सामान्य फसल नहीं बोई गई है। प्रतिवर्ष राज्यों तथा किसानों में वितरण करने के लिये नयी लाभदायक एन० पी० किस्म के बीजों के लिये २ से ३ एकड़ के प्लाटों में कुल करीब १० एकड़ भूमि में बीज बोये जाते हैं। इस क्षेत्र से होने वाली फसल को उक्त आंकड़ों में सम्मिलित कर लिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Agronomy Division.

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था, शिमला

†११४. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आलुओं में लगने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण रोगों के सम्बन्ध में केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था, शिमला ने किसानों से क्या सिफारिश की हैं, और

(ख) इस संस्था ने पिछले वर्ष में किस किस प्रकार के अनुसन्धान किये हैं और उन के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४१]

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का कीट-शास्त्र डिवीजन[1]

†११५. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में गेहूं, चावल और जौ में लगने वाले कीड़ों के सम्बन्ध में १९५९-६० में नयी दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के कीट-शात्र विभाग ने किस प्रकार की जांच की है;

(ख) इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) देश के विभिन्न प्रदेशों के किसानों से क्या सिफारिशें की गयी हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) चावलों में लगने वाले कीड़ों के बारे में कटक की केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था और चावल पैदा करने वाले राज्यों के विभिन्न कीट-शास्त्र विभागों द्वारा गहन अनुसन्धान कार्य किया जाता है । भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के कीट-शास्त्र विभाग में केवल चावलों के बीजों को कृमि नाशकों के उपयोग द्वारा सुरक्षित रखने के बारे में आधारभूत अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है ।

गेहूं और जौ में मुख्य रूप से खेतों में कीड़े नहीं लगते । केवल असिंचित क्षेत्रों में गेहूं में दीमक लग जाती है जौ में भी कभी कभी दीमक लग जाती है । नई दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के कीट-शास्त्र विभाग में आधुनिक जीव-विषयक कृमि नाशकों के खेतों में उपयोग द्वारा दीमक पर नियंत्रण करने के बारे में अनुसन्धान किया जा रहा है ।

खत्तियों में रखे गेहूं और जौ में Trogoderma granarium, Rhizopertha dominica और Calandra Oryazae आदि कीड़े लग जाते हैं (क) कृमि नाशकों के उपयोग तथा गोदामों में रखनेके सुधरे हुए तरीकों से गेहुंओं को कीड़ा लगने से मुक्त रखने के उचित तरीकों, (ख) कृमि नाशकों द्वारा इन कीड़ों को नियंत्रण में रखने, (ग) इन कीड़ों पर नियंत्रण के लिये गोदामों में छिड़के जाने वाले कृमि नाशकों के गेहूं द्वारा सोख लिये जाने वाले अंश के परिमाण और (घ) गेहूं के पौधों के खाये जाने वाले अंश के दवा मिश्रित भूमि में से दवाओं के सोखे जाने अथवा अन्न के संक्रमण संबंध में अनुसंधान कार्य चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Entomology Division.

(ख) डिवीजन में ग्राम्य परिस्थितियों में गेहूं को गोदामों में रखने के लिये गोदामों का एक सुधरा हुआ ढांचा विकसित किया गया है ।

(ग) प्राप्त परिणामों को गहन परीक्षणों के बाद कृषकों को बता दिया जायेगा ।

पंजाब में चावल की खरीद

†११६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ फरवरी, १९६० तक की वसूली की अवधि में पंजाब में चावल और धान खरीदने के लिये केन्द्र ने कितना धन व्यय किया है; और

(ख) १ नवम्बर, १९५९ से १ फरवरी, १९६० तक केन्द्र द्वारा अथवा उस की ओर से प्रत्येक राज्य में कितना कितना चावल औरप्धान खरीदा गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) १-१०-१९५९ से १-२-१९६० तक के खरीफ वसूली सीजन में पंजाब में चावल खरीदने में केन्द्र ने लगभग ४.५७ करोड़ रुपये व्यय किये हैं ।

(ख) १ नवम्बर, १९५९ से १ फरवरी, १९६० तक विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा अथवा उस की ओर से खरीदे एवं पहुंचाये गये चावल और धान का ब्यौरा निम्नलिखित है: —

राज्य का नाम	परिमाण (हजार टनों में)	
	चावल	धान
आन्ध्र प्रदेश	४.४	
मध्य प्रदेश	१७४.६	..
उड़ीसा	३७.९	१९.००
पंजाब	८१.१	..
जोड़ . . .	२९८.०	१९.००

जापान से जहाजों की खरीद

†११७. **श्री दी०चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान से जहाज खरीदने में शेष ३.११ बिलियन येनों का उपयोग करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: सिन्धिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी ने अब एक रिपीट शिप के लिये आर्डर दिया है और नौवहन विकास निधि से रुपयों में ऋण मांगा है। यह ऋण देने का प्रश्न वचाराधीन है। यदि सरकार सिन्धिया कम्पनी का अनुरोध मान ले तो नौवहन के लिये आवंटित पुनरीक्षित येन-ऋण का पूर्ण उपयोग हो जायेगा।

बाढ़ नियंत्रण

†**११८. श्री गोरे** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाढ़ नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने राज्य सरकारों से प्रत्येक नदी की बेसिन के विषय में व्यापक योजनायें तैयार करने के लिये लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्य सरकारों ने अपनी योजनायें भेज दी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित राज्य सरकारों ने **बाढ़ नियंत्रण** के लिये दूरव्यापी योजनाओं की रूप रेखा तैयार की हैं :

(१) आन्ध्र प्रदेश

(२) आसाम

(३) बिहार

(४) जम्मू तथा काश्मीर (काश्मीर घाटी के लिये मास्टर प्लान तथा जम्मू के लिये बहि:रेखा योजना)

(५) केरल (भावी प्रस्तावों संबंधी केवल एक टिप्पण)

(६) पंजाब (केवल द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये)

(७) उड़ीसा (द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद के १५ वर्षों के लिये)

(८) उत्तर प्रदेश

(९) पश्चिमी बंगाल (केवल निम्नलिखित नदियों के ही लिये)

क. तीसता

ख. टोर्सा

ग. रायडक

घ. महानद

ङ. भागीरथी—हुगली

च. जलढाका

राज्य सरकारों से अपनी दूर व्यापी बहि:रेखा योजनाओं को उच्चस्तरीय बाढ़ संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर फिर से बनाने का अनुरोध किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान के गांवों में बिजली लगाना

†११९. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने १९५९–६० की गांवों में बिजली लगाने की योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). राजस्थान सरकार से इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है ।

अखिल भारतीय सड़क विकास योजना

†१२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बीच १९६१—८१की दीर्घकालीन अखिल भारतीय सड़क विकास योजना पर विचार कर लिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** विचार अभी पूरा नहीं हुआ है । फिर भी, इस मसले पर कोई निर्णय होने के समय तक के लिये राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली योजनायें तैयार करने के लिये भारत में सड़कों के विकास (१९६१—८१) के बारे में चीफ इंजीनियर में उल्लिखित प्राथमिकताओं के क्रम का ही मोटे तौर पर पालन करें ।

प्रादेशिक तथा राज्य जल मल प्रवाह बोर्ड

†१२१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक तथा राज्य जल मल प्रवाह बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** प्रादेशिक तथा राज्य जल-मल प्रवाह बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव अब भी १० राज्य सरकारों के विचाराधीन है । मैसूर-सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर सरकारों के उत्तर की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है ।

खाद्य उत्पादन के बारे में फोर्ड फाउन्डेशन की सिफारिशें

†१२२. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने फोर्ड फाउन्डेशन के खाद्य उत्पादन संबंधी दल की इस आशय की सिफारिशों पर विचार कर लिया है कि अधिक अन्न उपजाने के लिये स्पष्ट निदेश और कार्य करा सकने के अधिकारयुक्त एक दूरगामी केन्द्रीकृत प्राधिकार की स्थापना की जानी चाहिये ताकि खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता प्रदान करने वाले नीति संबंधी निर्णयों को तत्काल लागू किया जा सके ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** यह सिफारिश अब भी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टेशनों पर सेफ़ डिपाजिट लॉकर

†१२३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री ३ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन स्टेशनों के बारे में अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है जिन पर सेफ़ डिपाजिट लॉकर लगाये जाने वाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वह कौन-कौन से स्टेशन हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) और (ख). तीस लॉकर प्राप्त किये जा रहे हैं और उन्हें विभिन्न रेलवेओं में निम्नलिखित प्रकार से बांट डिया जायगा ।

रेलवे	लॉकरों की संख्या
उत्तर	५
मध्य	५
पूर्व	५
दक्षिण	४
पश्चिम	४
दक्षिण पूर्व	३
पूर्वोत्तर	२
पूर्वोत्तर सीमा	२
	३०

उन स्टेशनों का, जिन पर ये लॉकर लगाये जायेंगे निर्णय संबंधित रेलवे प्रशासन प्राखंडिक रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से निर्णय करेंगे ।

रेलवे दुर्घटना बचाने के लिए पुरस्कार

†१२४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १२ नवम्बर, १९५९ को कटिहार जाने वाली जोगबनी पैसेंजर गाड़ी की दुर्घटना बचाने के लिये गांव वालों को पुरस्कार देने के संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** १२-११-१९५९ को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कस्बा और पूर्णिया स्टेशनों के बीच जोगबनी कटिहार पैसेंजर ट्रेन को रोकने के निमित्त गाड़ी के ड्राइवर का ध्यान आकृष्ट करने में पहल करने के लिये (पूर्णिया जिले के) श्री भूतरा को पुरस्कृत करने के लिये १००) रु० मंजूर किये गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी

†१२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना के बारे में इस बीच राज्य सरकारों तथा अन्य निकायों के विचार प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थय मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). कुछ अधिक प्रगति नहीं हुई है । अनेक राज्यों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य निकायों ने अभी कुछ भो विचार व्यक्त नहीं किये हैं । अब तक जो उत्तर आये हैं उन से भी विचार भिन्नता प्रकट होतो है ।

आदर्श नगर आयोजन विधान

†१२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श नगर-आयोजन विधान को अन्तिम रूप प्रदान करने में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: केन्द्रीय प्रादेशिक तथा नगरीय आयोजन संगठन विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त टिप्पणों के आधार पर आदर्श नगर आयोजन विधान के मसौदे का पुनरोक्षण कर रहा है । पुनरीक्षित विधान की रूपरेखा तो तैयार हो गयी है, परन्तु भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, और अन्तरिम नियंत्रण आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धारायें, जिनकी वैधानिक दृष्टिकोण से और भी छानबीन जरूरी है, इस समय उस संगठन द्वारा तैयार की जा रही हैं ।

राज्य भाण्डागार व्यवस्था निगम

†१२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर के संबंध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य भाण्डागार व्यवस्था निगमों ने अपने अपने राज्यों में भाण्डागारों के निर्माण की योजनायें बना ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सभी निगमों के लिये एक संयुक्त स्वतः बीमा योजना और एक समान निर्माण अभिकरण की स्थापना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना के ब्योरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ग) इन मसलों पर राज्य भाण्डागार-व्यवस्था निगमों से लिखा पढ़ी चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास तथा मैसूर के बीच अन्तर्राज्यिक नदी विवाद

†१२८. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सुब्बया अम्बलम्

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के संबंध में मद्रास और मैसूर राज्यों को बीच चल रहे अवशिष्ट विवादों को तय कराने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी अथवा की जाने वाली है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: मई, १९५९ में मद्रास तथा मैसूर राज्यों से अन्तर्राज्यिक सम्मेलन में विचारार्थ संबंधित आंकड़े देने का अनुरोध किया गया था। आंकड़े एकत्र करने तथा मद्रास तथा मैसूर राज्यों की सरकारों से विवाद के ब्योरे के बारे में चर्चा करने के लिये केन्द्रीय जल-विद्युत आयोग एक सदस्य ने भी मद्रास तथा बंगलौर की यात्रा की थी। उन्होंने जून, १९५९ में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इन चर्चाओं के फलस्वरूप दोनों राज्य सरकारों से कुछ बातों के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकारों से कुछ जानकारी आने की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है और इसके आते ही इस मसले पर आगे और गौर किया जायगा और यदि आवश्यकता हुई तो इस विवाद को निबटाने के लिये एक अन्तर्राज्यिक सम्मेलन भी बुलाया जायगा।

सिंचाई की क्षमता

†१२९. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री सिंचाई की क्षमता विषयक १७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों के संबंध में भेजी गयी सूचनाओं के अनुसार देश में सिंचाई की कितनी क्षमता का इस समय देश में उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) इन अधिकारियों ने अपने प्रतिवेदन में जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) कितनी राज्य-सरकारों ने इन सिफारिशों को मान लिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ग) विशेष पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर उचित कार्यवाही के लिये उन की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया गया है क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास करने के लिये राज्य-सरकारें ही उत्तरदायी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य उत्पादन

†१३०. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक बार अनाज पैदा कर लेने के बाद भूमि को खाली छोड़ देने की पद्धति के स्थान पर बारी बारी से अनाज और दालें पैदा करने की पद्धति के बारे में कुछ प्रयोग किये गये हैं ; और

(ख) क्या अनाज का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से इन प्रयोगों के सन्तोषप्रद परिणाम निकले हैं ?

†**कृषि [redacted]मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी हां। पहले कई प्रयोग किये जा चुके हैं और कुछ अब भी किये जा रहे हैं।

(ख) जी हां। इन प्रयोगों के सन्तोषप्रद परिणाम निकले हैं क्योंकि बारी-बारी से चावल-चना अथवा मटर (और कभी कभी मसूर) पैदा करते की पद्धति आंध्र, उड़ीसा, बम्बई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में, और गेहूँ-अरहर की पद्धति बम्बई और मद्रास में उपयुक्त पायी गयी है। इसी प्रकार, बारी बारी से ज्वार-चना पैदा करने के आन्ध्र, बम्बई और पंजाब राज्यों में अच्छे परिणाम हुए हैं। ये फस्लें बारी बारी पैदा करने के फलस्वरूप न सिर्फ मुख्य अनाज की फसल बढ़िया होती है, वरन् उसके बाद पैदा की जाने वाली दाल की फसल से अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था के हाल के प्रयोगों ने दिखा दिया है कि मूंग की फसल के बाद लगायी गयी चावल की फसल से मूंग की पैदावार के अलावा चावल की फसल १७ प्रतिशत अधिक होती है।

टेल्को के इंजनों का मूल्य नियत करने के लिये पंच

†१३१. { **श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) टेल्को के इंजनों का मूल्य नियत करने के लिये नियुक्त पंच ने अपनी नियुक्ति के बाद कितनी बैठकें की हैं ;

(ख) वह कितने महीने बीमार और बैठकें बुलाने में असमर्थ रहे ;

(ग) अब तक उन्हें कुल कितनी राशि का भुगतान कितनी बैठकों के संबंध में किया गया है ;

(घ) ये बैठकें कब और किन किन स्थानों पर हुई थीं ; और

(ङ) कितनी राशि उन्हें यात्रा भत्ते के रूप में भुगतायी गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) पंच ने अपनी नियुक्ति के पश्चात् कुल मिला कर ५१ बैठकें की हैं।

(ख) पंच लगभग चार महीने बीमार रहे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) पंच को ५१ बैठकों के शुल्क के रूप में रेलवे के अंश के कुल मिलाकर ११,८१५ रुपये दिये गये हैं, टेल्को को भी इतनी ही राशि देनी है।

(घ) ये सभी बैठकें कलकत्ते में ही हुईं हैं।

(ङ) पंच को कुछ भी यात्रा-भत्ता नहीं दिया गया क्योंकि ये सभी बैठकें लगातार कलकत्ते में ही हुई थीं।

कुष्ठ रोग

†१३२. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री हाल्दर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को दिसम्बर, १९५९ में बम्बई में हुए सातवें अखिल भारतीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यकर्ता सम्मेलन में की गयी सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) सरकार कुष्ठ रोग के नियन्त्रण के लिये तात्कालिक नीति और एक व्यापक दीर्घकालीन योजना तैयार करने में किस हद तक सफल रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारत सरकार को सातवें अखिल भारतीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यकर्ता सम्मेलन में की गयी सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं।

(ख) और (ग). सातवें अखिल भारतीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यकर्ता सम्मेलन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में क्रियान्विति के लिये योजनायें बनायी गयी हैं। ये योजनाएं योजना आयोग द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद क्रियान्वित की जावेंगी।

केसिंगा स्टेशन पर ऊपरी पुल

†१३३. **श्री प्र० के० देव :** क्या रेलवे मंत्री ९ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के केसिन्गा रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल बनाने के लिये स्थान का चुनाव करने और भूमि का अर्जन करने के लिये उड़ीसा सरकार से बातचीत पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और यह कब समाप्त होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं। रेलवे द्वारा प्रस्तावित स्थान का अभी राज्य सरकार ने अनुमोदन नहीं किया है। इसके अनुमोदित हो जाने के बाद राज्य सरकार को नियमों के अनुसार निर्माण-लागत में अपना अंश पूरा करने के लिये धन देना होगा।

(ख) इस प्रक्रम पर यह बताना कठिन है कि यह कार्य कब आरम्भ किया जायगा। यह सब राज्य सरकार पर निर्भर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भवानीपतना में मुख्य डाक-घर की इमारत

†१३४. **श्री प्र० के० देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ण्या कालाहान्डी उड़ीसा के जिला सदर मुकाम, भवानीपतना में एक मुख्य डाक-घर की इमारत बनाने के लिये कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण-कार्य कब आरम्भ किया जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी हां।

(ख) इस समय भूमि अर्जन का प्रस्ताव विचाराधीन है। भूमि के प्राप्त किये जाने और योजना के प्राक्कलन आदि तैयार हो जाने के बाद वास्तविक निर्माण-कार्य आरम्भ किया जायगा। इसमें कुछ समय लगेगा।

सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन परामर्शदात्री समिति

†१३५. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री तंगामणि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन परामर्शदाता समिति की ६ जनवरी, १९६० को नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निश्चय किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]**

दामोदर घाटी निगम की नहरें

†१३६. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में दामोदर घाटी निगम की नहरों के प्रबन्ध-कार्य को पश्चिमी बंगाल की सरकार को हस्तांतरित करने के बारे में अन्तिम रूप से क्या तै किया गया है;

(ख) इन नहरों के प्रबन्ध पर खर्च और इन से प्राप्त राजस्व के अंश को दामोदर घाटी निगम और पश्चिमी बंगाल सरकार किस प्रकार बांटेगी; और

(ग) अपर दामोदर घाटी में जलाशय और बान्ध के प्रबन्ध कार्य और पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में अधिकांशत: नीचे की घाटी में स्थित नहरों में जलाशय से पानी देने के बारे में पश्चिमी बंगाल की सरकार के सिंचाई और जलमार्ग विभाग और दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों के बीच क्या सम्बन्ध रहेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) वर्तमान सूत्रों के अनुसार, दामोदर घाटी निगम द्वारा बनायी गयी नहरें, जिस में नौपरिवहन नहर भी शामिल है, संधारण और चलाने के लिये ३०-६-१९६० तक पश्चिमी बंगाल की सरकार को हस्तान्तरित कर दी जायेगी ।

(ख) दामोदर घाटी निगम और पश्चिमी बंगाल की सरकार अभी इस बात पर विचार कर रही हैं ।

(ग) अपर घाटी में दामोदर घाटी निगम बांधों के संधारण और चलाने का कार्य करता रहेगा । पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त इंडेन्टों के आधार पर सिंचाई के लिये पानी निगम द्वारा हैड रेगुलेटर पर ऊपर से छोड़ा जायेगा । हैड रेगुलेटर के नीचे पानी के वितरण का कार्य पश्चिमी बंगाल सरकार की जिम्मेदारी होगी ।

गाड़ियों में डकैतियां

†१३७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ सितम्बर, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ की अवधि में चलती गाड़ियों में हुए डकैतियों के सब मामलों में जांच पूरी कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस की उपपतियां क्या हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और दंड दिया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं । कुछ मामलों की अभी जांच हो रही है ।

(ख) और (ग). ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(१) १-९-१९५९ से ३१-१२-५९ तक चलती गाड़ियों में डकैती के मामलों की संख्या	३१
(२) जिन मामलों में जांच पूरी कर ली गयी, उन की संख्या	९
(३) जिन मामलों की जांच हो रही है, उनकी संख्या .	२२
(४) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या . .	४
(५) अब तक दंडित/दोषसिद्धि किये गये व्यक्तियों की संख्या .	२

सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति

†१३८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति की मुख्य सिफारिशों में से सरकार द्वारा कौन कौन सी मान ली गयी हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन को क्रियान्वित करने के लिये यदि कोई प्रगति हुई है, तो वह क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति की सिफारिशें मुख्यतः राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं जिन के विचार मांगे गये हैं। राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो जाने पर सिफारिशों को मार्च, १९६० में होने वाली परिवहन विकास परिषद् की अगली बठक में रखा जायेगा।

इन सिफारिशों पर अक्तूबर, १९५९ में हुए राज्य परिवहन आयुक्तों / नियंत्रकों के सम्मेलन में और जनवरी, १९६० में हुई सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन परामर्शदाता समिति की बैठक में भी विचार किया गया था। इन के विचार भी परिवहन विकास परिषद् के समक्ष रखे जायेंगे। इस बैठक के बाद ही सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

संवाददाताओं के लिये प्रेस रूम

†१३९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संवाददाताओं के इस्तेमाल के लिये राजधानी में स्थायी प्रेस रूम स्थापित करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के फैसले का क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) और (ख). केन्द्रीय तार कार्यालय, नई दिल्ली के पब्लिक काउन्टर के साथ एक स्थायी प्रेस रूम स्थापित किया गया है। यह प्रेस रूम ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर अधिक ट्रैफिक की आवश्यकता पूरी करने के लिये है जिस के लिये केन्द्रीय तार कार्यालय का पब्लिक काउन्टर पर्याप्त न हो। इस में प्रेस संवाददाताओं के लिये अपने समाचार लिखने और डैस्क पर देने के लिये सुविधायें हैं। समाचार देने के लिये प्रतीक्षा करने वाले प्रेस संवाददाताओं को सुविधा के अतिरिक्त वहां पर उन को प्रेषित किसी समाचार की डिलीवरी की व्यवस्था भी है।

हिमाचल प्रदेश में फल

१४०. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विदित है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सा फल पकने से पहले गिर जाता है, और इस प्रकार व्यर्थ जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने कुटीर उद्योग का विकास कर के ऐसे फलों को उपयोग में लाने की कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो उस योजना की रूप रेखा क्या है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो, इस के क्या कारण हैं ?

कृषि उप-मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) घरेलू खपत के लिये गिरे हुए और दूसरे घटिया दर्जे के फलों की उपयुक्त वस्तुयें बना कर उन को इस्तेमाल करने के लिये फलों को सुरक्षित रखने के कार्य में लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी तक लगभग ४००० लोग प्रशिक्षत किये जा चुके हैं।

घर और अर्ध-व्यापारिक पैमाने पर विभिन्न फल पदार्थों के बनाने की तकनीकों का स्टेन्डर्ड रखने के लिये एक फ्रूट केनिंग यूनिट को भी चालू कर दिया गया है जिस से फ्रूट उत्पादन क्षेत्रों में लोगों और स्थापित किये गये कम्युनिटी केनिंग सेन्टरों में स्टेन्डरडाईज्ड तकनीकी को सिखाया जा सके।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

बैरकपुर में गाड़ी में डकैती

†१४१. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैरकपुर स्टेशन पर सियालदह-बरौनी पैसेंजर (डाउन) के एक द्वितीय श्रेणी के जनाने डिब्बे में २४ सिदम्बर, १९५९ की रात को एक डकैती हुई थी;

(ख) क्या डिब्बे में जबरदस्ती घुसते हुए बदमाशों ने एक महिला का बटुआ छीन लिया जिस में ३०० रुपये थे;

(ग) क्या उन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मुकदमा चलाया गया है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) जी, हां। यह घटना नैहाती स्टेशन के पास हुई।

(ख) बदमाशों द्वारा छीने गये थैले में ३७० रुपये के नोट थे और कुछ रेजगारी थी।

(ग) २ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच पड़ताल जारी है।

(घ) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(१) सरकारी रेलवे पुलिस ने प्रभावित गाड़ियों में ट्रेन गार्ड की व्यवस्था की है;

(२) कन्डक्टर ट्रेवलिंग टिकट इग्जामिनर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के डिब्बों और जनाने डिब्बों की पूर्ण रूप से जांच करते हैं, विशेष रूप से वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि डिब्बों में चटखनी आदि ठीक हों और बर्थों के नीचे कोई छिपा न हो;

(३) अपराधों को रोकने के लिये रेलवे संरक्षण बल द्वारा राज्य की पुलिस से निकट सहयोग रखा जाता है।

इम्फाल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†१४२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में डाक तथा तार कर्मचारियों को कर्मचारी क्वार्टर दिये जाते हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में क्वार्टरों के बनाने की कोई योजना आरम्भ की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) २ यूनिटों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) भूमि उपलब्ध है और क्वार्टरों के १२ यूनिट बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

हिमाचल प्रदेश में फल उद्योग

१४३. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९-६० में हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने फल उद्योग के लिये अब तक कितना ऋण बांटा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : आवश्यक जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में भांडागार

†१४४. **श्री कांशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कोई भाण्डागार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां पर हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). त्रिपुरा में बहुत से गोदाम हैं परन्तु वहां पर गैर-सरकारी भंडार रखने के लिये केन्द्रीय भांडागार निगम के अधीन कोई भांडागार नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश में जल-विद्युत् परियोजनायें

†१४५. **श्री इ० मधुसुदन राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्रियान्वित की जाने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के क्या नाम हैं ; और

(ख) उन पर अनुमानत: कितना खर्च आयेगा और इन परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं पर खर्च का अनुमान ८८.८९ करोड़ रुपये का लगाया गया है ।

वर्ष १९५६ से १९६० पर दी गयी केन्द्रीय सहायता की राशि निम्न प्रकार है । इसमें १९५९-६० के लिये आंवटन भी शामिल है :

१. नागार्जुनसागर—२४९६ लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

२. विभिन्न विकास योजनायें*—११९० लाख रुपये

३. प्रभावग्रस्त क्षेत्रों के स्थायी रूप से सुधार के लिये कार्यक्रम—३१६ लाख रुपये

जल-नीलारुणा[1]

† १४६. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-नीलारुणाओं को खाद्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में कोई अनुसन्धान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ;

(ग) क्या निश्चित रूप से यह सिद्ध हो गया है कि खाद्य सामग्री के रूप में इसके उपयोग से मानव जीवन पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है ; और

(घ) क्या दिल्ली में हाल ही में हुए विश्व कृषि मेले में इस प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया था ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

सहकारी तथा वैज्ञानिक खेती

†१४७. **श्री म० रा० मुनिस्वामी** : क्या सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) सहकारी खेती और (२) वैज्ञानिक खेती के बारे में चकबन्दी का क्या महत्व है ?

†**सामुदाकि विकास और सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (१) चकबन्दी से नई समितियों के बनाने और विद्यमान समितियों के विकास, दोनों के बारे में सहकारी खेती की उन्नति में सहायता मिलती है । यह विशेषत: तब होता है जब कि सहकारी खेती समिति के एक ग्राम के सब कृषक सदस्य न हों परन्तु केवल कुछ प्रतिशत ही सदस्य हों जिनमें से अधिकांश के भूमि के छोटे छोटे टुकड़े ग्राम के विभिन्न भागों में हों । ऐसे मामलों में, चकबन्दी से सहकारी खेती समिति के सदस्यों को अपने प्लाटों को एक या अधिक खंड में मिलाने में सहायता मिलेगी ।

(२) चकबन्दी का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इधर उधर बिखरे हुए खतों को एक खंड में मिलाया जाये ताकि उनमें उत्पादन अधिक किया जा सके और उनका संचालन अधिक अच्छे ढंग से हो सके । अत: चकबन्दी वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में सहायक होती है क्यों कि इससे खेती में प्रौद्योगिकीय सुधार लागू करने, भूमि सुधार कार्यों अर्थात् कुओं और नालियों के अधिक उपयोग में सहायता मिलती है । इससे बहुत से गलत कार्यों को दूर करने में सहायता मिलती है और भूमि का अच्छे ढंग से और मितव्ययतापूर्ण कृष्यकरण होता है ।

---

*इसमें सिंचाई और विद्युत् योजनायें शामिल हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Water-Hyacinths.

चीनी के कारखाने

†१४८. { **श्री अगाड़ी:**
श्री वोडयार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में चीनी के भिन्न भिन्न कारखानों की गन्ना पेरने की क्षमता कितनी है ;

(ख) १९५८-५९ के मौसम में इन कारखानों में कितना गन्ना पेरा गया ;

(ग) उस मौसम में प्रत्येक कारखाने में चीनी की 'रिकवरी' की औसत प्रतिशतता क्या रही ;

(घ) क्या १९५८-५९ के लिये देय गन्ने का मूल्य 'प्राइस लिंकिंग फार्मूला' के अनुसार फैलाया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त राज्यों में विभिन्न कारखानों द्वारा देय प्रति टन मूल्य का ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(घ) और (ङ). मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में १९५८-५९ के लिये देय मूल्य में यह-यह चीज़ शामिल होगी :

(१) रु० १.४४ प्रति मन न्यूनतम मूल्य 'गेट डिलीबरी के लिये और रु० १.३१ प्रतिमन उन क्रय केन्द्रों पर 'डिलीवरी' के लिये जो रेट द्वारा मिले हुए हों ।

(२) 'प्राइस लिंकिंग फामूला' के अधीन देय पाई गई राशि का आस्थागित भुगतान ।

उपरोक्त (२) के अन्तर्गत देय राशि यदि कोई हो तो, मौसम (सीज़न) के लेखे बंद किये जाने के बाद ही मालूम हो सकेगी ।

बम्बई में 'प्राइस लिंकिंग फार्मूला' राज्य सरकार के कहने पर लागू नहीं किया गया है और १९५८-५९ के मौसम के लिये गन्ने का मल्य (आस्थगित राशि सहित) ४७ रूपये प्रति टन निश्चित किया गया था ।

नंगल बांध स्टेशन

†१४९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में उत्तर रेलवे के नंगल बांध स्टेशन पर कितने यात्री आये और कितने वहां से बाहर गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : १९५९-६० में (१-४-१९५९ से ३१-१-१९६० तक नंगल बांध स्टेशन पर १,६१, ७१५ यात्री आये और १,६५,०४७ यात्री वहां से बाहर गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रिंग रोड, दिल्ली

†१५०. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रिंग रोड बनाने का काम, जो अधूरा पड़ा है, पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) उसे समुचित रूप से मुख्य सड़क से मिलाने में कितना समय लग जायेगा ; और

(ग) बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली नगर निगम मुना बाजार के अनधिकारवासियों को तुरन्त ही स्थायी रूप से मैगजीन रोड पर भेज दे ताकि वहां की जगह खाली हो सके ।

(ख) इस काम के पूरा होने में खाली जमीन का कब्जा मिलने के बाद लगभग ६ महीने लग जायेंगे ।

(ग) विलम्ब का कारण यह है कि अनधिकारवासी उस स्थान को स्वेच्छा से खाली नहीं कर रहे हैं ।

दिल्ली के ग्रामों में बिजली लगाना

१५१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक दिल्ली संघ राज्या क्षेत्र के जिन ग्रामों में बिजली लगाई गई है उनके लिये कितने किलोवाट बिजली मंजूर की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये स्वीकृत भार नीचे दिया गया है :—

ग्राम का नाम	स्वीकृत भार	उद्देश्य
१	२	३
१. शामसपुर .	१.७५ किलोवाट	. प्रकाश तथा पंखों के लिये बिजली
	१.०४ किलोवाट	. गलियों में बिजली
२. अलिपुर .	४७ एच० पी०	. औद्योगिक बिजली
	२.५२ किलोवाट .	. गलियों में बिजली
३. खामपुर .	०.५ किलोवाट	. प्रकाश तथा पंखों के लिये बिजली
	४३.५ एच० पी०	. औद्योगिक बिजली
	१.४ किलोवाट .	. गलियों में बिजली

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३
४. चौखण्डी	०.६४ किलोवाट	गलियों में बिजली
५. चिराग दिल्ली	२७.५ एच० पी०	औद्योगिक बिजली
	२.२ किलोवाट	गलियों में बिजली
६. अधी चीनी	०.६८ किलोवाट	गलियों में बिजली
७. बेगमपुरा	१४५ एच० पी०	औद्योगिक बिजली
	०.६८ किलोवाट	गलियों में बिजली
८. कालू सराय	०.३२ किलोवाट	गलियों में बिजली
९. छत्तरपुर	१.४ किलोवाट	गलियों में बिजली
१०. बदली	१.५ किलोवाट	प्रकाश तथा पंखों के लिये बिजली
	५० किलोवाट	औद्योगिक बिजली
	१.६८ किलोवाट	गलियों में बिजली
११. किलोकरी	१८ एच० पी०	औद्योगिक बिजली
	२.७५ किलोवाट	प्रकाश तथा पंखों के लिये बिजली
१२. लाबसपुर	(विद्युत धारा ले जाने वाले तारों को बिछा दिया गया है तथा गलियों में बिजली लगाने के अनुकलनों की जांच हो रही है)	

केलों की ढुलाई के लिए माल डिब्बे

†१५२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर १९५९ और जनवरी १९६० में केले भेजने के लिये कितने माल-डिब्बे बम्बई और खानदेश से दिल्ली के लिये बुक किये गये ; और

(ख) प्रतिदिन औसतन कुल कितने केले आये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :

(क) दिसम्बर १९५९ और जनवरी १९६० में केलों की ढुलाई के लिये बम्बई और खानदेश से दिल्ली के लिये बुक किये गये माल डिब्बों की संख्या

महीना	बम्बई से	खानदेश से
दिसम्बर १९५९	कोई नहीं	५३५ माल डिब्बे
जनवरी १९६०	कोई नहीं	३६७ माल डिब्बे

(ख) दिल्ली में प्रतिदिन खानदेश से प्राप्त केलो की औसत मात्रा

महीना	
दिसम्बर १९५९	७३८१ मन
जनवरी १९६०	५२२३ मन

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली जंक्शन पर पोर्टर

१५३. श्री नवल प्रभाकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जंक्शन तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने पोर्टर पंजीकृत किये गये हैं :

(ख) गत दो वर्षों में उनके विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) शिकायतों के कारण दूर करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) दिल्ली जंकशन और नयी दिल्ली रेलवे स्ठेशन पर क्रमश ११०० और २५० ।

(ख) एक बयान साथ नत्थी है ।

(ग) १९५८ और १९५९ पंचांग वर्षों में ८८ भारिकों के लाइसेंस २ दिन से लेकर ३ महीने तक की अवधि के लिए छीने गये और ४ भारिकों को काम से हटा दिया गया । विभिन्न प्लेटफार्मों पर आवेक्षक रखे गये हैं ताकि प्रमुख गाड़ियों के आने के समय पर कम से कम एक आवेक्षक मौजूद रहे और वह शिकायतों का मौके पर ही निबटारा करे । समय-समय पर प्रचलित जन-सम्बोधन प्रणाली के द्वारा यह जानकारी दी जाती है कि भारिकों की मज़दूरी की दर क्या है और किसी प्रकार की शिकायत होने पर स्टेशन के किस अधिकारी से शिकायत की जाय । सभी उचित शिकायतों पर कड़ी कार्यवाई की जाती है।

विवरण

शिकायत की किस्म	दिल्ली जंक्शन		नयी दिल्ली	
	१९५८	१९५९	१९५८	१९५९
१. अधिक मजदूरी मांगना .	७	१४	६	८
२. यात्रियों के सामान की चोरी	..	१	..	१
३. यात्रियों को परेशान करना	१	६	१	५
४. अभद्र व्यवहार .	१	१०	३	६
५. रेल-कर्मचारियों की हिदायतों का पालन न करना	१	२		१
६. दूसरी शिकायतें	४	८		१
जोड़ . .	१४	४१	१०	२२

उड़ीसा में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए मकान

†**१५४. श्री महन्ती** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर, पुरी, बरहामपुर, बालासोर, सम्बलपुर और कटक के डाक तथा तार कर्मचारियों को अभी रहने के लिये मकान नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके रहने के लिये बस्तियां कब बनाई जायेंगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). डाक तथा तार कर्मचारियों को भिन्न भिन्न स्थानों पर दिये गये मकानों का ब्योरा इस प्रकार है :

कटक	३८	
पुरी	८	
बरहामपुर (जी०एम०)	५	
बालासोर	६	
सम्बलपुर	१२	
भुवनेश्वर	२३	(ये क्वार्टर इस विभाग द्वारा राज्य सरकार से किराये पर लिये गये हैं)

इन सभी स्थानों पर अतिरिक्त क्वार्टर बनाने की प्रस्थापनायें स्वीकृत हो चुकी हैं और उन पर आगे ध्यान दिया जा रहा है। सम्बलपुर व पुरी में जमीन पहले ही उपलब्ध है। शेष स्थानों में जमीन प्राप्त करने के कार्य में शीघ्रता की जा रही है।

तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर

†**१५५. श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा उच्च नतर नहर योजना (दोनों प्रावस्थाएं) के अन्तर्गत (१) कुडुप्पा उत्तर नहर, और (२) कुडुप्पा दक्षिण नहर के अधीन कितने कितने एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होने लगेगी; और

(ख) (१) परियोजना के प्रथम चरण, और (२) परियोजना के द्वितीय चरण के पूरा हो जाने के बाद कुडुप्पा जिले में कितनी भूमि की सिंचाई होंने लगेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). कुडुप्पा दक्षिण और उत्तर नहरों का निर्माण कार्य उच्च स्तर नहर योजना के द्वितीय चरण के अधीन प्रारम्भ होगा। द्वितीय चरण के पूरा होने पर उत्तर तथा दक्षिण नहरों के अन्तर्गत क्रमशः लगभग ५०,००० और २०,००० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होने लगेगी।

पहाड़ी स्थानो के लिये रियायती टिकट

†**१५६. श्री हेमराज** :
श्री पद्म देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा घाटी में धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ व जोगेन्द्रनगर और कुलू घाटी में कुलू, कटरैन व मनाली स्टेशन महत्वपूर्ण पहाड़ी स्थान (हिल स्टेशन्स) हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कांगड़ा वेली रेलवे पर इन पहाड़ी स्थानों के लिये कोई रियायती टिकट जारी किये जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). पहाड़ी स्थानों के लिये रियायती वापसी टिकट जारी करने के प्रयोजन से पहाड़ी स्थानों की कोई परिभाषा नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पालमपुर, बैजनाथ व जोगेन्द्रनगर को महत्वपूर्ण पहाड़ी स्थान (हिल स्टेशन्स) नहीं माना जाता। अन्य जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है, वहां रेलवे स्टेशन नहीं हैं।

हां, इन सभी स्थानों को जाने वाले लोग पठानकोट के लिये जारी किये जाने वाली रियायती वापसी टिकटों का फायदा उठा सकते हैं।

गाड़ियों में भीड़-भाड़ को देखते हुए ये रियायती वापसी टिकट और अधिक स्थानों के लिये जारी नहीं किये जाते।

छोटी सिंचाई योजनाएं

†१५७. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधी में छोटी सिंचाई योजनाओं पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है; और

(ख) प्रत्येक राज्य को कितना धन आवंटित किया गया और उन्होंने इस राशि में से कितना कितना धन व्यय किया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]**

त्रिपुरा में हरकारों द्वारा डाक ले जाया जाना

†१५८. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में चांदखीरा से धर्मनगर तक डाक हरकारों द्वारा ले जायी जाती है जब कि वहां इसके लिये वाहन मौजूद हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा का लाभ क्यों नहीं उठाया जाता ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) इस समय त्रिपुरा में चांदखीरा से धर्मनगर तक डाक हरकारे ही ले जाते हैं।

(ख) हरकारों के स्थान पर डाक मोटर गाड़ियों के प्रयोग का प्रश्न विचाराधीन है।

विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश) में पुल निर्माण की योजना

†१५९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने जिला विशाखापटनम में गजपति नारायण के निकट एक नदी पर पुल बनाने की योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) योजना की जांच की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही मंजूरी दे दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान को अल्पावधि ऋण

†१६०. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार को १९५९–६० में फार्म उपज बढ़ाने के लिये कोई अल्पावधि ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और कितनी राशि दी गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जी हां । अब तक राजस्थान सरकार को इस प्रयोजन के लिये ३० लाख १८ हजार रुपये की राशि दी गई है। इस रकम में से १३ लाख १५ हजार रुपये बीज खरीदने और बांटने तथा ५ लाख ३ हजार रुपये खाद्य उत्पादन योजनाओं के लिये उर्वरक और १२ लाख रुपये 'कपास विस्तार योजना' के अधीन उर्वरक के लिये दिये गये हैं ।

स्थगन प्रस्ताव

केरल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री गोपालन और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दीं है । उसका विषय यह है :

"कि १ फरवरी को मतदान सम्पन्न के होने बाद केरल के कुछ भागों में निम्न कारणों से बड़ी गम्भीर तथा खतरनाक परिस्थिति पैदा हो गई है :

(१) कम से कम ५ कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और मतदाताओं की हत्याओं का समाचार;

(२) हरिजनों की कई झोपड़ियों हैं आग लगाना....."

क्या अखबारों में ऐसा कोई समाचार छपा है ?

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : अखबारों की खबर नहीं है । मैंने स्वयं उन भागों का दौरा किया है । वहां के लोगों ने मुझे लिखित रूप में दिये हैं । एक हरिजन मज़दूर पर आक्रमण करके उसे मार डाला गया है । यह सब मतदान सम्पन्न होने के बाद हुआ है । १ फरवरी के बाद । ३१ जनवरी को उसे इसकी चेतावनी दी गयी थी कि वह कम्युनिस्टों को वोट न डाले ।

१ फरवरी की सुबह एक हरिजन कार्यकर्ता कुंजुकुंजु की हत्या कर दी गई थी । दूसरे दिन विजय समारोह के समय टक्कर हुई थी । एक तीसरी टक्कर भी दो दलों में हुई थी ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । अभी तक की प्रथा यह रही है कि निजी जानकारी को स्थगन प्रस्ताव का आधार नहीं माना जाता । और दूसरी चीज़ यह कि इस अवस्था में माननीय सदस्य सिर्फ इसी पहलू को ले सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव का विषय लोक हित की दृष्टि से कितना अविलम्बनीय है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई माननीय सदस्य अपनी आंखो देखी घटनाओं की बात करता है तो मैं उसे अखबारों में छपे समाचारों जितना ही महत्व दूंगा । सरकार उसका खंडन कर सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विषय की अविलम्बनीयता है या नहीं इसका निर्णय मुझे करना होता है, और इसके लिये मुझे कुछ तथ्यों की जानकारी रहनी चाहिये । इसलिये यह औचित्य प्रश्न नहीं बनता ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : यह सिर्फ मेरी ही जानकारी की चीज़ नहीं है । इनके बारे में अखबारों में खबरें छपी थीं और उन्हीं के आधार पर मैंने उन स्थानों का दौरा करके स्वयं देखा है । मैंने कल पुलिस के इंस्पैक्टर जनरल से भी इस बारे में पूछा था । उनको इन पांच में से चार की हत्याओं की जानकारी है ।

यह एक बड़ा ही गम्भीर और अबिलम्बनीय विषय है । मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इसे पार्टी बाज़ी का विषय न समझें, बल्कि देखें कि यह घटनायें हुई हैं या नहीं । आमजनी की १५ घटनायें हुई हैं । मैंने उन घरों के फोटो भी लिये हैं । आप चाहें तो मैं दिखा भी दूंगा ।

इतना ही नहीं, बहुत से हरिजनों और खेतिहर मज़दूरों ने डर के मारे अपने स्थान भी बदल दिये हैं । उन्हें पुलिस थानों से भी कोई संरक्षण नहीं मिला था । मैंने इन समाचारों का सत्यापन कर लिया है । राज्यपाल के पास मैंने उनके हस्ताक्षर कराके ४० याचिकायें भेजी हैं । पुलिस की हिरासत में भी कुछ लोगों को पीटा गया था ।

हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है । उन्हे कुंये से पानी नहीं भरने दिया गया । काम से उनकी छंटनी भी की गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तभी सरकार से स्पष्टीकरण करने के लिये कह सकता हूं जब कि यह सिद्ध हो कि सरकार ने अपना दायित्व निभाने में चूक की है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : पुलिस को संरक्षण देना चाहिये था । पुलिस ने हरिजनों की सहायता नहीं की, संरक्षण नहीं दिया । इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकित करने वालों की सहायता की है ।

मैं यह समाचार **केरल कौमुदी** से पढ़कर सुना रहा हूं । उस पत्र के सम्पादकीय में इनका उल्लेख है । सम्पादकीय में कहा गया है कि पहले कम्युनिस्ट सरकार पर भी यही आरोप लगाये जाते थे । अब वहां राष्ट्रपति का शासन है । इसलिये आवश्यक है कि उन हरिजनों को संरक्षण और आश्वासन दिया जाये । उन्हें अपने पहले के स्थानों में बसाया जाये ।

†**श्री त्यागी** : मैं आपके विनिर्णय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विनिर्णय पर चर्चा नहीं की जा सकती । वह काफी स्पष्ट है ।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बल पुजा) : हम २९ जनवरी को भी परामर्शदाता से मिले थे । हमने उन्हें यह गम्भीर परिस्थिति समझाई थी । उन्होंने आश्वासन दिया था कि मतदान के दिनों में लोगों को पुलिस संरक्षण दिया जायेगा । लेकिन वह नही दिया गया । माननीय मंत्री इस पर ध्यान दें ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : केरल में काफी दिनों से उथल पुथल चल रही थी । वहां राज्यपाल का प्रशासन लागू करने के बाद से परिस्थिति यदि पूरी नहीं तो काफी कुछ सामान्य हो गई है । सभी ने इस बात को माना है, कि केरल में पुलिस ने बड़ी सावधानी से काम लिया है और वह शांति तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये यथाशक्ति प्रयास किया है । यह इससे भ सिद्ध हो जाता है कि चुनाव में भारी मतदान हुआ है । ८५ प्रतिशत जनता ने, और कहीं-कहीं त ९० प्रतिशत जनता ने मतदान में भाग लिया । इसका श्रेय पुलिस और प्रशासन को ही है । और इससे

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गो० ब० पन्त]

प्रकट है कि समूचे राज्य में शान्ति बनी रही थी। मेरा ख्याल है कि सभी लोग, श्री गोपालन भी, इस को स्वीकार करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा शासन-ग्रहण करने के बाद केरल की परिस्थिति में काफी सुधार हुआ है।

हां, कुछ छ ट-पुट घटनायें जरूर हुई हैं, लेकिन उन पर राजनीतिक रंग चढ़ाना उचित नहीं है। ऐसी घटनायें तो सभी राज्यों में होती रहती हैं। केरल भी एक काफ़ी बड़ा राज्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि कहीं ऐसी घटनायें हुई भी होंगी, तो स्थानीय अधिाकारी उनके प्रति सतर्क होंगे। चुनाव खत्म होने के बाद भी अधिकारियों ने निवारक धारायों का प्रयोग करके कुछ स्थानों में जुलूसों और आम सभाओं को रोका है। अधिकारियों ने इसका भरसक प्रयत्न किया है। मेरे पास कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट दोनों ही पक्षों की ओर से पत्र आये हैं। मैंने उनको राज्यपाल के पास भेज दिया है और उनकी जांच के लिये अनुरोध किया है। मैंने उनसे बार-बार कहा है कि केरल में शांति कायम रखना और प्रशासन को एक निष्पक्ष ढंग से चलाना हमारा कर्तव्य है।

मुझे तो ऐसी किसी भी घटना की जानकारी नहीं है जिसमें पुलिस ने इसके विरूद्ध कोई काम किया हो। जहांतक मेरी जानकारी है, मेरे पास किसी भी पक्ष की ओर से, श्री गोपालन की ओर से भी ऐसे पत्र या याचिकायें नहीं आई जिनमें पुलिस पर आरोप लगाया गया हो कि उसने किसी एक पक्ष के साथ साजिश की। माननीय मित्र ने मुझे जो कुछ भी लिखा था, मैंने विशेष रूप से अधिकारियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर दिया था।

हो सकता है कि फिर भी कुछ घटनायें घटी हों, लेकिन सामान्य परिस्थिति में भी ऐसी घटनायें घटती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर हमें बताया गया है कि चुनावों के बाद भी कुछ गैर-कम्युनिस्टों को छरा घोंपा गया है। दोनों पक्षों के बीच कुछ टक्करें भी हुई हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं की संख्या दिनो-दिन कम होती जा रही है। मेरा ख्याल है कि ५ या ६ तारीख के बाद ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई। ऐसा मेरा ख्याल है। मैं उन रिपोर्टों को देखता रहा हूं।

मुझे यह भी बताया गया था कि कुछ झौंपड़ियां में आग लगा दी गई थी। कहा यह गया था कि एक किसी दल के लोगों ने अपने विरोधियों की झौंपड़ियों जला दी थीं। इस तरह की आठ या नौ घटनाओं का समाचार था। मेरे पास अभी उनका ब्यौरा नहीं है, इसलिये मैं बिल्कुल ठीक-ठीक तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद आज ऐसी कोई घटना नहीं होगी। ७ फरवरी तक मुझे जो जानकारी मिली हैं, उसके अनुसार गैर-कम्युनिस्ट लोग ऐसी घटनाओं के शिकार ज्यादा बने थे, कम्युनिस्टों ने जितनी भी शिकायतें भेजी हैं, उनसे कहीं ज्यादा। लेकिन इससे कोई एक बात किसी एक पक्ष के बारे में निश्चित नहीं की जा सकती। उसके लिये हमारे पास पूरे-पूरे तथ्य होने चाहिये।

मैंने अधिकारियों से बार-बार यही कहा है कि न्याय के प्रशासन में निष्पक्षता बरती जाये, सभी निवारक विधियों का प्रयोग किया जाये और ऐसे मामलों की जांच यथाशीघ्र की जाये, विशेषकर उन मामलों की जो राजनीतिक रंग के मालूम हों।

मैं इसके अधिक ब्योरे में नहीं पड़ना चाहता। अभी उनका पूरा ब्यौरा सुलभ भी नहीं है। मैं जांच करा सकता हूं। मैं यही चाहता हूं कि वहां शान्ति तथा व्यवस्था बनी रहे, न्याय का प्रशासन निष्पक्षता से हो और जीवन तथा सम्पत्ति का संरक्षण मिले। ऐसा न कर पाने से ऊपर लांछन आयेगा। हमें इसी प्रयोजन के लिये दूसरे राज्यों से भारी तादाद में पुलिस के लोग बुलाने पड़े थे। वे तो किसी के प्रति पक्षपात कर नहीं सकते।

केरल राज्य की पुलिस ने विभिन्न कालों में विभिन्न राजनीतिक दलों की अधीनता में काम किया है। वह भी किसी एक राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं हो सकती। इने-गिने आदमी ऐसे भी हो सकते हैं, और अगर ऐसे कुछ उदाहरण सामने आयें तो उनके कामों की जांच की जानी चाहिये और ऐसे व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिये। राजनीतिक भेदभाव का ध्यान किये बिना सभी नागरिकों को संरक्षण देना हमारा अपना कर्त्तव्य है।

दोनों पक्षों की ओर से कई तरह की बातें कहीं जा सकती हैं, लेकिन उनको लेकर स्थगन प्रस्ताव तो नहीं रखे जा सकते। मैं इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मुझे खेद है कि मैं उस समय यहां उपस्थित नहीं था। लेकिन मैं इन को केरल के अधिकारियों के पास भेजकर इनकी जांच करा सकता हूं। और अगर इनमें सचाई होगी तो वे कार्यवाही करेंगे और पहले से ज्यादा सतर्क रहेंगे। लेकिन मेरे पास जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक अब केरल की परिस्थिति पहले से कहीं अच्छी है।

मैं मानता हूं कि चुनावों के बाद अब उसके परिणामस्वरूप कुछ घटनायें घट सकती हैं। उनमें से कुछ का सम्बन्ध चुनावों से हो भी सकता है और कुछ का नहीं भी हो सकता है। मैं हर घटना का ब्यौरा तो पेश नहीं कर सकता। मेरे पास है भी नहीं। मैं इनके बारे में तभी कुछ काम की बातें कह सकता हूं जब कि केरल के अधिकारियों से इनकी जांच करा लूं। मैंने अपने माननीय मित्रों को पहिले भी आश्वस्त किया है और फिर आश्वस्त करता हूं कि मैं सभी के प्रति न्याय कराने और पुलिस की ओर से पूरी सतर्कता रखने के लिये प्रयत्नशील हूं, और रहुंगा। इसमें कोई भी राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जायेगा। कोई किसी भी दल का हो। जीवन और सम्पत्ति की रक्षा तो की ही जानी चाहिये। उससे किसी व्यक्ति के राजनीतिक विचारों का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रशासन को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिये।

मैं फिर कहता हूं कि मैं श्री गोपालन के वक्तव्य की ओर केरल के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करूंगा और उन्हें अधिक सावधान तथा सतर्क रहने को कहूंगा। इससे ज्यादा और मैं कह भी क्या सकता हूं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मेरा एक सुझाव है। संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित सभी दलों और कम्युनिस्ट दल के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाये, और वे सभी इस विषय पर चर्चा करें। कम्युनिस्ट दल अपनी ओर से पूरा आश्वासन देता है कि ऐसी घटनायें न होने देगा। यह सिर्फ चुनावों का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने आचरण के लिये कुछ मानदण्ड निर्धारित कर लेना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब प्रधान मंत्री या गृह-कार्य मंत्री सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलायें। इससे कोई फायदा नहीं कि ऐसी घटनायें होती रहें और विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे को उनके लिये उत्तरदायी सिद्ध करने की कोशिश करते रहें।

मैं कम्युनिस्ट दल की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि यदि ऐसा कोई सम्मेलन बुलाया जायेगा तो हम शान्ति बनाये रखने में पूरा सहयोग देंगे। (**अन्तर्बाधायें**) बड़े खेद की बात है कि ऐसे प्रस्ताव पर भी कांग्रेस दल के लोग आवाजें कस रहे हैं। हम शान्ति बनाये रखना चाहते हैं। इसका केवल एक ही उपाय है कि सभी राजनीतिक दलों का एक ऐसा सम्मेलन बुलाया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैं इससे सहमत हूं। मैं यह सुझाव राज्यपाल के पास भेज दूंगा और कोशिश करूंगा कि सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत हो जायें और केरल में शान्ति बनाये रखने के लिये सहयोग करें। मैं इससे सहमत हूं। राजनीतिक दलों को ठीक यही करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि ऐसी घटनायें हुई हैं तो बड़े दुःख की बात है। लेकिन मुझे विश्वास है कि नयी सरकार ऐसी चीजों को खत्म कर देगी। इस बीच में यदि ऐसी घटनायें हों भी तो उनकी जांच की जानी चाहिये। माननीय मंत्री ने भी यही कहा है।

संसदीय लोकतांत्रिकता का यही अर्थ है कि विधान सभा में चर्चा के बाद जब कोई निर्णय कर लिया जाता है, तो उसका पालन समूचे समुदाय को करना चाहिये। आशा है भविष्य में ऐसी घटनायें सामने नहीं आयेंगी। केरल के सभी अधिकारी इसकी सतर्कता रखेंगे। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

मिज़ो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में भुखमरी से कथित मृत्यु

†**अध्यक्ष महोदय :** एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। वैसे तो वह एक राज्य की खाद्य स्थिति के संबंध में है, लेकिन कहा गया है कि अकाल के कारण कुछ मौतें भी हुई हैं। कहा गया है कि :

> "मिज़ो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में भुखमरी से पांच व्यक्तियों की मृत्यु (दिनांक १५-२-६० को **टाइम्स आफ इंडिया** में प्रकाशित समाचार के अनुसार)। लोगों का जीवन बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप नितांत आवश्यक।"

वास्तव में परिस्थिति क्या है?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** (कानपुर) : **टाइम्स आफ इंडिया** के समाचार के अनुसार मिजो डिस्ट्रिक्ट में ११ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। समाचार के अनुसार, आदिम जाति कार्य के संसदीय सचिव श्री लाल साविया का कहना है कि वहां जितना चावल भेजा जाता है वह जनता के लिये बहुत ही अपर्याप्त है। मिजो डिस्ट्रिक्ट में लोग इतने तंग आ गये हैं कि वे चावल लाने-ले जाने वाले ट्रकों पर हमले तक करने लगे हैं।

मैं सरकार से इस समाचार की पुष्टि कराना चाहता हूं। यदि यह समाचार सही है, तो केन्द्रीय सरकार को उसके लिये कुछ करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** यह बात सही है कि मिजो डिस्ट्रिक्ट में इस बार चूहों का उत्पात बढ़ जाने से फसल को बहुत हानि पहुंची है। वहां बांसों में फूल आने के कारण चुहों की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। राज्य सरकार और केन्द्र दोनों ही इसके बारे में चिन्तित रहे हैं। राज्य सरकार ने चावल की कमी पूरी करने के लिये हमसे १०,००० टन चावल मांगा है, और हमने उसका वायदा भी कर दिया है। हमने सिलचर के प्रधान कार्यालय से उनको १,००० टन चावल दे भी दिया है और अब उसे ट्रकों में मीजो भेजा जा रहा है। इस जिले को चावल पहुंचाने के लिये हमने दो विमान भी लगा दिये हैं। इसके अतिरिक्त हमने, होजाई, गौहाटी और कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय डिपो से वहां चावल भेजने का प्रबन्ध भी कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संभरण के बारे में शायद कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन वहा परिवहन की बड़ी कठिनाई है, इसीलिये हमने विमानों द्वारा चावल गिराया है। इसके लिये इंडियन एयर लाइन्स के दो विमान वहां लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त हमने विमान बल से भी इसके लिये दो विमान वहां लगाने को कहा है। विमान बल ने इसका वायदा भी किया है। हम यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं।

हम इसकी संभावना पर भी विचार कर रहे हैं कि वहां बरमा की ओर से चावल पहुंचाया जा सके। उस ओर से सड़कों या विमानों द्वारा मिज़ो डिस्ट्रिक्ट के दक्षिणी भाग में चावल पहुंचाया जा सके। वह भाग बरमा से मिला हुआ है। हम भरसक चेष्टा कर रहे हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: आसाम सरकार और भारत सरकार दोनों ही इस मामले में सचेत हैं। मिज़ो डिस्ट्रिक्ट में यह हालत इसलिये पैदा हुई है कि वहां चूहे बहुत बढ़ गये हैं। २५ या ३० साल में जब भी बांस फूलता है तब चूहे बढ़ जाते हैं और इसी तरह फसल को नुक्सान पहुंचता है। अनाज की कमी इसकी वजह नहीं है और न यह है कि हम वहां अनाज भेज नहीं रहे हैं। असल में मुश्किल ये है कि उन जगहों तक चावल पहुंचाया कैसे जाये?

आसाम के मुख्य मंत्री ने इसके बारे में हमसे कई बार सलाह-मशविरा किया है। उनकी ही यह जिम्मेदारी है। जो कुछ हो सकता है, वे कर रहे हैं और हम भी भरसक कोशिश कर रहे हैं। उपमंत्री ने अभी आपको बताया ही है। हमारे प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इसके लिये जीपें और हवाई जहाज जुटाने के साथ ही और भी बहुत कुछ किया है। उन सड़कों पर जीपें चल सकती हैं। वह क्षेत्र बरमा से मिला हुआ है, इसलिये बरमा की तरफ से भी चावल भेजने की कोशिश की जा रही है। बाद में हम बरमा का चावल किसी रूप में वापस कर देंगे। मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं। यह **टाइम्स आफ इंडिया** की खबर ही है। मैं नहीं जानता कि वहां किसी की मौत हुई है या नहीं। जब तक एसी खबरों की जांच न हो जाये, तब तक उन पर भरोसा नहीं करना चाहिये। हम अपनी पूरी ताकत से इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : आसाम सरकार ने इसके लिये १०,००० टन चावल मांगा था, लेकिन अभी तक उस जिले के लिये कुल ३,००० टन आवंटित किया गया है।

उस पहाड़ी इलाके की सबसे बड़ी समस्या है चूहों की भारी तादाद। इसलिये चूहों को खत्म किया जाना चाहिये। इस बार ही नहीं, पिछले अवसरों पर भी भुखमरी से मौतें हुई थीं। इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं आपको बता चुका हूं कि आसाम सरकार ने १०,००० टन चावल इसके लिये मांगा था, और हमने उतना ही देने का वायदा कर दिया है। भुखमरी के कारण होने वाली मृत्युओं का कोई भी समाचार हमें नहीं मिला। वैसे प्रैस का समाचार हमने भी देखा है। इसके अलावा हमें और कोई जानकारी नहीं है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : समाचार में कहा गया है कि चावल ले जाने वाले ट्रकों को लूटा गया है। यह सही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बताया जा चुका है कि वहां चावल पहुंचाने के दो ही तरीके हैं—सड़के या हवाई जहाज। मैंने ट्रकों के लूटने की खबर नहीं सुनी।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी परिस्थिति पैदा होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। श्री बरूआ के कहने से तो लगता है कि यह विपत्ति वहां हर साल आती है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं ; हर पच्चीसवें या तीसवें साल ।

†**श्री हेम बरुआ** : पिछली बार शायद राज्य सरकार ने केन्द्र से सहायता नहीं मांगी थी। इसीलिये केन्द्रीय सरकार को उसकी जानकारी नहीं है। ऐसी विपत्ति वहां नियमित रूप से आती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तात्कालिक समस्या यह है कि चूहों ने फसल खा डाली हैं और बहुत नुकसान किया है। माननीय उपमंत्री ने बताया है कि उसकी कमी पूरी करने के लिये राज्य सरकार ने जितना चावल मांगा था, दे दिया गया है। श्री हेम बरूआ कहते हैं कि १० में से कुल ३ हजार टन चावल ही वहां पहुंचा है। मंत्री महोदय इसका सत्यापन करेंगे। आवश्यकता होगी तो यथाशीघ्र और भी चावल भेज देंगे। किसी की मृत्यु के बारे में कोई ठीक जानकारी नहीं है।

माननीय उपमंत्री और माननीय प्रधान मंत्री ने आश्वासन दे ही दिया है कि वे इस मामले में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

इसलिये मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं देता।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : समाचार में कहा गया है कि वहां ग्यारह व्यक्ति मर चुके हैं और उसका सत्यापन संसदीय सचिव ने किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री उसका सत्यापन करके यथाशीघ्र सभा के सामने एक प्रतिवेदन रखेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत-चीन सम्बन्ध

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं भारत-चीन सम्बन्ध के बारे में चीन की सरकार को भेजे गये नवीनतम पत्रों आदि की प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० १८८७/६०]

अन्दमान वन विभाग के कार्य के बारे में वक्तव्य

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: मैं अन्दमान वन विभाग के कार्य के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी, १८८८/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज-बहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १७ दिसम्बर, १९५९ को दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२ (८१)/५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० १८८९/६०]

केन्द्रीय भांडागार निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखे

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं कृषि उत्पाद (विकास और भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५९ की धारा १५ की उप-धारा (३) और धारा ४२ की उप-धारा (९) के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ के लिये केन्द्रीय भाण्डागार निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे सहित, सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० १८९०/६०]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी १२ फ़रवरी, १९६० की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है कि पशु निर्दयता-निवारण विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन उपस्थापित के समय को चालू सत्र के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें

आयव्ययक (सामान्य) १९५९-६०

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं १९५९–६० के आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें

आयव्ययक (रेलवे) १९५९-६०

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं १९५९–६० के आय व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

खमरिया के आयुध कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : अध्यक्ष महोदय, एक आयुध कारखाने में हाल में हुए विस्फोट के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था उससे आपको संतोष नहीं हुआ था । इसलिये सरकार ने दिए गए उत्तर और उस मामले से सम्बन्धित तथ्यों की और छान-बीन की । सरकार का कहना है कि उसका जितना नुकसान हुआ था उसके सम्बन्ध में पूरी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

जानकारी उस उत्तर में सन्निहित थी। उस उत्तर का अधिक स्पष्टीकरण कारखाने के अन्दर की व्यवस्था और वहां के सामान की जानकारी प्रकट करके ही किया जा सकता है। नुकसान का धन के रूप में निर्धारण उत्तर में सम्मिलित नहीं किया जा सका था क्योंकि नियमों के अन्तर्गत ऐसा निर्धारण केवल जांच न्यायालय ही कर सकता है।

मैं बड़े सम्मानपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक हम ऐसा मानते आये हैं कि प्रतिरक्षा संस्थापनाओं अथवा उसके कार्यकरण अथवा निर्माण प्रक्रिया का ब्योरा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रकट नहीं किया जाना चाहिये और आपने इस मान्यता का समर्थन किया है। परन्तु आपके निदेश के कारण सरकार ने इस मामले में इस मान्यता को छोड़ कर स्थिति का स्पष्टीकरण करने का निर्णय किया है यद्यपि ऐसा करने में युद्ध सामग्री कारखाने की अन्दरूनी मशीनों और प्रक्रियाओं का ब्योरा प्रकट करना होगा।

वर्तमान मामले में एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा था जो युद्ध काल में बनाई गई थी। विस्फोट से उस इमारत की छत नष्ट हो गई थी। इस इमारत की लागत लगभग ४,३०० रुपये है। आज उसकी मरम्मत कराने में लगभग २७,००० रुपये व्यय होंगे। सुस्थापित प्रक्रिया के अन्तर्गत नुकसान के वित्तीय प्रभाव का निर्धारण करना जांच न्यायालय का कार्य है। इसलिये सरकार का अनुरोध है कि इन प्राक्कलनों को सभा मोटा अनुमान समझे जो जांच न्यायालय की उपपत्तियों के अधीनस्थ होंगे।

संयंत्र और मशीनों के सम्बन्ध में बहुत बारीक प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार का ब्योरा सामान्यतः लोक हित की दृष्टि से सरकार प्रकट नहीं करना चाहती। ऐसा जानकारी के सम्बन्ध में झिझक का कारण अनिवार्यतः यह नहीं है कि वे कार्य प्रणालियां गोपनीय हों अथवा मशीनें गोपनीयता की सूची में हों वरन्, यह है कि अपने प्रविधिक विकास अथवा कार्य प्रणालियों की स्थिति और कार्यक्षमता को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रकट करना अवांछनीय समझा जाता है। इस प्रकार के रहस्योदघाटन राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कहे जा सकते हैं। उदाहरण के लिये, इस मामले में वह कारखाना युद्धोपकरण सम्बन्धी था। उसमें कोई खास सयंत्र अथवा मशीनें नहीं थी। जब पुराने स्फोटों (शैल्स) को नष्ट किया जा रहा था तो वाष्प प्रक्रिया में एक स्फोट फट गया और विस्फोट आसपास फैल गया जिससे छत नष्ट हो गई और एक व्यक्ति मारा गया तथा चार अन्य घायल हो गए। इस मामले में जो कार्य प्रक्रियाएं हैं वे ऐसी हैं जिनको सामान्यतः हम प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रकट करना पसंद न करते।

जांच न्यायालय का कार्य प्रविधिक प्रश्नों, कर्मचारियों की क्षति, सम्पत्ति, मशीनों और सामग्री के नुकसान और दुर्घटना के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराए जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य एकत्रित करना है। जांच पूरी हो गई है। सैन्य विनियमों के उपबन्ध के अनुसार कारखाने का अधीक्षक उस प्रतिवेदन की जांच कर रहा है और सरकार उसकी प्रतीक्षा कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, दुर्घटना की जिम्मेदारी अथवा लापरवाही के आरोप के सम्बन्ध में सरकार अभी भी कोई उत्तर देने में असमर्थ है। ऐसा करना न्यायालय की उपपत्तियों का पूर्वानुमान और निरपराध व्यक्तियों के लिए हानिकर होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा तात्पर्य यह नहीं था कि सभा को गोपनीय बातें बताई जायें। माननीय उपमंत्री यह कह सकते थे कि ऐसी बातें बताना लोक हित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। उनके उत्तर से ऐसा मालूम होता था कि उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं था। इसीलिए मैंने वैसा आदेश दिया था। मैं यह कभी नहीं चाहता कि सभा में गोपनीय बातें प्रकट की जायें। खैर, अब इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिये।

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ के उत्तर की शुद्धि

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : मचकुण्ड परियोजना के सम्बन्ध में ८-१२-५९ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ से उत्पन्न होने वाले श्री पाणिग्रही के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने सभा को यह सूचना दी थी कि "अनुमान है लगभग ६३,७५० किलोवाट अतिरिक्त बिजली पैदा होगी। कुल १,१४,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी। जहां तक वित्तीय दायित्व का सम्बन्ध है, इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।"

वास्तव में स्थिति यह है कि यदि जलपुट बांध को १० फीट ऊंचा कर दिया जाय, तो १००० लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली उत्पन्न हो सकेगी। मद्रास (अब आन्ध्र) और उड़ीसा सरकारों के बीच हुए "मचकुण्ड विद्युत् करार" में दोनों राज्यों के बीच विद्युत् शक्ति का विभाजन प्रत्येक प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली विद्युत् शक्ति तथा अंतिम उत्पादन दोनों आधारों पर किया गया है। इसके अनुसार परियोजना पर होने वाले व्यय और उससे होने वाले लाभों का विभाजन आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों के बीच क्रमशः ७०:३० के अनुपात से होगा। बांध को ऊंचा करने से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त विद्युत् शक्ति का विभाजन भी उसी अनुपात से किया जाएगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : मंत्री जी ने कहा कि परियोजना के व्यय और लाभों का विभाजन दोनों राज्यों के बीच ७०:३० के अनुपात से होगा। यदि उड़ीसा सरकार अपने हिस्से की बिजली का उपयोग न कर सकी तब भी क्या उसे परियोजना के व्यय का अपना अंश देना होगा ?

†**श्री हाथी** : अभी भले ही उपयोग न किया जा सके पर जब ट्रांसमिशन लाइनें तैयार हो जायेंगी तब अवश्य ही उपयोग किया जाएगा।

भारत-पाक नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैंने अपने १६ नवम्बर, १९५९ के वक्तव्य में सभा को यह बताया था कि अगस्त-सितम्बर, १९५९ में लन्दन में हुई चर्चा के दौरान करार के कुछ शीर्षक तैयार करने के संबंध में काफी प्रगति हुई थी। मैंने सभा को यह भी सूचित किया था कि वह चर्चा अक्टूबर, १९५९ में वाशिंगटन में पुनः प्रारंभ हुई थी और लन्दन में तैयार किये गये करार शीर्षकों और कुछ अन्य करार शीर्षकों को, जो वाशिंगटन में तैयार किए गए थे, एक अंतर्राष्ट्रीय जल संधि का रूप दिया जाएगा।

सिन्धु जल संधि का प्रथम प्रारूप अब प्राप्त हो गया है। परन्तु वह लेख अभी अपूर्ण है। संधि के अनेक अनुबन्ध पत्र, अन्तवर्ती काल में भारत द्वारा पानी की प्रावस्थाभाजित निकासी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

संबंधी अनुबंधपत्र को सम्मिलित करते हुए, अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। संधि के प्रारूप की जांच की जा रही है परन्तु हमारी टिप्पणी तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक कि उसके अनुबन्ध-पत्र भी हमारे सामने न हों। चूंकि संधि के प्रारूप को बैंक द्वारा गोपनीय माना गया है, इसलिए मैं उसकी विषय-वस्तु को इस समय प्रकट करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। परन्तु मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि बात चीत में संतोषजनक प्रगति हो रही है और निकट भविष्य में समझौता हो जाने की पर्याप्त संभावना है।

बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री नन्दा** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब श्री नारायणन् कुट्टि मेनन द्वारा १७ दिसम्बर, १९५९ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :—

"कि यह सभा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और सेवा की शर्तों की जांच सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन, उस पर सरकारी संकल्प और ३० नवम्बर, १९५९ को वित्त मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान्, मैं माफी चाहता हूं कि वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए निर्णयों पर हुए सम्पूर्ण वाद-विवाद के समय मैं सभा में उपस्थित न रह सका। परन्तु इन निर्णयों के पक्ष में तथा आलोचना में जो कुछ भी कहा गया है उसको मैंने पढ़ अवश्य लिया है। इस समय यह तो संभव नहीं है कि विवाद में उठाए गए सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं परन्तु आशा करता हूं कि महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे दूंगा।

आरम्भ में एक प्रश्न यह उठाया गया था कि वेतन आयोग ने १५ वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा सरकार भी श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी नीति पर दिये गये वचन से फिर गई है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने अभी तक श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है अतः, सरकार उनको लागू करने को बाध्य नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्यों ने जो बातें यहां उठाई हैं उनके बारे में अब मैं कुछ कहूंगा। यह कहा गया कि डा० ऐक्रोयड के सिद्धांत के आधार पर न्यूनतम खाद्य आवश्यकताओं की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस सिद्धान्त के अनुसार २७०० कैलोरीज़ मिलनी चाहिए। परन्तु एक अन्य अनुसन्धान कर्ता के अनुसार २३०० कैलोरीज़ ही पर्याप्त होती हैं और मेरा अपना अनुभव है कि १२०० से १४०० कैलोरीज़ से काम चलाया जा सकता है क्योंकि मैं कई वर्षों से ऐसा कर रहा हूं। वेतन आयोग ने इन सभी बातों पर पूर्णतः विचार किया और तभी यह निर्णय किए हैं। ऐसी तो आशा नहीं की जानी चाहिए कि बिना कोई विचार किए ही हम विशेषज्ञों की रायों को स्वीकार कर लेंगे। इसके अतिरिक्त २७०० कैलोरीज़ के फार्मूले में बताई गई कितनी ही वस्तुएं ऐसी हैं जो इस देश में उपलब्ध नहीं हैं और जब वह देश में उपलब्ध ही नहीं हैं तब उनको न्यूनतम मजूरी का आधार मानना अजीब सी बात है। उसको किस प्रकार पूरी तरह से स्वीकार किया जा सकता है। यही बात न्यूनतम मजूरी के बारे में है। हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में १२५ रुपया न्यूनतम मजूरी रखी जा सकती है अथवा नहीं? आज हमारे देश में औसतन प्रति व्यक्ति आय २४६ रुपये से २६१ रुपये तक है जिस से एक वर्ष की एक परिवार की आय ११६६ रुपये हुई। अर्थात् एक व्यक्ति की आय ९७ रुपये हुई। इस प्रकार न्यूनतम मजूरी इस आय अर्थात् ९७ रुपये से किसी भी प्रकार अधिक नहीं हो सकती है। हमारी इस राष्ट्रीय आय में से ही हमें अपने अन्य खर्च भी पूरे करने होते हैं इसलिए यह समझना कि ९७ रुपये ही न्यूनतम मजूरी बना ली जाये ग़लत बात होगी।

और भी एक बात है कि सरकारी कर्मचारी २० लाख हैं जब कि हमें देश के २००० लाख लाख व्यक्तियों के बारे में सोचना है। मैं बताना चाहता हूं कि वेतन आयोग के निर्णयों से पूर्व ही सरकारी कर्मचारियों द्वारा वेतन के रूप में लिए जाने वाले धन की तुलना में इन २००० लाख व्यक्तियों द्वारा लिया जाने वाला धन बहुत ही कम आता है। मैं मानता हूं कि मंहगाई बढ़ गई है परन्तु संभव है कि २०० रुपये वेतन भी कम ही हो। इसलिए आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था करने के साथ-साथ हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि देश की अधिकांश जनता के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। क्या ज्यूं ज्यूं हमारा विकास होता जायगा त्यूं त्यूं हम सरकारी कर्मचारियों के वेतन ही बढ़ाते जायेंगे? क्या ऐसा करते जाना उचित होगा? सभा को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि, सरकारी कर्मचारियों को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि करारोपण से सरकार को जो आय हो वह सम्पूर्ण उनके वेतनों के रूप में उनको मिल जाये। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वह जनता के सेवक हैं और जनता का भी ध्यान उनको रखना है। इसलिए उनसे मेरी अपील है कि वह इस प्रकार के प्रश्नों में अपने को न उलझने दें। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए वेतन आयोग ने न्यूनतम मजूरी ८० रुपये जो निश्चित की है वह उचित ही है। हमें अन्य देशों के जीवन स्तर पर विचार कर के न्यूनतम मजूरी बढ़ाने की मांग नहीं करनी चाहिए अपितु अपने देश के अधिकांश व्यक्तियों का जीवन स्तर देखकर तब ऐसी मांग करनी चाहिए।

उपभोक्ता मूल्य देशनांक ११६ के अनुसार वेतन आयोग द्वारा की गई ८० रुपये की सिफारिश ठीक है, यह सिफ़ारिश वरदाचारी आयोग, १९४७ की सिफारिश के अनुसार ठीक ही आती है क्योंकि उसने उपभोक्ता मूल्य देशनांक के ८० होने पर १–५५ रुपये की सिफ़ारिश की थी।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : बरदाचारी आयोग ने कहा था कि वह राशि निर्धनता की ही सूचक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस समय भी देश में निर्धनता ही है । मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि देश से निर्धनता दूर हो जाये परन्तु मेरे मित्र ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। वह चाहते हैं कि इस प्रकार सरकार की समस्त आय समाप्त हो जाये और जनता निर्धन ही रहे । मैं समझता हूं कि वेतन आयोग ने जो ऐक्स्ट्रायड के भोजन सिद्धांत में बताई गई कैलोरीज़ की आवश्यकताओं को कम किया है वह उचित ही किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इंग्लैंड में कितनी कैलौरीज़ चाहिए ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस प्रश्न पर भी विचार किया गया था। मैं समझता हूं कि वहाँ भी अधिक नहीं है। साथ ही ठंडे देशों में अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है। भारत जैसे गर्म देश में उतनी कैलोरीज की जरूरत नहीं होती है।

इसके बाद यह कहा गया कि वरदाचारी आयोग द्वारा निर्धारित तथा श्रम न्यायाधिकरणों द्वारा समर्थित निर्वाह व्यय देशनांक के साथ-साथ महंगाई भत्ते का स्वयंमेव समायोजन किया जाना चाहिए था। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ऐसा होना चाहिए था परन्तु क्या यह संभव था कि देश के सभी मजूरी लेने वाला की मजूरी में हम ऐसा कर पायें। मैं समझता हूं कि कि हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी और जब सामर्थ नहीं थी तो सबसे ज्यादा जिनको इस असमर्थता के कारण कष्ट उठाने चाहिएं वह सरकारी कर्मचारी ही होने चाहिए थे। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। कष्ट जनता ही उठा रही है। ऐसा होने पर भी वह हमसे अधिक धन मांगते हैं तथा चाहते हैं कि उनके साथ कुछ विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाये। मैं समझता हूं कि ऐसा करना प्रशासन के हित में नहीं है।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि प्रतिकर तथा मकान किराया भत्ते के लिए नगरों का वर्गीकरण संतोषजनक नहीं है। यह कहा गया कि १५ लाख से अधिक की जनसंख्या वाले मद्रास, दिल्ली तथा कानपुर नगरों को 'ए' वर्ग का नगर बनाया जाना चाहिए। कुछ विशिष्ट कारणों से केवल बम्बई और कलकत्ता नगरों को 'ए' वर्गी के नगर बनाया गया है। सभी जानते हैं कि यह दोनों नगर अन्य नगरों से भिन्न प्रकार के हैं। पांच लाख से अधिक तथा १५ लाख से कम जनसंख्या वाले अन्य नगर 'बी' वर्ग में आते हैं। १ से ५ लाख जनसंख्या वाले नगर 'सी' वर्ग में आते हैं। १९६१ की जनगणना के बाद ही इस पर विचार किया जायगा कि इस बारे में क्या निर्णय किया जाय। इसलिए मेरी माननीय मित्रों से अपील है कि इस सम्बन्ध में १९६१ की जनगणना तक धैर्य से प्रतीक्षा करें।

†**श्री तंगामणि** : (मदुरै): परन्तु १९६१ की जनगणना का भी मद्रास, दिल्ली पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सिफारिश में अन्य नगरों को भी 'ए' वर्ग में रखने का जिक्र नहीं है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा): प्रश्न यह था.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों का अपना दृष्टिकोण है तथा मंत्री महोदय का अपना। सभी माननीय सदस्यों को अपना-अपना दृष्टिकोण बताने का अवसर दिया जा चुका है और अब माननीय मंत्री महोदय को भी समय दिया जाना चाहिए। मैं इस प्रकार की अन्तर्बाधा की अब और अनुमति नहीं दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि देश की दशा को समझें तथा वास्तविकता को देखें। मैं यही प्रयत्न कर रहा हूं कि इस के बारे में सरकार का दृष्टिकोण सभा के सामने रख सकूं क्योंकि वह दृष्टिकोण वेतन आयोग के प्रतिवेदन, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा अन्य बहुत से लोगों की रायों पर विचार करके बनाया गया है।

यह कहा गया कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में अन्तर नहीं होना चाहिए तथा इस अन्तर को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में केवल इसी देश में अन्तर नहीं हैं अपितु अमेरिका में भी ऐसी ही व्यवस्था है।

अमेरिका में संघ के वर्गीकृत कर्मचारी का न्यूनतम वेतन २,६९० डालर है जबकि बहुत से राज्यों जैसे अलबामा, मिसूरी, इंडियाना, तथा विजकोन्सिन में क्रमशः १,०५६ डालर, १,५२४ डालर, १,५०० डालर, तथा १,६८० डालर है। कनाडा में भी इस अन्तर को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। यह दोनों धनवान देश हैं। हम अभी धनवान भी नहीं हुए है और वेतनों में समानता लाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम समानता लाना चाहते हैं परन्तु हमारे सामने यही प्रश्न आता है कि क्या हम ऐसा आज ही कर सकते हैं। आज सभी जगह विभिन्नता इतनी है कि हमें यह अन्तर रखना ही पड़ेगा। यह संभव नहीं है कि केन्द्रीय सरकार वेतनों को समान करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे। सच बात तो यह है कि यदि इस बात को आगे बढ़ाया जाये तो संभव है कि सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन घटाकर राज्य सरकारों के कर्मचारियों के समान कर देने पड़ें। परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि हम प्रयत्न कर रहे हैं कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाकर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान कर दिए जायें।

सर्वथा ऐसा नहीं होता कि जो आवश्यक हो वह किया जाये क्योंकि कोई काम करने से पूर्व उन परिस्थितियों पर भी ध्यान रखा जाता है जिनमें हम रह रहे हों। यदि वेतन पहली बार ही निश्चित करने होते तो हम ऐसा कर सकते थे परन्तु यह वेतन बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और इनको एकदम समान करना असंभव है। इसके अतिरिक्त हमारा उदेश्य यह नहीं है कि वेतनों में कमी की जाये। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनों को बढ़ाकर समानता लाने की बात कही जाती और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो समानता दूसरी प्रकार से अर्थात् केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में कमी कर के लाई जा सकती है। वैसे सरकार का विचार यह है कि ज्यूं-ज्यूं राज्यों की दशा में सुधार होता जाये त्यूं-त्यूं वेतनों में बढ़ोत्तरी कर दी जाये।

नगरों में मजूरी ५ रुपये मजदूर को दी जाती है। परन्तु गांवों में इसकी दर ८ आने से २ रुपया प्रतिदिन तक है, जब कि गांव के लोग अधिक काम करते हैं। हमें गांव के मजदूरों की मजूरी बढ़ानी है। और ऐसा तभी हो सकता है जब उत्पादन बढ़े। इसलिए हमें वास्तविकता को समझना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मोरारजी देसाई]

यही बात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में अधिकतम तथा न्यूनतम वेतनक्रमों के बारे में कही जा सकती है। यह कहा गया कि इनमें बहुत अन्तर है और बड़े पदाधिकारियों के वेतनों में कमी की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि यदि बड़े अफसरों के वेतन अधिक हैं तो उनको कम किया जाना चाहिए। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि हमने वह वेतनक्रम पहले ही कम कर दिए हैं । आई० सी० एस० अफसरों को मिलने वाले वेतनक्रम अब नहीं है। आई० सी० एस० अफसरों के वेतनों से अब तुलना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि धीरे–धीरे वह तो समाप्त होते जा रहे हैं। परन्तु हम आई ए० एस० (भारतीय प्रशासनिक सेवा) के पदाधिकारियों के वेतनों से अवश्य तुलना कर सकते हैं और इस तुलना से पता लगता है कि अन्तर १ और २४ का है। अंग्रेजों के जमाने में यह अन्तर १ और ३२९ का था जो बाद में १ और ३४ हुआ और अब १ और २४ है। मेरे विचार से इस अन्तर को न्यूनतम वेतनों को बढ़ाकर और भी कम किया जा सकता है। परन्तु जब देश में उत्पादन बढ़ाया जा रहा हो। विकास के साधन बढ़ाये जा रहे हों तो ऐसे समय वेतन कम करना कहां तक उचित होगा। यदि हम उन्नति करना चाहते हैं तो लोगों को उत्साहित करना होगा जिससे उत्पादन बढ़े। मैं समझता हूं कि यह कहना कि वेतन कम कर दिए जायें बड़ी अवास्तविक बात है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इन वेतनों को ज्यूं का त्यूं० रखा जाये और इनमें कोई कमी न की जाये।

फिर, श्रीमान्, अतिवयस्कता की आयु ५८ वर्ष कर देने की सिफारिश को स्वीकार करने पर भी जोर दिया गया। श्रीमान्, इसके सम्बन्ध में दो प्रकार के मत हैं। यहां भी हमारी स्थिति सामान्य नहीं है क्योंकि अभी हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। हमें बेकारी की बहुत चिन्ता है, विशेषकर शिक्षित वर्गों की बेकारी की। यदि हम यह आयु की सीमा ५५ से बढ़ा कर ५८ कर देते हैं तो लगभग ३०,००० लोग उससे प्रभावित होंगे। तीन वर्ष के लिये उतनी भर्ती रुक जायेगी। इससे समस्या और भी अधिक गंभीर हो जायेगी। फिर हमें इस बात का विचार भी करना है कि यद्यपि हमारे देश में जीवन की संभावना बढ़ गई है परन्तु जिस श्रेणी के लोगों की हम बात कर रहे हैं उनमें ५५ की आयु के बाद कठिन परिश्रम करने की क्षमता में कोई सारभूत वृद्धि नहीं हुई है । वास्तविक अनुभव से भी ऐसा ही मालूम होता है। इसलिये यदि हम आयु की सीमा बढ़ायेंगे तो शासन को क्षति पहुंचेगी, रोजगार की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । और कार्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। सरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंची है । इसीलिये सरकार ने आयु की सीमा ५५ से ५८ करना ठीक नहीं समझा।

हमने कहा है कि सेवा-काल बढ़ाये जाने की मंजूरी उचित मामलों में ही दी जायेगी। जहां विशेष वर्ग के अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी वहीं ऐसी मंजूरी दी जायेगी, प्रत्येक मामले में नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इससे पक्षपात को बढ़ावा मिलता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : पक्षपात और भाई भतीजेवाद का आरोप लगाना बहुत आसान काम है । आरोप लगाने का हमारे देश में फैशन सा चल पड़ा है । मैं इस प्रकार के तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस दुनियां में फरिश्ता कोई भी नहीं है––स्वयं मैं भी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम्) : ५५ के बाद कार्य-काल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कोई उचित मानदंड नहीं रखे गये हैं वरन् अधिकारी या मंत्रालय की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : ऐसा नहीं है। प्रत्येक मंत्रालय ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिये वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है । आजकल प्रविधिक वर्ग के लोगों को छोड़कर अन्य का कार्य-काल बढ़ाना इतना आसान नहीं है । हमने कहा है कि वैज्ञानिक और प्रविधिक कर्मचारी ५८ की आयु तक नौकरी में रह सकते हैं। इसलिये पक्षपात का कोई प्रश्न नहीं है। अन्य लोगों के सम्बन्ध में हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि केवल ऐसे व्यक्ति का कार्य-काल बढ़ाया जाये जिसकी बहुत आवश्यकता हो और जिसकी सेवा का रिकार्ड बहुत अच्छा रहा हो। इसलिये हमने पक्षपात और भाई-भतीजेवाद को बढ़ावा न मिलने देने का भरसक प्रत्यत्न किया है। फिर भी मैं यह दावा नहीं करता कि किसी भी मामले में पक्षपात न हुआ हो।

फिर, श्रीमान्, छट्टियों और आस्कस्मिक छुट्टियों की संख्या और कुछ विशेषाधिकारों और सुविधाओं में कमी किये जाने तथा महीने में तीन शनिवारों को काम किये जाने का निर्देश किया गया । यह कहा गया है कि छट्टियों, आकस्मिक छुट्टियों और अन्य विशेषाधिकारों तथा सुविधाओं में कमी का सुझाव देना आयोग के निर्देश पदों में नहीं था। ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि निर्देश पदों के खंड २ में आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतनों और सेवा शर्तों में वांछनीय परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार किये जाने का स्पष्ट उपबन्ध है । इसलिये ऐसा करने में उन्होंने अपने अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं किया है और जो सिफारिशें उन्होंने की हैं वे सर्वथा उनके अधिकारों के अन्तर्गत ही हैं। यह दूसरी बात है कि हम उनसे सहमत भले न हों। लेकिन यह कहना सर्वथा गलत है कि उनको वैसा करने का अधिकार नहीं था। अब हम यह देखेंगे कि यह सिफारिश ठीक है या नहीं ?

सभी लोग यह कहते हैं कि हमारे देश में छट्टियां बहुत होती हैं। इस सभा के विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा भी यह बात कही गई है । परन्तु इस अवसर पर एकवर्ग विशेष के लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिये वे कहते हैं कि .....

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : माननीय मंत्री पुनः आरोप लगा रहे हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं ठीक कह रहा हूं। यदि ऐसी बात नहीं है तो फिर इस मामले में अधिक छुट्टियों की बात क्यों की जा रही है ? काम में जो वृद्धि की गई है वह केवल ढाई घण्टे प्रतिमाह है । पहले उन्हें महीने में चार शनिवारों की १२ घण्टे की छट मिलती थी क्योंकि प्रत्येक शनिवार को ३ घण्टों की छट्टी होती थी। अब वे तीन शनिवारों को ९ घण्टे अतिरिक्त काम करेंगे और अन्तिम शनिवार को उन्हें ६$^{1}/_{2}$ घण्टों की छट्टी रहेगी। इसलिये वास्तव में वे महीने में केवल ढाई घण्टे अतिरिक्त कार्य करेंगे। परन्तु यहां ऐसा हंगामा मचाया गया है मानों कोई बहुत बड़ी कठिाई आ पड़ी हो। जब प्रशासन की आलोचना की बात होती है तो यह कहा जाता है कि लोग ठीक काम नहीं करते और बहुत देर से काम होते हैं। परन्तु जब उन्हें सरकार के विरुद्ध भड़काना होता है तो इस प्रकार कहा जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का रवैया ठीक नहीं है । इस प्रकार शासन में सुधार कैसे हो सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नारायण कुट्टि मेनन : यदि २½ का अतिरिक्त कार्य इतना नगण्य है तो फिर उसे खत्म ही क्यों नहीं कर दिया जाता ?

†श्री मोरारजी देसाई : बाद में हम उसे बढ़ा सकते हैं। मुझे एक रेलवे कर्मचारी ने एक पत्र भेजा है । जो १५ वर्षों से नौकरी कर रहा है । उसने लिखा है कि "जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उनके बदले में हमें सुविधायें कितनी मिल रही हैं। हमें महीने में ३ बार दो घंटे देर से आने की अनुमति है और इसके अतिरिक्त जब भी हमें कोई काम होता है तो हम प्रभारी अधिकारी से अनुमति ले कर जल्दी घर चले जाते हैं।" यह सूचना मुझे स्वयं सरकारी कर्मचारियों से मिली है जो वफादार सेवक हैं।

फिर इससे भी अधिक आश्चर्य मुझे इस कथन से हुआ कि इस प्रकार कुछ छट्टियां कम कर के सरकार ने २९ करोड़ रुपये की बचत कर ली है । इस प्रकार की काल्पनिक बातें बहुत हानिकारक होती हैं । बचत कहीं भी नहीं हुई है । हां, यदि कार्यक्षमता में कोई वृद्धि हुई तो उससे अवश्य हमारा कुछ लाभ होगा। लोग कहते तो यह है कि हम ६ घण्टे काम करते हैं परन्तु वास्तव में वे मुश्किल से ४½ घण्टे काम करते हैं और बाकी समय कैण्टीन में या बातचीतों में निकाल देते हैं। इस समय की पूर्ति का उपाय हमें करना होगा। ये कदम हमने इसी दृष्टि से उठाये हैं।

फिर यह आपत्ति की गई कि सामान्य भविष्य निधि को अनिवार्य बना देने से कर्मचारियों को नुकसान होगा । मैं तो समझता हूं कि उनका लाभ ही होगा क्योंकि कुछ बचत करना मनुष्य के लिये आवश्यक है । यदि जो ५ रुपये बढ़ाये जा चुके हैं और जो अब बढ़ाये जायेंगे उनको ध्यान में रखा जाये तो मालूम होगा कि इससे वेतन में कोई कमी नहीं होगी। फिर भी इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। हमें सरकार पर पड़ने वाले भार का भी विचार करना चाहिये । जो अन्तरिम वृद्धि की गई थी उससे १२ करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय पड़ा। वेतन, भत्तों तथा पेन्शन के सम्बन्ध में जो सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं—प्रतिरक्षा कर्मचारियों को छोड़कर—उनके परिणामस्वरूप सरकार को लगभग २० करोड़ रुपये वार्षिक खर्च करने होंगे । यदि परिवार पेंशन योजना, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, शिक्षा सम्बन्धी तथा केन्टीन सुविधाओं की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाये दो लगभग ४·७० करोड़ रुपये और व्यय करने होंगे । प्रतिरक्षा सेवाओं के ये लाभ उपलब्ध कराने से सरकार को लगभग ५७ करोड़ रुपये के व्यय का भार वहन करना होगा । यह सब रेलवे को मिलाकर—४४ करोड़ रुपये के लगभग होगा । यह व्यय तो सरकार को तुरन्त ही करना होगा। परन्तु वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि के सम्बन्ध में सरकार को अन्ततः २० करोड़ रुपये के बजाय ३१ करोड़ रुपये व्यय करने होंगे । इसलिये अन्ततः सरकार को कुल ५५ करोड़ रुपये के व्यय का भार वहन करना होगा। जरा सोचिये ५५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सरकार की आय पर कितना अधिक होगा । हम अपने उद्योगों का विस्तार कैसे कर सकेंगे जबकि हम उनमें विनियोजन नहीं कर सकेंगे ? विनियोजन करने के बजाय हम कुछ निकाल लेने का प्रयत्नकर रहे हैं और यही समस्त कठिनाई की जड़ है ।

इसलिये मैं अपने माननीय मित्रों से इन प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिकाधिक विचार करने का अनुरोध करूंगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातों से देश का अहित ही होगा, हित नहीं । इसलिये जो मांग रखी गई है वह सर्वथा अनुचित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है वेतन आयोग की सिफारिशों के सरकारी उपक्रमों अर्थात् समवायों और निगमों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में। यह बड़ा गंभीर प्रश्न है जिस पर भली प्रकार विचार किया जाना चाहिये। इसके सम्बन्ध में कोई गलती न हो जाये इसलिये मैं अपने मत के सम्बन्ध में एक लिखित वक्तव्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

वेतन आयोग की सिफारिशों के सरकारी उद्योग क्षेत्र के समवायों में विस्तार के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो यह संभव है और न सरकार अपने अधीनस्थ समवायों तथा स्वायत्तशासी संगठनों से अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों में वे सुधार करने के लिये कहना चाहती है जो वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में किये गये निर्णयों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त हुए हैं। इसका पहला कारण तो यह है कि इन संगठनों और समवायों के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। दूसरे सरकार द्वारा नियंत्रित समवाय आदि स्वायतशासी संगठन हैं जिनके अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में पृथक नियम तथा सेवा शर्तें हैं। तीसरे सरकार द्वारा नियंत्रित समवायों के कर्मचारियों के वेतनक्रम और सेवा की अन्य शर्तें सर्वथा सरकार की तदनुरूप श्रेणी के कर्मचारियों के अनुरूप नहीं हैं। चौथे इन समवायों अथवा संगठनों द्वारा उपलब्ध की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र की स्पर्धा का सामना करना होता है। इसलिये कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए जाने का निर्णय उनकी प्रतियोगी क्षमता पर निर्भर है। अंतिम कारण यह है कि ये संगठन विभिन्न राज्यों में स्थित हैं और उनके कर्मचारियों के वेतन सम्यन्धित क्षेत्रों में सरकारी और गैर सरकारी दोनों उद्योगों क्षेत्रों में प्रचलित मजूरी स्तर के अनुरूप ही होने चाहिये। इन तत्वों का विचार करते हुए सरकारी उद्योग क्षेत्र के समवायों और निगमों के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं मालूम होता। केवल इस आधार पर वैसा नहीं किया जा सकता कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कुछ वृद्धि की गई है।

मैं समझता हूं कि मैंने सभी बातों का समुचित उत्तर दे दिया है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने जो कुछ कहा है उससे प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही संतोष हो जायेगा। हां यह दावा मैं अवश्य करता हूं कि जो कुछ भी यहां कहा गया था उसके सम्बन्ध में हमने भली प्रकार विचार किया है और जो निर्णय किया है वह समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया है। यदि यह बात माल ली जाती है तो कोई भी निष्पक्ष दर्शक यह कभी नहीं कह सकेगा कि हमने प्रशासन के लोगों के साथ उदारता का व्यवहार नहीं किया है। हमें उनसे काम लेना है इसलिये उन्हें संतुष्ट रखना भी हमारा कर्त्तव्य है। परन्तु यदि वे अनुचित मांगें रखते हैं तो हम उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते। फिर हमें उनको यह समझाना होगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। यह सार्वजनिक कार्य है इसलिये उन्हें अपना समझना चाहिये। मैं अपने माननीय मित्रों से अपील करता हूं कि उन्हें शासन को सुधारने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और ऐसा नहीं कहना चाहिये कि "यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह परिणाम होगा।" यदि वे ऐसा कहते हैं तो फिर शासन में उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर आयेगी, सरकार पर नहीं।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश) : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने १५वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। क्या सरकार उन्हें मानने को बाध्य नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार केवल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों को मानने के लिये बाध्य है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायन् कुट्टि मेनन** : वित्त मंत्री के उत्तर से हमें बहुत निराशा हुई है। जो लोग दूसरों को किसी बात की शिक्षा देते हैं उन्हें पहले स्वयं उसको व्यवहार में लाना चाहिये।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा देश आर्थिक विकास के पथ पर है और चूंकि हमारे देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बहुत कम है इसलिये सरकारी कर्मचारियों को अधिक पाने की आशा नहीं करनी चाहिये। मैं इस तर्क को ठीक नहीं समझता हूं। पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिये। उस सम्मेलन में स्वयं वित्त मंत्री भी उपस्थित थे जो उस समय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री थे।

†**श्री मोरारजी देसाई**: जिस समय इसके सम्बन्ध में निर्णय किया गया उस समय मैं उपस्थित नहीं था।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : यदि माननीय मंत्री सभा में उपस्थित नहीं रहते हैं तो इसके आधार पर वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। वह स्वयं भले ही उपस्थित न रहेहों पर उनका प्रतिनिधि तो था। अब यदि मंत्री जी यह कहते हैं कि वह निर्णय सरकार पर बाध्य नहीं है तो यह कहा जा सकता है कि उस सम्मेलन का कोई भी निर्णय किसी पक्ष पर बाध्य नहीं है। ऐसी स्थिति में देश की क्या दशा होगी क्योंकि औद्योगिक शांती का समस्त ढांचा १५वें श्रम सम्मेलन में किये गये निर्णयों पर आधारित है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस बात का विचार करें कि यदि सरकार अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेगी तो अन्य नियोजकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं श्रम सम्मेलन के निर्णय मानने के लिये बाध्य नहीं हूं। किसी भी मंत्रणात्मक सम्मेलन के निर्णय सरकार पर बाध्य नहीं होते हैं। उस सम्मेलन की संसद से तुलना करना सर्वथा निर्थक है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार ही उस सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित नहीं करेगी, जो उसकी संगठन थी, तो अन्य नियोजक ही उन्हें क्यों मानेंगे? ऐसी स्थिति में उनके आधार पर औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गये निर्णय भी व्यर्थ हो जायेंगे। इन न्यायाधिकरणों ने सम्मेलन के निर्णयों को बहुत सम्मान प्रदान किया है। यदि सरकार यह कहती है कि वे हम पर बाध्य नहीं हैं तो श्रमिक भी वैसा कह सकते हैं और तब कैसी भयंकर स्थिति हो जायेगी। इसलिये मैं चाहता हूं सरकार इसके सम्बन्ध में स्थिति का पुनर्विलोकन करे।

वित्त मंत्री ने खाद्यान्न की मात्रा के सम्बन्ध में कहा कि १२०० कलोरियां मनुष्य के लिये पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं वर्षों से उतनी ही खुराक ले रहे हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने १२०० से लेकर १४०० तक कहा था।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से भी त्याग करने के लिये कहा मेरा निवेदन है कि डा० आइकराड ने देश की स्थिति का विचार करके ३२०० कलोरी की मात्रा निर्धारित की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि डा० आइकराड ने जिस खाद्य सामग्री के आधार पर यह मात्रा निर्धारित की थी वह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकती। यह तर्क ठीक नहीं है कि जब तक देश के ४० करोड़ लोगों की आय एक विशेष स्तर तक न पहुंच जाये तब तक श्रमिक अधिक पाने की मांग न करें। बेरोजगार व्यक्ति की काम करने वाले के साथ बराबरी नहीं की जा सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अंत में मैं मंहगाई की बात को लेता हूं। माननीय मंत्री ने कहा कि वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य और मंहगाई के भत्ते को संबद्ध करना संभव नहीं है। यह ठीक है कि मूल्यों में साधारण वृद्धि के साथ मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जा सकता। परन्तु जब मूल्य बहुत बढ़ गये हों तब सरकार को सहायता करनी ही चाहिये। यदि सरकार भत्ता नहीं बढ़ाना चाहती तो मूल्य कम रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। हम यह नहीं कहते कि वेतन अवश्य बढ़ाया जाये। यदि सरकार वस्तुओं के मूल्य ठीक रख सकती है तो कोई भी व्यक्ति वेतन वृद्धि की मांग नहीं करेगा।

अगर सरकार मूल्य ठीक नहीं रख सकती तो दूसरा उपाय यह भी हो सकता है कि इन काम करने वालों को खाद्यान्नों का संभरण सहकारी समितियों द्वारा उचित मूल्य पर किया जाय। जिस प्रकार रेलवे में पहले व्यवस्था थी वसी व्यवस्था करने से आपको कौन रोकता है ? यदि सरकार मुख्य खाद्य पदार्थों का संभरण उचित मूल्य पर कर सके तो यह समस्या ही समाप्त हो जायेगी।

माननीय मंत्री ने हमारे ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाये। मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम कभी भी कर्मचारियों में असंतोष नहीं उत्पन्न करना चाहते। हम स्वयं यह चाहते हैं कि हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सब लोग संतुष्ट रहें। इसलिये माननीय मंत्री को इस प्रकार का दोषारोपण न करके इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि कर्मचारियों को शिकायत करने का मौका ही न मिल सके। सभा के सभी सदस्यों ने, श्री हरिश्चन्द्र माथुर को छोड़कर, आयोग के प्रतिवेदन और उस पर सरकार के निर्णयों को कर्मचारियों के लिये निराशापूर्ण बताया है। इसलिये माननीय मंत्री को कर्मचारियों की कठिनाइयों पर विचार करना चाहिये न कि इस प्रकार का व्यर्थ दोषारोपण।

अंत में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन सब बातों के सम्बन्ध में पुनर्विचार करें। हम कर्मचारियों को नहीं भड़का रहे हैं वरन् उनमें स्वयं असंतोष व्याप्त है। जब तक उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा तब तक हमारी योजनायें सफल नहीं हो सकेंगी। यदि सरकार १५वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को नहीं मानेगी तो समस्त औद्योगिक श्रमिकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिये श्रमिकों को संतुष्ट रखना अत्यन्त आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की जांच सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन, उस पर सरकारी सकल्प और ३० नवम्बर, १९५९ को वित्त मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : (राजमपेट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित शब्दों में एक अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत किया जाय :

कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपत्ति के उस अभिभाषण के लिये, जिसे उन्होंने ८ फरवरी, १९६० को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

राष्ट्रपति ने लोक सभा के सदस्यों के सामने जो अभिभाषण दिया उसका सारे देश में स्वागत किया गया । क्योंकि उस में देश तथा जनता की वास्तविक महत्वाकांक्षायें परिलक्षित होती थीं । उस में आज की समस्याओं का निबटारा करने के लिये सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियों का जिक्र किया गया है और उनका यह अभिभाषण विश्व की वर्तमान स्थिति के अनुरूप है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पिछले वर्ष कुछ अत्याधिक महत्व की घटनायें हुईं । जिन में से कुछ इस प्रकार हैं । शिखर सम्मेलन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, निशस्त्रीकरण के विषय पर तथा आणविक अस्त्रों को रोकने के विषय में समझौता हुआ । रूस अपना राकेट चन्द्रमा के चारों ओर भेजने में समर्थ हुआ । हमारे देश में भी चतुर्दिक प्रगति हुई । खाद्य उत्पादन पिछले वर्ष सब से अधिक रहा, औद्योगिक उत्पादन में भी सब से अधिक प्रगति हुई । लोहे तथा इस्पात का उद्योग जिसकी गिनती देश के सामान्य उद्योगों में की जाती थी देश के बड़े उद्योगों में से एक बन गया । तथा देश में विकास कार्यों को विकेन्द्रित करने का नया प्रयोग प्रारम्भ किया गया । इसके साथ साथ सीमान्त पर अतिक्रमण की घटनायें हुईं जिनके लिये अभिभाषण में विश्वास घात शब्द का प्रयोग किया गया है । इस बात पर सभा में पहिले ही पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । आगे भी इस पर काफी चर्चा होने की संभावना है अतः मैं इस प्रश्न पर अभी कुछ नहीं कहूंगा ।

वस्तुतः चीन के साथ हमारे संबंध बहुत मैत्री पूर्ण थे । इसका कारण यह है कि हम दोनों के उद्देश्य एक से हैं । दोनों ही देश पिछड़ी आर्थिक अवस्था से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं । सांस्कृतिक स्तर पर भी दोनों ही देशों के बीच पर्याप्त आदान प्रदान हुआ है । धार्मिक स्तर पर भी दोनों देशों में पर्याप्त साम्य है इसका कारण यह है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहीं हुआ, भारत से ही बौद्ध धर्म चीन में फैला । इन बातों के बावजूद भी इस महान देश ने धीरे धीरे हमारे देश में अपने पंजे फैलाये इसलिये इस के इस कार्य को विश्वासघात के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ?

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि युद्ध हो या शांति राष्ट्र को अपना विकास कार्य करते चला जाना चाहिये । यह बात निस्संदेह सत्य है । सरकार ने इन्हीं विकास कार्यों को करने के निमित अपनी विकास योजनायें बनायी हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यह रखा गया था कि वह देश में उद्योग तथा खाद्यान्न के क्षेत्र में उत्पादन को १९३९ के स्तर पर कायम रखा जाय । प्रथम योजना में हमने उसके लक्ष्यों से अधिक प्रगति की । द्वितीय योजना में हम ने कुछ आधार भूत उद्योगों की उन्नति करने और खाद्य उत्पादन में प्रगति करने तथा देश में टैक्नीकल जानकारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा था । वस्तुतः यह योजना आगामी योजनाओं का प्रवेश द्वार है जिस पर आगामी योजनाओं की बुनियाद रखी जायेगी । अब हम तीसरी योजना के द्वार पर खड़े हैं । तीसरी योजना के अंत तक भारत की अर्थ व्यवस्था इस योग्य हो जायेगी कि उसे किसी विदेशी राष्ट्र या किसी अन्य देश से आर्थिक सहायता लेने की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी । जब हम ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में ले रहे हैं तो देश को त्याग के लिये भी तैयार रहना चाहिये । अतः प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक राजनैतिक दल का यह कर्त्तव्य है कि वह देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिये यथा संभव त्याग करने को प्रस्तुत रहे। अतः मेरा सदस्यों से निवेदन है कि सरकार की केवल आलोचना ही न करें अपितु रचनात्मक सुझाव भी दें जिस से कि लक्ष्यों की प्राप्ति का कार्य बिना बाधा के संभव हो सके ।

हमारी अर्थ व्यवस्था का सब से दुर्बल पहलू हमारे देश में खाद्याभाव है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया गया है। यह कहा जाता है कि जब तक हमारे उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी तब तक हमारे विकास कार्यों का कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि हमारे संसाधनों का बहुत बड़ा भाग विदेशों में खाद्यान्न खरीदने में व्यय हो जायेगा। यह भी कहा गया है कि हमारे देश में प्रतिव्यक्ति तथा प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है। यदि यह उत्पादन १० प्रतिशत भी बढ़ा दिया जाय तो यहां का खाद्याभाव दूर हो सकता है।

यद्यपि इस देश में पर्याप्त कार्य किया गया है तथापि किसी कार्य से भी संतोषजनक परिणाम नहीं निकला है। वस्तुतः हमारे देश में खाद्यान्नों का चूहों, कीड़ों तथा बीमारियों से रक्षा करने का कोई ठोस तरीका नहीं अपनाया जाता है। फल यह होता है कि यदि फसल में कोई बिमारी लग जाती है या कीड़ा लग जाता है तो उसका कोई उपचार नहीं किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में कुछ उपचार सभा के सामने रखेगी।

हमारी अर्थ व्यवस्था का दूसरा कमजोर पहलू हमारा प्रशासन है। प्रशासन के सुधार के लिये यद्यपि कई समितियां और आयोग बैठ चुके हैं, तथा हमने विदेशों से कई प्रशासनिक विशेषज्ञों को इस दिशा में सुधार के लिये बुलाया है तथापि कई प्रशासकों तथा राजनीतिज्ञों का यह मत है कि इस दिशा में बिल्कुल सुधार नहीं हो सका है। इस संबंध में मैंने पहले भी यह सुझाव दिया था कि अखिल भारतीय सेवायें समाप्त कर दी जानी चाहियें, इसका कारण यह है कि एक बार अखिल भारतीय सेवाओं में स्थान पाने के पश्चात वे अधिकारी आरामतलब हो जाते हैं क्योंकि उनकी सेवओं तथा वेतन की पूर्ण सुरक्षा रहती है। अतः इस संबंध में हमें चाहिये कि नियुक्तियां निचले पदों से की जायें और योग्यता के आधार पर उनकी पदोन्नति की जाय। कर्मचारियों को प्रोत्साहन तभी प्राप्त हो सकता है जब कि पदोन्नति उनके कार्यों के आधार पर की जाय। और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाय। इस समय यह अवस्था है कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की सीधी नियुक्ति की जाती है और इस प्रकार उन पर बड़ी जिम्मेदारी थोप दी जाती है उन्हें गम्भीर विषयों पर अपना निर्णय देना होता है, इस प्रकार जो निर्णय किये जाते हैं, वे भले ही सिद्धांततः सही ज्ञात हों तथापि सही यह है कि वे व्यावहारिक रूप में सही ज्ञात नहीं होते हैं। अतः इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

तेल, देश के लिये एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। यह सौभाग्य की बात है कि तेल के खोजने और निकालने का कार्य हमारे देश में सरकार की संरक्षता के अधीन किया जा रहा है। अभी हाल तेल के संसाधनों का विकास करने के लिये कुछ रियायतों की घोषणा भी की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र पर सरकार अपना प्रभुत्व बनाये रखेगी और बड़ी तेल कम्पनियों के प्रभाव से विचलित नहीं होगी। वस्तुतः देश में और भी कई प्रश्न हैं जिन पर मेरे अन्य सहयोगी प्रकाश डालेंगे। मैं केवल यह ही कहना चाहता हूं कि भारत गणराज्य के प्रारम्भ से दिये गये सभी भाषणों में यह अभिभाषण सर्वोत्तम है क्योंकि इस अभिभाषण में देश की महत्वाकांक्षाओं और भावी लक्ष्यों पर सही रूप से प्रकाश डाला गया है। अभिभाषण के अंत में यह कहा गया है कि सरकार, भारत तथा उसकी जनता की प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहती है वह देश की एकता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहती है। तथा वह एक ऐसे समाजवादी ढांचे का निर्माण करना चाहती है कि जहां शांति पूर्ण तरीकों से तथा सहमति से सबकी प्रगति हो सके। यदि हम इन शब्दों को सदैव याद रखेंगे तो हम देश तथा यहां की जनता के कल्याण के लिये कार्य कर सकेंगे।

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस देश का

[श्री अन्सार हरवानी]

यह सौभाग्य है कि आज इस देश के राष्ट्रपति, आज स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दुस्तान के सेनापति भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने भाषण में, उन्होंने अपने व्याख्यान में न सिर्फ यह बताया है कि पिछले सालों में यहां के मंत्रिमंडल ने, हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कितनी प्रगति की है, बल्कि हमारे सामने वह एक चित्र भी पेश किया है कि जोकि हिन्दुस्तान के सामने आने वाला है जिसमें हिन्दुस्तान प्रगति करने वाला है।

उन्होंने सब से पहले अपने व्याख्यान में सीमा पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण का जिक्र किया है और इस आक्रमण को उन्होंने विश्वासघात के शब्द से पुकारा है। उन्होंने कहा है कि चीन ने हमारी सीमाओं पर आक्रमण करके हमारे साथ विश्वास घात किया है। चीन और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध बहुत प्राचीन सम्बन्ध हैं, चीन की और हमारी मित्रता एक प्राचीन मित्रता थी और आज भी हमारे हृदयों में चीन के लिए प्रेम की भावना है। जब से चीन में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है तब से उसने बड़ी प्रगति की है और उसकी इस प्रगति को देख कर हमको खुशी होती है और होती थी। आज भी हम चाहते हैं कि चीन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो ताकि उसके साथ सारे एशिया की प्रगति हो सके। लेकिन जब चीन ने आक्रमण किया तो उसके कारण हमारे हृदयों में तथा हमारे देश में एक गुस्से की लहर दौड़ गई और उसके कारण हमारे दिलों में बेचैनी पैदा हो हुई। परन्तु हमारे प्रधान मंत्री के सामने इसका मुकाबला करने के तीन रास्ते थे, एक रास्ता तो यह था कि हम अपने घुटने टेक कर समझौता कर लेते, दूसरा रास्ता यह था कि हम वार्तालाप के लिए तैयार होते और तीसरा रास्ता यह था कि हम युद्ध करते। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा नर अथवा नारी है, जो कि यह समझता है कि जब तक इस देश का नेतृत्व वीर जवाहरलाल के हाथों में है, जब तक हमारे प्रधान मंत्री वीर जवाहरलाल हैं हमारा देश कभी भी किसी भी देश के सामने चाहे वह कितना ही ताकतवर या शक्तिशाली क्यों न हो, घुटने टेक दे। यह ना-मुमकिन है। दूसरा रास्ता हमारे प्रधान मंत्री के सामने वार्तालाप का था। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री ने वार्तालाप की शिक्षा पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में बैठ कर ली थी और उन्हीं के कदमों पर, उन्हीं के रास्ते पर उन्हीं द्वारा दिखाये गए मार्ग पर वह आज भी चल रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने पूरी चेष्टा की, पूरी कोशिश की, उनकी पूरी चेष्टा यह रही भी है कि चीन के साथ बातचीत द्वारा कोई समझौता हो जाय और वार्तालाप से मामला निपट जाए। वह वार्तालाप, आप जानते ही हैं, एकतरफा नहीं हो सकती। हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने व्याख्यान में एकतरफा कार्रवाई की निन्दा की है। हम वार्तालाप करने के लिये तैयार हैं लेकिन वह वर्तालाप एकतरफा नहीं हो सकता। हम आशा करते हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि चीन जो हमारा मित्र था और जिस के लिए आज भी हमारे दिल में मित्रता की भावना है और इस आक्रमण के बावजूद भी बनी हुई है, वह हमारी मिसाल से हमारी बातों से प्रभावित हो कर इसके लिए तैयार हो जाएगा कि हमसे किसी किस्म का समझौता कर ले ताकि सीमाओं पर आक्रमण के कारण हमारे हृदयों और हमारे दिलों में जो दुःख और रंज पैदा हुआ है, वह दूर हो सके।

इसी व्याख्यान में हमारे राष्ट्रपति जी ने पाकिस्तान के साथ सीमायी विवादों के बारे में हुए समझौते का भी जिक्र किया है। कुछ दिनों की बात है कि सीमाओं पर पाकिस्तान के साथ हमारे काफी झगड़े होते थे और उस वक्त भी हमारे देश में और हमारे देश के बाहर कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो समझते थे कि हमारे प्रधान मंत्री शक्तिशाली तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सख्त रवैया नहीं ले रहे हैं, कमजोरी दिखा रहे हैं। हमको यह भी याद है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अक्सर प्रधान मंत्री अपने घूंसे और अपनी मुट्ठी हमको दिखाया

करते थे और हमारे दिलों में भी यह खयाल आता था कि हम भी मुट्ठी और घूंसे से उनका जवाब दें। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्ग पर हम चले और चल रहे हैं जिन्होंने हमें घूंसा और मुट्ठी दिखाना नहीं सिखाया है। हमने प्रेम से इन समस्याओं को हल करने की कोशिश की है, और हमारे प्रेम की बदौलत ही वे हमारे करीब आये हैं और जहां तक सीमाओं का मसला था उनके बारे में हमारा उनके साथ समझौता हो गया है। मैं आशा करता हूं कि अगर हमारा यही रवैया रहा, हमारा यही तरीका रहा, इसी मार्ग पर हम चलते रहे तो अपने प्यारे नेता प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमें वह दिन भी देखने को मिलेगा जबकि काश्मीर के मामले में पाकिस्तान हमारे सामने अपनी गलती को मान लेगा और काश्मीर की जिस भूमि पर उसने कब्जा किया है उसकी एक एक इंच भूमि को खाली करके वह चला जायेगा।

एक और चीज जिसका राष्ट्रपति जी ने अपने व्याख्यान में जिक्र किया है वह साउथ अफ्रीका के बारे में है। उन्होंने कहा है कि यह दोहराते हुए हमें खेद और रंज होता है कि आज से नहीं बल्कि बरसों से वहां के सफेद मालिक एक काला कानून लागू किये हुए हैं। हमने यू० एन० ओ० और दूसरी जगहों में बहुत कोशिश की है कि उस काले कानून को खत्म करवा दें और आज भी हमारी वह कोशिश जारी है। हम दुनिया के दूसरे मुल्कों से प्रार्थना करते हैं, दूसरे मुल्कों से अपील करते हैं और खास तौर से अपने कामनवैल्थ के मुल्कों से अपील करते हैं कि वे साउथ अफ्रीका वालों को समझायें कि वे काले कानून को खत्म कर दें ताकि दुनियां में एक अच्छी संस्कृति की मिसाल कायम हो सके।

अभी चन्द दिनों की बात है कि अमरीका के राष्ट्रपति हमारे मुल्क में आये थे। अभी अभी रूस के प्रधान मंत्री यहां आये और वहां के राष्ट्रपति भी आये थे। यह एक अजीब मिसाल है, शायद हिन्दुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है दुनिया के अनेक मुल्कों में, जिस में एक ही प्लेटफार्म पर श्री ख्रुश्चेव और अमरीका के राष्ट्रपति बैठ सकते हैं। हमारी बहुत दिनों से योजना रही, हमारी बहुत दिनों से चेष्टा रही, हमारे प्रधान मंत्री जी की यह पूरी कोशिश रही कि दुनियां में शान्ति कायम रहे और दुनियां के ऊपर ठंडी लड़ाई की जो घनघोर घटायें छाई हुई थीं, जो ठंडी लड़ाई चल रही थी, वह बन्द हो। ऐसे वक्त में उन्होंने पंचशील का एक पैगाम दुनिया को दिया। उस पैगाम पर बहुत से लोग हंसे और साथ ही साथ बहुत से लोगों ने उसको स्वीकार किया और बहुतों ने स्वीकार नहीं भी किया। लेकिन हमने देखा कि वह वक्त आ गया है जबकि अमरीका तथा रूस दोनों ही इस पंचशील को इस पंचशील के पैगाम को मानने के लिये तैयार हो गये हैं और इसी पंचशील के पैगाम का यह नतीजा हुआ है कि थोड़े ही दिनों में एक मिनट सम्मिट कांफ्रेंस होने जा रही है। हमारे प्रधान मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल और इस संसद् की कोशिशों का यह नतीजा है कि दुनिया में जो घनघोर घटायें लड़ाई की छाई हुई थीं, वे फटने वाली हैं, लड़ाई का डर दूर होने वाला है और हम अपनी कोशिशों से उस जमाने को देख सकेंगे जबकि विश्व में शान्ति के सम्बन्ध कायम हो सकेंगे, शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा और युद्ध का ख्वाब एक पुराना ख्वाब हो सके और हम कह सकें कि युद्ध एक पुरानी चीज हो गई है और अब आगे कभी भी दुनिया में युद्ध नहीं होगा।

यह तो मुझे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में कहना था। जहां तक राष्ट्रीय मामलों का सम्बन्ध है, उसके बारे में भी राष्ट्रपति जी ने बहुत कुछ रोशनी डाली है। साथ ही साथ मेरे मित्र श्री विश्वनाथ रेड्डी ने धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए इसके बारे में काफी कुछ कहा है। मैं कुछ अधिक कहना नहीं चाहता हूं। एक दो बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। हमारे माननीय मित्र ने आर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जिक्र किया है। हम सब जानते हैं

[श्री अन्सार हरवानी]

कि एक जमाना था जबकि हिन्दुस्तान गुलाम था और उस जमाने में फौजों के लिये छोटी से छोटी चीज भी, यहां से सात हजार मील की दूरी से लाई जाती थी । तब हम गुलाम थे । उस वक्त कोशिश यह रहती थी कि कोई भी फौजी माल इस देश में न बन सके। लड़ाई के जमाने में मजदूरी की हालत में, जर्मनी के हवाईजहाजों के डर की वजह से यहां पर कुछ कारखाने कायम हुए थे। मगर उसके बाद उन में से बहुत से कारखाने बन्द हो गये, बहुत से टूट गये, बहुतों ने काम करना बन्द कर दिया और जो कुछ चालू रहे भी उनमें बहुत कम उन्नति हुई। अब खुशी की बात है कि इन कारखानों में पूरी चेष्टा की जा रही है कि थोड़े से दिनों में वह तमाम फौजी माल तैयार हो जिस की जरूरत न सिर्फ फौजों को ही रहती है बल्कि जिस की जरूरत हमारी सिविलियन पापुलेशन को भी होती है, हमारे नागरिकों को भी रहती है । इसको देखकर बड़ी खुशी होती है और हम आशा करते हैं कि आने वाले सालों में इन कामों में और प्रगति होगी ।

हमारे मित्र ने आयल एंड गैस कमिशन का भी जिक्र किया है। आयल एंड गैस कमीशन ने जो कार्य किया है, उसको देख कर भी बड़ी खुशी होती है । मैं धन्यवाद देता हूं उन तमाम देशों को जिन देशों ने मदद की है हमारे देश की ताकि हम इस देश में तेल निकाल सकें और मैं उन तमाम देशों को संसद् की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, । मैं आशा करता हूं कि हमारी चेष्टाओं से, हमारी कोशिशों से हमें वह दिन देखने को मिलेगा, वह दिन दूर नहीं होगा जबकि हिन्दुस्तान को दूसरे मुल्कों से तेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इतना ही नहीं बल्कि हम अपने पड़ौसी मुल्कों को भी तेल दे सकेंगे ।

ये चन्द बातें कहने के बाद मैं राष्ट्रपति जी को उनके व्याख्यान के लिये रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जो ख्वाब हिन्दुस्तान की उन्नति का, हिन्दुस्तान की प्रगति का हमारे सामने पेश किया है, वह पूरा हो ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । मेरे पास राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में लगभग २०० संशोधन आये हैं । माननीय सदस्य जिन संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहें वे १५ मिनट के भीतर उन संशोधनों की संख्या सभापटल पर दे दें। उनमें से जो संशोधन नियमानुकूल होंगे उन्हें प्रस्तुत हुआ मान लिया जायेगा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : (कलकत्ता—मध्य) : भारत गणराज्य के दस वर्ष पूरे हो गये हैं मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम बम्बई राज्य के सम्बन्ध में सरकार को अक्ल आ गई है और अब महाराष्ट्र और गुजरात के पृथक राज्य बनाये जा रहें हैं। तथापि अभी भी इस कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ नहीं किया जा रहा है । सरकार अभी भी बम्बई और मैसूर के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद तथा उड़ीसा की सीमाओं में परिवर्तन करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक नहीं समझ रही है । सरकार तभी कोई काम करती है जब कि उसे विवश हो कर कोई काम करना पड़ता है ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चीन के सम्बन्ध में जिस भाषा का उपयोग किया है उसे देख कर मुझे आश्चर्य हुआ है । उन्होंने विश्वास घात शब्द का उपयोग किया है, यह शब्द अनुचित और कठोर है । राज्य सभा में प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम अनुभव करते हैं कि चीन ने हमारा अपमान किया है और चीन से इस मामले में बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वस्तुतः यह बात भारत जैसे बड़े राष्ट्र को शोभा नहीं देती । निरसन्देह चीन और भारत के शत्रु ही यह चाहते हैं कि इन दोनों में शत्रुता हो, अन्यथा

†मूल अंग्रेजी में

जब अमेरिका और रूस एक दूसरे से मित्रता कर सकते हैं तो क्या कारण है कि चीन और भारत के मतभदों का निपटारा बातचीत के द्वारा नहीं हो सकता है । मुझे पूरा विश्वास है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रयोग करने से ये अस्थायी मतभेद दूर हो सकता है । कांग्रेस केरल के आम चुनाव जीत चुकी है अतः मेरे विचार से अब चीन के मामले को बनाये रखना उचित नहीं है । निसन्देह हम वहां पराजित हुए हैं तथापि हम जानते हैं कि वहां की जनता के हृदय में अब भी हमारे लिये स्थान सुरक्षित है । हमें पूरा विश्वास है कि त्रिदलीय समझौते के भयंकर परिणाम शीघ्र ही इनके सामने आयेंगे । पिछले वर्ष १० अगस्त को एक प्रश्न यह पूछा गया था कि चार महीनों के दौरान भारत स्थित विदेशी मिशनरियों के लिये विदेशों से ३ ७० करोड़ रुपये आये । जिसका अधिकांश भाग केरल में व्यय किया गया। उन लोगों ने अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा के विरुद्ध खुले आम साम्यवादी दल के विरुद्ध प्रचार किया। उन लोगों ने पुनर्जीवित मुसलिम लीग के साथ समझौता किया जो कि कांग्रेस के आदर्शों और समाजवादी ढांचे से समाज की विरोधी है, कुछ भी हो उनकी यह खुशी स्थायी नहीं रह सकती है ।

जहां तक वेतन आयोग का सम्बन्ध है इससे देश के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है । इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की भी विशेष जिम्मेदारी है क्योंकि उन्हीं के आश्व सन से १९५७ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने सीधी कार्यव ही रोक दी थी । अब उनके सम्बन्ध में इस प्रकार के निर्णय किये जा रहे हैं जो कि विचित्र हैं । क्या इससे केन्द्रीय कर्मचारियों को पूरी सच्चाई से काम करने की प्रेरणा मिलेगी ।

सरकार ने उद्योगों की व्यवस्था में कर्मचारियों को भाग देने का सिद्धान्त अपनाया है तथापि यह सिद्धान्त स्वयं डाक तार विभाग और जीवन बीमा निगम में नहीं अपनाया जा रहा है सरकार को चाहिये कि वह दूसरों को सलाह देने के पहिले अपने विभागों में इन सिद्धान्तों को अपनाये। कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों से मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि अप्रैल, से नवम्बर, १९५८ तक केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और उपमंत्रियों को वेतन के अलावा ७,४४,०३९ रु० भत्ते के रूप में दिये गये । तथा मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को यात्रा भत्ते के रूप में साढ़े छः से साढ़े आठ लाख रुपये प्रतिवर्ष तक दिया जाता है । जब कि केन्द्रीय सरकार के अधिकांश कर्मचारियों को १०० रु० से भी कम वेतन मिलता है । मैं नहीं जानता कि वे बेचारे अपना गुजर किस प्रकार से करते हैं । उनसे कहा जाता है कि वे त्याग करें किसी से त्याग करने के पूर्व हमें स्वयं त्याग करना चाहिये । यदि कीमतें स्थिर रहें तो भी श्री देसाई ने जो कुछ कहा उस पर ध्यान दिया जा सकता है । तथापि सरकार कीमत स्थिर रखने में बिल्कुल असफल रही है । फसल कटने के बावजूद भी पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा का एक जोन बनने के कराण कलकत्ता में खाद्यान्न के भावों में वृद्धि हो रही है । तीसरी योजना में ११०० लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि भारत प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के आयात में १७५ करोड़ रुपया व्यय नहीं कर सकता है । तथापि खाद्य उत्पादन की वृद्धि का कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि सहकारी खेती, कीड़े मारने सम्बन्धी आन्दोलन व सिंचाई की छोटी परियोजना की ओर उचित ध्यान न दिया जाय । स्थिति यह है कि योजना आयोग की भूमि सुधार तालिका की सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है । प्रधान मंत्री ने इस बात का वचन दिया है कि तृतीय योजना का मसविदा तैयार करते समय जनता के प्रतिनिधियों से भी सलाह ली जायेगी । आशा है इस बात पर अमल किया जायेगा । तीसरी योजना के दौरान हमारे ऊपर योजनाओं के लिये पर्याप्त धन संसाधन जमा करने और ४३४ करोड़ विदेशी ऋण लौटाने का भार पड़ेगा । इतने पर भी हम विदेशी गैर सरकारी पूंजी को पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

हमारे देश में विदेशी पूंजी बढ़ती जा रही है । १९४८ में हमारे देश में विदेशी पूंजी की कुल कीमत २५६ करोड़ थी, जो कि १९५७ में बढ़ कर ५०९ करोड़ हो गई । इसी प्रकार तैल क्षेत्र

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

में विदेशी पूंजी २२.३ करोड़ से बढ़ कर १३३.८ करोड़ हो गई। मेरे कथन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हमें उनकी पूंजी जब्त कर लेनी चाहिये। तथापि हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि हम विदेशी पूंजी से अपने आर्थिक हितों की रक्षा करें। निसंदेह कई प्रश्न बहुत गम्भीर हैं और उनका हल करना आसान काम नहीं है। तथापि सबसे आवश्यक समस्या को पहिले लिया जाना चाहिये विशेषत: भूमि सुधारों की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिये और खाद्य समस्या का कोई दीर्घकालीन हल निकालना चाहिये। साथ ही कुछ मामलों में अनुचित विलंब किया जाता है। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश के दमुआ में हुई खान दुर्घटना के सम्बन्ध में अभी भी जांच समिति नहीं बिठाई गई। अन्तर्राष्ट्रीय मामले में भी इसका एक उदाहरण है। पांडिचेरी अभी तक विधि अनुसार भारत को हस्तांतरित नहीं किया गया है, इस के फलस्वरूप वहां के विरोधी पक्षों के सदस्यों पर जो मुकदमें चल रहे हैं उनकी अपील फ्रांस के उच्चतम न्यायालय में ही हो सकेगी। इस प्रकार भारत के नागरिकों को अपने मुकदमें की सुनवाई के लिये फ्रांस के न्यायालय की शरण लेनी होगी।

प्रशासन के सुधार के सम्बन्ध में भी कार्य किया जा सकता है। सरकार ऊंचे पदवाले व्यक्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने की कार्यवाहियां कर सकती है। तथापि जब श्री सी० डी० देशमुख ने इस सम्बन्ध में एक अधिकरण नियुक्त करने का सुझाव दिया तो उनके सुझाव का विरोध किया गया। वस्तुत: केवल दूसरे की बदनामी कोई नहीं करना चाहता है किन्तु जब श्री देशमुख जैसे व्यक्ति ने यह सुझाव दिया तो उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। यदि आप इस सम्बन्ध में कोई स्थायी न्यायाधिकरण नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम तदर्थ न्यायाधिकरण ही बनाया जाय। तथापि हमें जनता के समक्ष यह सिद्ध करना चाहिये कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र के हितों के विरुद्ध कार्य करेगा उसे अवश्य दंड दिया जायेगा।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि सरकार अन्य विधान भी पारित करना चाहती है। यह उचित है तथापि सरकार को चाहिये कि बजाय अधिक विधान पारित करने के वह प्रशासन में सुधार करे, तभी जनता की अधिक भलाई हो सकती है। इन स्थितियों के कारण मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई उत्साह प्राप्त नहीं कर सकता।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : यह आम धारणा है कि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में सुधार हुआ है और यह भी ठीक है कि विश्वव्यापी तनाव में कुछ कमी भी हुई है, हालांकि दुर्भाग्य से हमारी सीमा पर कुछ आक्रमण हुए हैं, जिनके कारण हमारा यह अनुभव करना कि तनाव में कुछ कमी हुई है कठिन हो जाता है। इस तनाव की कमी का कारण विश्व के कुछ प्रमुख राजनीतिज्ञों की विचारधारा और उनके रवैयों में परिवर्तन के फलस्वरूप ही है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम विश्व की इस विकसित स्थिति पर भरोसा कर सकते हैं अथवा इस बात की संभावना है कि विश्व फिर अपनी वही पुरानी स्थिति अपनायेगा। मेरा अपना विचार है कि इस स्थिति की पृष्ठभूमि में वही पुरानी बातें अभी चक्कर लगा रही हैं। फ्रांस ने अभी हाल में बम विस्फोट किया है। अब यह देखना है कि नि:शस्त्रीकरण की समस्या पर इस विस्फोट की क्या प्रतिक्रियायें होंगी। यूरोप में इसके प्रति क्या रवैया अपनाया जाता है यह वह प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।

यह प्रश्न हमारे लिये भी बड़े महत्व का है क्योंकि हमें अपना भविष्य इस तथ्य के अनुसार नहीं देखना चाहिये कि विश्व में तनाव कम हो गया है। हमें तो विश्व-व्याप्त सद्भावना पर विचार करना है तथा अपनी घरेलू कठिन समस्याओं को दृढ़ बनाना है क्योंकि शेष विश्व लाभोन्मुख

†मूल अंग्रेजी में

स्थिति में है। हो सकता कि शेष विश्व यह अनुभव करे कि स्थिति सुधर गई है लेकिन हमारे सामने तो बहुत से प्रश्न हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में हमारे लिये यह आवश्यक तथा उत्तरदायी कार्य हो जाता है कि एशिया के पड़ौसी मित्र देशों को एक सूत्र में बांधा जाये। लेकिन प्रधान मंत्री ने संसद् तथा अपने दल की बैठकों में इस प्रश्न के बारे में जो रवैया दिखाया है उससे आश्चर्य हुआ। उनका विचार ऐसा प्रतीत होता है कि भारत कुछ देशों का अनुसरण कर रहा है। लेकिन मेरा विचार था कि हम शक्तिशाली गुटों अथवा बड़ी सत्ताओं का अनुसरण करने के विरोधी हैं। इतना अवश्य है कि हम पड़ौसी देशों के निकट सम्पर्क में आ सकते हैं। अतः इस समस्या का गम्भीरता तथा अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिये। हमारे चारों ओर बहुत से देश हैं लेकिन आज देश की परिवर्तित स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक नहीं है कि हम उनको एक साथ मिलावें। ताकि सभी दृष्टि से एक सामान्य ब्यूह रचना करने में समर्थ हो सकें। आज विश्व में किस तेजी से परिवर्तन हो रहा है यह हमें ध्यान रखना चाहिये। नाना प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं बनायी जा रही हैं। निरन्तर यह प्रयत्न किया जा रहा है कि विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे के सहयोग से अपने हित के लिये सामान्य रूप से प्रयत्न करें। हमारे चारों ओर कुछ ऐसे देश हैं जिनकी नीति हमारी नीति जैसी ही है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उनको एक साथ लावें। इस दिशा में क़दम उठाने के लिये यह बहुत ही उपयुक्त अवसर है तथा यह ऐतिहासिक दायित्व भी है। और हमारी सीमा पर जो झगड़े हुए हैं उस दृष्टि से भी ऐसा करना महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति ने जो घटनायें हुई हैं उनको गम्भीरता से लिया है तथा स्थिति का सही सिंहावलोकन किया है।

गर्मियों में हमारी सीमा पर क्या होगा —क्या और भी आक्रमण होंगे और यदि हुए तो उस समय हम क्या करेंगे यह प्रश्न हम सरकार पर छोड़ सकते हैं। लेकिन यह सत्य है कि आज हमारे क्षेत्राधिकार पर अधिकार कर लिया गया है और हमारा क्षेत्राधिकार खाली हो जाना चाहिये। जब तक वह क्षेत्र खाली नहीं हो जाता तब तक चीनी सरकार से बातचीत का कोई प्रश्न नहीं उठता। आशा है कि इस बात का जो कि बहुत ही ठोस है, पूरा पूरा पालन किया जायेगा।

दूसरी बात यह कही गई है कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक कि स्थिति ठीक एंव सन्तोषजनक तथा स्पष्ट नहीं हो जाती। सभा में इस पर कई बार विचार किया जा चुका है अर्थात् जब तक चीनी सरकार हमारे उस क्षेत्र को जो कि उसने अवैध रूप से तथा बल से ले लिया है खाली नहीं कर देता और दोनों देशों के बीच में मैकमोहन लाइन को सीमा नहीं मान लिया जाता। केवल इसी आधार पर थोड़ी बहुत बातचीत की जा सकती है। अतः मुझे आशा है कि सभी लोग इस बात से सहमत होंगे और मैं जानता हूं कि विश्व के कुछ लोग भी इस बात से सहमत हैं कि चीनी प्राधिकारियों से ऐसी परिस्थिति में बातचीत नहीं करनी चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री को चीनी प्रधान मंत्री से मिलने की जल्दी नहीं करनी चाहिये। सामान्य राजनीतिक तत्वों का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिये। हम देखते हैं कि किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया है कि चीन से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये और न किसी ने यह कहा है कि हमें प्रतिकूल कार्यवाही करनी चाहिये, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को स्थान दिलाने के लिये हमारी सरकार जो कुछ भी करेगी हम उसका स्वागत ही करेंगे। लेकिन परिस्थिति सन्तोषजनक हुए बिना, समय से पूर्व, वहां के प्रधान मंत्री से मिलना देश के लिये हानिकारक होगा। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री हमें इस बात का आश्वासन दें कि वे उच्च स्तर पर वहां कोई बात नहीं करेंगे। छोटे स्तर पर बातचीत करने में तो कोई हानि नहीं है। मेरा विचार है कि राष्ट्रपति का मन्तव्य भी यही है। अतः मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा करें ताकि हम उनकी विचारधारा के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार का निवर्चन न करें।

[श्री अशोक मेहता]

प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में भाषण करते हुये कहा है कि हमें इस संकटकालीन स्थिति के समय प्रतिरक्षा मंत्री की इतनी कटु आलोचना नहीं करनी चाहिये। कहने से पूर्व इस बात पर विचार कर लेना चाहिये कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन क्या यह बात प्रतिरक्षा मंत्री पर लागू नहीं होती कि कहने से पूर्व वे भी विचार करें कि क्या कह रहे हैं। क्या उनके द्वारा कही गई कुछ बातों के लिये हम प्रधान मंत्री को उत्तरदायी ठहरायें। जब हम सरकार की सम्पूर्ण नीति की आलोचना करते हैं तो हम किसी मंत्री विशेष की आलोचना नहीं करते। मैं बार बार प्रधान मंत्री का नाम ले रहा हूं वह भी उनके कहने के अनुसार ही, हालांकि कुछ लोग प्रधान मंत्री का नाम बार बार लेने से उलझन में पड़ गये हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता कि यदि कोई मंत्री कोई भाषण, वक्तव्य आदि जारी करता है तो क्या हमें यह पूछने का अधिकार नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि कुछ लोग प्रतिरक्षा मंत्री की बातों को जल्दी पकड़ लेते हैं और उनका विरोध करते हैं। लेकिन मैं, अथवा मेरे दल के सदस्य, चाहे वे इस सभा के सदस्य हों अथवा दूसरी सभा के, ऐसे नहीं हैं। लेकिन इतना निश्चय अवश्य है कि देश की प्रतिरक्षा, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा, आदि के बारे में हम बहुत सजग और चिंतित हैं और यही कारण है कि कभी-कभी हम स्पष्टीकरण मांग लेते हैं। इसलिये मैं तो यह नहीं समझता किसी प्रकार की ऐसी आलोचना सेना पर असर डालेगी अथवा देश में भ्रान्ति उत्पन्न करेगी। और उस प्रकार की आलोचना के लिये कोई अवसर नहीं देना चाहिये और उसके बावजूद भी यदि हम वैसी आलोचना करते हैं तो मैं उस प्रकार की सभी बुरी भली बातों को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं जो कि प्रधानमंत्री ने उस सभा में कही हैं।

बार बार यह बात कही गई है और प्रधान मंत्री ने भी बड़े जोरदार शब्दों में यह स्पष्ट किया है कि आर्थिक विकास ही हमारी सेना का मुख्य आधार है। उनकी इस बात से मैं सहमत हूं। अन्ततोगत्वा हमारी प्रतिरक्षा की स्थिति इसी बात पर आधारित रहती है कि हमारा आर्थिक विकास कैसा हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने अभी हाल में कलकत्ता में कहा था कि हमारे विकास सम्बन्धी प्रयत्नों में चोरबाजारी तथा करापवंचन करने के कारण काफी रुकावटें आई हैं। यह बात किसी भावना से प्रेरित होकर नहीं कही गई है यह बात एक उत्तरदायी प्रशासक ने कही है। हमसे कुछ लोग अब इस बात का अनुभव करते हैं कि इस चोरबाजारी और करापवंचन की जड़ में भ्रष्टाचार की समस्या निहित है। प्रधान मंत्री जानते हैं कि भ्रष्टाचार की बात मैंने नहीं कही है और न मैं इस बात को उस समय तक कह सकता हूं जब तक कि मैं इस सम्बन्ध में ठोस प्रमाण न दे सकूं। लेकिन समस्या यह है कि आज सारे देश में यह बात फैली हुई है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि हमारे यहां भ्रष्टाचार निरोध प्राधिकार होना चाहिये। प्रधान मंत्री ने स्वयं अनुभव भी किया है कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिये लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वह ऐसा करने के लिये इच्छुक भी हैं। उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार के आरोपों की प्रत्यक्ष जांच एक उच्चस्तरीय व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिये और उसके परामर्श पर हमें कार्य भी करना चाहिये। चूंकि वह इस बात के लिये इच्छुक है अतः कोई ठोस उदाहरण मिलने पर वह ऐसा करेंगे भी। अब हमारा सुझाव यह है कि यदि ऐसा निकाय कोई स्वतंत्र निकाय है तो वह उच्चतम न्यायालय अथवा निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा एवं स्तर का होना चाहिये अन्यथा ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनेगा। अगर कोई गम्भीर बात उनके सामने आयेगी तो वे उस पर विचार करेंगे। और मामले की जांच करेंगे तथा सरकार

को उससे लाभ ही होगा। एक व्यक्ति के अधीन कार्यवाही कराने में बदनामी का डर ही रहता है। क्योंकि निर्वाचन आयोग के अनुभव से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसे कार्य करते हुए दस वर्ष हो गये हैं और अब जाकर इस बात का अनुभव हुआ है कि इसका कार्य संदेह और शंका से बाहर है।

मेरा विचार है कि इस प्रकार का प्राधिकार ही सरकार की स्थिति को सुदृढ़ बनायेगा। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं यदि वे आरोप झूंठे है तो वे लोग बरी हो जायेंगे और यदि सच्चे हैं तो उनकी जांच होगी और असलियत मालूम हो जायेगी तथा वातावरण बिल्कुल साफ हो जायेगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आरोप क्या हैं मैं यह जानना चाहता हूं

†**श्री अशोक मेहता** : यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैं देखता हूं कि प्रधान मंत्री का रुख मेरी ओर अच्छा नहीं है। मैंने उनके साथियों के बारे में कुछ नहीं कहा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उन पर यह आरोप तो नहीं लगा रहा हूं लेकिन वह भ्रष्टाचार की बाबत इतनी बातें कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे आरोप क्या हैं।

†**श्री अशोक मेहता** : माननीय प्रधान मंत्री से मैं पूछना चाहूंगा कि उनके दल में कम से कम ४००–५०० सदस्य हैं अगर वे उनसे पूछें तो उनको पता चलेगा कि उनके दल में भी इस बात की सामान्य चर्चा होती है कि प्रशासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार है। सवाल मेरे अकेले व्यक्ति को सन्तुष्ट करने का नहीं है सवाल तो जनता को सन्तुष्ट करने का है। वर्ना आपके विकासीय प्रयत्न सफल नहीं होंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं तथ्यों को चुनौती तो नहीं दे रहा हूं। लेकिन यह बता देना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की बातों का उल्लेख यहां किया जाता है तो उनका अभिप्राय सामान्य व्यक्तियों से नहीं होता बल्कि उच्चस्तरीय लोगों से होता है और यहां तक कि उनमें मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। इसलिये माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जब वह इतनी ऊंची बातें यहां कर रहे हैं तो बतायें कि वे आरोप क्या हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले को अच्छी तरह से निपटाया जाये। लेकिन स्थिति का स्पष्टीकरण किये बिना ही सब लोग यह कहते है कि स्थिति बड़ी अजीब है।

†**श्री अशोक मेहता** : विशिष्ट आरोपों की चर्चा करने का न तो यह अवसर ही है और न मैं उनकी चर्चा करना ही चाहता हूं। सारी बात यह है कि अगर प्रधान मंत्री का विचार यह है, और उन्हें यह सूचना मिली है कि प्रशासन में काफी मात्रा में भ्रष्टाचार नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जनता में भावना यह है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है तो इस प्रकार के प्राधिकार की नियुक्ति स्थिति को ठीक कर देगी। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं और वे सिद्ध नहीं होते तो प्रधान मंत्री साधिकार यहां सभा में आकर कह सकते हैं कि प्राधिकार के नियुक्त करने के पश्चात् भी कुछ नहीं हुआ और लोग फिर भ्रष्टाचार की बात कहना बंद कर देंगे। लेकिन दूसरी ओर यदि वह अनुभव करते हैं कि यह बात उनके प्राधिकार के बारे में कहीं गई हैं और फिर भी वे किसी प्राधिकार की नियुक्ति

---

†लम् अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

नहीं करते तो वह भी इसमें शामिल हैं अतः एक स्वतन्त्र प्राधिकार की नियुक्ति करने के पश्चात् सब कुछ समाप्त हो जायेगा।

विकास कार्यों के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है मैं देखता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह भी मालूम नहीं कि तृतीय योजना का प्रारूप इस वर्ष हमें मिलेगा भी अथवा नहीं। मैं आशा करता हूं कि वह हमें मिलना चाहिये जिससे कि हम लोगों को यह बता सकें कि इन योजनाओं के पीछे सामाजिक दार्शनिकता और आर्थिक महत्व क्या है। क्योंकि जब तक हम जनता को यह बात विस्तृत रूप से नहीं बता सकेंगे तब तक इस योजना को सफलतापूर्वक नहीं निभाया जा सकता चूंकि ये बातें इस योजना की महत्वपूर्ण अंग हैं। योजना से लाभ भी होते हैं और उसका भार भी पड़ता है। इन लाभ तथा भार का वितरण सदैव समानरूप से नहीं होता। कुछ वर्गों को लाभ हो जाता है और वे इस भार को उठाने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिये लोगों को उनके बताने की आवश्यकता पड़ती है।

मैं मानता हूं कि प्रधान मंत्री इस को बताने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन असली बात यह है कि अगर आगामी दो वर्षों में हम जनता को सन्तुष्ट और इसके प्रति सजग न बना सके तो इस योजना को सफलता नहीं मिल सकेगी।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैरा संख्या १२ में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में कहा है कि,

> "यह वृद्धि सर्वतोमुखी है जिनमें सभी उद्योगों का योगदान है, किन्तु धातु सम्बन्धी उद्योगों की उन्नति से उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है।"

यह सच है कि औद्योगिक विकास में उन्नति हुई है। लेकिन सभी उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि १२६ उद्योगों में से ४४ उद्योगों में गतवर्ष की अपेक्षा उत्पादन कम हुआ है। औद्योगिक विस्तार में दो प्रकार की कठिनाइयां आई हैं। पहली कठिनाई तो कृषिजन्य कच्चे सामान की है। इसके कारण मूल्य स्थिर रखने में रुकावट आई। इस बात को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात विद्युत् की कमी है। कपास के उत्पादन में कमी के फलस्वरूप हमारा निर्यात जो २००० लाख गज हो गया था अब घट गया है। स्थिति यहां तक आ गई है आज हम विदेशों से १० लाख गाठों का आयात कर रहे हैं। इस प्रकार उत्पादन की कमी के कारण मूल्य स्थिर न रह सका तथा निर्यात की स्थिति भी वह न रह सकी। यही बात जूट, चाय तथा चीनी के बारे में हुई खाद्यान्नों के उत्पादन में भी कमी आई है। व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में भी कमी हुई है। अतः यदि हम समय पर जागरूक न हुए तो स्थिति और भी बिगड़ जायेगी। हमारे इस उत्पादन की कमी और विदेशों से किये गये निर्यात की आलोचना विदेशी कृषि विद्वानों ने भी की है। उनमें प्रो० डूमेन्ट का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने चेतावनी भी दी है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन इतना अवश्य है कि हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम में कहीं न कहीं कमी अवश्य है। इस क्षेत्र में हमारी हार हुई है। प्रश्न यह है कि हमें इस बात पर विचार करना है कि इस सम्बन्ध में हमें क्या करना चाहिये। जब तक हम इस क्षेत्र की कमी को दूर नहीं करते तब अन्य क्षेत्रों में कमी दूर नहीं की जा सकती।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि वह यह बतायें कि इस सम्बन्ध में क्या किया जायेगा ताकि इस क्षेत्र की कमी दूर हो सके। क्या प्रशासन में परिवर्तन किया जायेगा अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रयत्न किया जायेगा ताकि १९६० में यह कमी न रहे। अगर परिवर्तन नहीं किया जाता तो जो इसके प्रभारी हैं और वे यदि इसको ठीक नहीं कर पाते हैं तो उन्हें दंड दिया जाये। कृषि क्षेत्र में जिस ढंग से कार्य हो रहा है वह एक प्रकार से पाप है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अतः मैं आशा करता हूं कि इस समस्या को गम्भीरता से लिया जायेगा और वह प्राथमिकता दी जायेगी जो कि इसको मिलनी चाहिये। और मेरा विश्वास है कि यदि ऐसा किया गया तो स्थिति अवश्य ही सुधर जायेगी।

हम देखते है कि गेहूं और चना के मूल्य को छोड़कर अन्य खाद्यान्नों तथा मूलभूत आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया है। जूट का मूल्य भी २३-२४ रुपये से बढ़कर ३४ रुपया प्रति मन हो गया है। क्या प्रशासन इतना निष्प्राण हो गया है कि हम मूल्य भी स्थिर नहीं रख सकते। अतः मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मूल्यों को स्थिर रखने के लिये कोई कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया गया तो स्थिति ठीक होने की आशा अधिक नहीं है।

आणविक शक्ति के उत्पादन से मैं सन्तुष्ट हूं यह प्रसन्नता की बात है कि विद्युत् तथा जल विद्युत् के साथ हमारे यहां आणविक शक्ति भी उपलब्ध होगी। आणविक शक्ति के उत्पादकों को बधाई देने के साथ-साथ इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण भी मैं चाहता हूं। आणविक शक्ति का उत्पादन मूल्य ईंधन के उत्पाद पर ही निर्भर करता है। ईंधन का उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार तथा कितनी मात्रा मे उसे अपने यहां ही उत्पादन करते हैं। मालूम नहीं कि हम इसका उत्पादन अपने यहां काफी मात्रा में कर भी सकेंगे अथवा नहीं। लेकिन फिर भी चाहे इसका मूल्य बढ़ ही क्यों न जाये हमें इसका उत्पादन करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि उपयुक्त समय पर वे इसके बारे में विचार प्रकट करें।

साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कि क्या हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र में पूर्ण सार्वभौमता प्राप्त करने का है। और यह सार्वभौमता किस प्रकार होगी। जब तक इसकी जानकारी करने की बात थी तब तक बात दूसरी थी लेकिन अब हमारे सामने इसका आर्थिक पहलू है। यह ऐसा मामला है जिससे सभी सम्बन्धित हैं। हमें इसकी तुलना अन्य शक्तियों से भी करनी है। विपणन की दृष्टि से भी हमें इसे देखना है। अतः माननीय प्रधान मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे कि इसके विकास के लिये हम क्या उपाय अपनायेंगे तथा क्या आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

†**श्री अ० प्र० जैन** (सहारनपुर) : मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारी उत्तरी सीमा पर व्याप्त धुंधली छाया के उल्लेख को छोड़ कर आन्तरिक और वैदेशिक क्रिया प्रतिक्रियाओं का प्रभावशाली लेखा जोखा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुसार वर्ष के पहले १० महीनों में औद्योगिक उत्पादन १३८ से बढ़ कर १४९·३ हो गया है। गत वर्ष की अपेक्षा यह काफी अच्छी प्रगति है जब कि उस वर्ष में केवल २ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष की यह उत्पादन वृद्धि ८ प्रतिशत के लगभग आती है जब कि उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने आयात परामर्शदात्री समिति में कल बताया था कि यह वृद्धि ६.४ प्रतिशत है। अतः इस विरोधाभास को दूर किय जाये। या तो इन आंकड़ों में असंगतता है अथवा अंतिम दो महीनों—नवम्बर, दिसम्बर में उत्पादन इतना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

कम हुआ है कि यह प्रतिशत ८ से घटकर ६.४ रह गया है। आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इन आंकड़ों की जांच करेंगे और बतायेंगे कि असलियत क्या है।

गत वर्ष कृषि उत्पादन में, अच्छी फसल होने के कारण, १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि काफ़ी प्रशंसनीय है। अतः हम आशा करते हैं कि उत्पादन की यह वृद्धि आगे भी जारी रहेगी।

आन्तरिक क्षेत्र में बम्बई राज्य का विभाजन करने का निश्चय भी एक अच्छा क़दम है। हो सकता है कि साम्यवादियों की दृष्टि से यह क़दम ठीक न हो जैसा कि माननीय सदस्य श्री मुकर्जी ने अपने भाषण में कहा भी है। लेकिन मेरा विचार है कि यह क़दम सही है और उपयुक्त समय पर किया गया है। महाराष्ट्र में हुए चुनावों ने इस बात को सिद्ध भी कर दिया है कि यह क़दम अच्छा है।

हम देखते हैं कि भारत का विदेशी विनिमय पहिली बार स्थिर हुआ है जब कि यह अब तक कम होता रहा है। और आशा है कि नई निर्यात नीति के अनुसार इसमें वृद्धि ही होगी।

कई वर्षों के तनाव के बाद इस वर्ष हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध कुछ अच्छे हुए हैं। और इसका सबूत वित्तीय समझौता तथा सीमा सम्बन्धी झगड़े से सम्बन्धित समझौता है। यह बात दोनों देशों के लिये अच्छी है। दोनों देशों के बीच नहरी पानी विवाद वाला समझौता भी करीब करीब पूरा हो चुका है। आशा है कि शेष दो झगड़े अर्थात् निष्क्रान्त सम्पत्ति तथा काश्मीर का मामला भी बातचीत तथा सद्भावना के आधार पर निकट भविष्य में तय हो जायेगा।

अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी, शांति बनाने, तनाव कम करने तथा आणविक परीक्षणों के बंद करने में हमारा सहयोग भी प्रशंसनीय है। हमारे पास न तो अधिक शक्ति है और न बहुत बड़ी सेना है लेकिन हमारी अपनी परम्पराएं है, हमारी अपनी संस्कृति और इतिहास है जिनके कारण राजनैतिक क्षेत्र में हमारा अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और इस बात को अमरीका और रूस जैसे देशों ने भी स्वीकार किया है।

चीन से जो झगड़ा हुआ है उसका उल्लेख किया गया है। आज सारे देश में उसकी चर्चा है। यह मामला भारत के लिये ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिये बड़े महत्व का है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि :

> "मेरी सरकार ने यह असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इन विवादग्रस्त मामलों को सुलझाने के लिये हम शान्तिपूर्ण प्रयत्न करना चाहते हैं। उतनी ही स्पष्टता से हमने यह भी कहा और दोहराया है कि चीन ने जो रुख अपनाया है और जो एक-तरफा कार्य या निर्णय किया है वह हमें मान्य नहीं होगा।"

ये दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। हमने और चीन ने पंचशील पर हस्ताक्षर किये हैं। पंचशील के एक सिद्धान्त के अनुसार एक राज्य को दूसरे राज्य की सीमा पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। लेकिन चीन ने इस शर्त का उल्लंघन किया है। यह उसका विश्वासघात है।

कुछ लोगों का कहना है कि हमें चीन के साथ लड़ाई शुरू कर देनी चाहिये। लेकिन क्या कभी यह भी सोचा है कि लड़ाई शुरू करना अपने हाथ में, लेकिन उसका समाप्त करना नहीं। यह

बात चीन और भारत की लड़ाई की ही नहीं है। बल्कि युद्ध का अभिप्राय आज की स्थिति में विश्व व्यापी युद्ध होगा। यह युद्ध केवल दोनों देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा।

आज विश्व में शांति बनाने की विचारधारा फैल रही है। विश्व के कुछ बड़े राष्ट्र उच्च-स्तरीय सम्मेलन करने का निश्चय कर चुके हैं। अगर लड़ाई छिड़ गई तो शांति का सारा वातावरण खराब हो जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की तटस्थता की नीति की आलोचना की है। मान लीजिये कि हम चीन के विरुद्ध अमरीका से सैनिक गठबन्धन करते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि रूस चीन को अकेला नहीं छोड़ेगा। जब कि हम देखते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में रूस हमारे विरुद्ध नहीं है और न वह हमारे विरुद्ध चीन से सैनिक गठबन्धन ही करने को तैयार है। अमरीका से हमारा गठबन्धन करने का परिणाम यह होगा कि विश्व दो विशाल गुटों में बंट जायेगा। और इसकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। अतः हम नहीं चाहते कि हम युद्ध शुरू करें और जो युद्ध शुरू करने की बात कहते हैं मेरे विचार से वे देश के मित्र नहीं हैं।

मेरा निवेदन है कि सामुदायिक विकास मंत्रालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ रहा है। मेरा विचार है कि सामुदायिक विकास योजना की योजना पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया गया है। यह बात मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं बल्कि कुछ रचनात्मक सुझाव देने की दृष्टि से कह रहा हूं। हम देखते हैं कि ग्रामों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भारी काम करना पड़ता है। गांवों में जो ब्लाक बनाये गये हैं। वे बहुत बड़े हैं। कभी कभी एक ब्लाक में ७० से १०० तक गांव होते हैं। बलवंतराय मेहता समिति ने भी कहा है कि ये सर्किल बहुत बड़े हैं। इसके कार्यकर्ता की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। तथा साथ ही उसे सब बातों की जानकारी भी होनी चाहिये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बहुद्देशीय प्रयत्न किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उसके कार्यों का विभाजन छोटा बनाना चाहिये और कार्यों की दृष्टि से व्यक्ति वहां रखने चाहिये। पौदों के सरंक्षण के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक ब्लाक में एक पौदा संरक्षक पदाधिकारी होना चाहिये जो पौदों की रक्षा कर सके और फ़सलों को खराब होने से बचा सके। पौदों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण समस्या है। मेरा यह भी निवेदन है कि प्रत्येक ब्लाक में एक सोयालकैमिस्ट होना चाहिये जो जमीन के बारे में बता सके और उसमें डाली जाने वाली खाद के मिश्रण के सम्बन्ध में भी कुछ बता सके। प्रत्येक ब्लाक में हर विषय को जानने वाला एक-एक विशेषज्ञ होना चाहिये। वर्ना, मेरा निवेदन है कि हमें इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। हमें इस कार्य के लिये अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और स्थिर तथा धीमी गति से कार्य करना होगा। चाहे समय अधिक क्यों न लग जाये।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में पैरा ५८ और ५९ में प्रशासन के बारे में उल्लेख किया है। यह उल्लेख कुछ अस्पष्ट है। मेरा विचार है कि प्रशासन ने देश की सेवा अच्छी की है। हालांकि इस क्षेत्र में काफी कार्य किया गया है लेकिन फिर भी उतना ध्यान इस क्षेत्र में नहीं दिया गया है जितना कि दिया जाना चाहिये था। अतः मेरा निवेदन है कि प्रशासन को ठीक करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ निश्चित कार्यवाही की जायेगी।

हम सभी कृषि की बात करते हैं, कृषि उत्पादन की चर्चा करते हैं लेकिन मैं देखता हूं कि कृषि के विकास के लिये नालागढ़ समिति का प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया गया था वह १८ महीने से ज्यों का त्यों पड़ा है उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हालांकि—राज्य के कृषि

[श्री अ० प्र० जैन]

मंत्रियों के सम्मेलन में इसे स्वीकार कर लिया है। इस प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने में २ करोड़ रुपये प्रति वर्ष का व्यय होगा। मेरा निवेदन है कि इसे तृतीय योजना का अंग बनाना चाहिये। इसके लिये मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को दोषी नहीं बता रहा हूं वह तो इसको क्रियान्वित करने के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार यह बताये कि अभी तक इसे क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है।

राज्यों में हम देखते हैं कि कृषि सेवाओं में काम करने वाले व्यक्ति अच्छी योग्यता वाले नहीं हैं उसका कारण है कि उन्हें अच्छा वेतन एवं अच्छी सुविधाएं नहीं मिलतीं। अतः मेरा निवेदन है कि उनको सुविधा के लिये उनका दर्जा भी वही बनाया जाये जो कि अन्य सेवाओं में है। इन सेवाओं को भी अन्य सेवाओं जैसा सम्मान मिलना चाहिये।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई ऐसी बात नहीं जिस से यह संकेत मिल सके कि आज की राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का किस प्रकार सफलता पूर्वक मुकाबला किया जा सकता है। इस अभिभाषण से ऐसा लगता है कि जैसे सरकार को आज की स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। पदासीन दल का विचार यह दिखाई देता है कि देश के अन्दर और बाहर सब ठीक ही चल रहा है। हां, अब चीन के मामले में अवश्य कुछ हलचल मची है। खाद्यान्न की कमी का साधारण तौर पर ही उल्लेख किया गया है परन्तु आज अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम बहुत तेज़ी से चढ़ रहे हैं; इस स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। आज सारे देश में विकास परियोजनाओं की धूम मची हुई है परन्तु इस पर भी देश में से बेकारी दूर नहीं हो पा रही। क्या यह सब हमारे प्रयत्नों को चुनौती नहीं है देश में गरीबी बढ़ रही है और लोगों में धीरे धीरे निराशा की भावना घर कर रही है। परन्तु आज हमारी सरकार चीन से हुए विवाद की आड़ में अपनी तमाम असफलताओं को छिपाना चाहती है। चीन के साथ इस झगड़े में चीन की पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों में अवश्य कुछ सुधार हो गया है। काश्मीर, गोआ और अन्य कई एक महत्वपूर्ण समस्यायें पहले की तरह ही उलझी पड़ी हैं। और उस में कोई सुधार नहीं हुआ है। लेकिन सरकार के सौभाग्य से इस समय सारे राष्ट्र का ध्यान चीन के साथ होने वाले सीमा विवाद की तरफ़ लगा हुआ है और इन सब बातों की ओर उनका विशेष ध्यान नहीं है।

गोआ की आजादी के लिए लड़ने वाले वीर पुरुष अभी भी वहां के जेलों में सड़ रहे हैं। श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे को, जिन्होंने स्वयं पर तथा दूसरों पर लगाये गये आरोपों की जिम्मेदारी खुद ली थी, २६ वर्ष के कारावास की सजा दी गयी थी। उनकी तरह के कई गोआ और भारत के नागरिक हैं जो अभी जेलों में हैं। उनके लिए कुछ नहीं हो रहा और न ही गोआ का प्रश्न हल करने की दिशा में कुछ हो रहा है। पांडीचेरी के साधारण से मामलों को भी सरकार हल करने में असमर्थ रही है। देश की आन्तरिक स्थिति यह है कि चीजों के दाम बड़ी भयंकरता से ऊंचे बढ़ रहे हैं और साधारण व्यक्ति के लिए काम चलाना कठिन हो रहा है।

माननीय सदस्य, श्री अशोक मेहता ने रक्षित बैंक के गवर्नर महोदय के भाषण का उल्लेख किया है, जिन्होंने देश में बढ़ रही कीमतों के सम्बन्ध में चेतावनी दी है। परन्तु न तो सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

ने ही अपने इतने बड़े अधिकारी की चेतावनी की ओर कुछ ध्यान दिया है और न ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कुछ उल्लेख है। कीमतें बराबर बढ़ रही हैं और रोकने के सम्बन्ध में हमारी कोई निश्चित नीति ही नहीं है। हमारी अर्थ व्यवस्था को संचालित करने के प्रभारी अधिकारी, रक्षित बैंक के गवर्नर जैसे प्रमुख व्यक्ति की चेतावनी भी हमारी सरकार के लिए कोई मूल्य नहीं रखती। शायद स्वयं श्री आयंगार ने इस मामले में अपने आप को बेबस पाया है और इसीलिये उन्होंने देश की जनता से ही इस मामले में सचेत होने की अपील की है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति में सरकार किस प्रकार तीसरी योजना और प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों के लिए उत्साह पैदा कर सकेगी।

जहां तक उत्तरी सीमान्त के झगड़े का संबंध है, प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि इस मामले में चीन के साथ बात चीत की कोई गुंजाइश नहीं। और इसी आधार पर उन्होंने चीन के प्रधान मंत्री के साथ बात चीत करने रंगून जाने से इन्कार कर दिया था। अब हालत में कोई विशेष तबदीली तो नहीं है लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने चीन के प्रधान मंत्री को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है। मैं यह नहीं कहता कि बातचीत करके इस विवाद को हल नहीं किया जाना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर चाहता हूं कि इस विवाद का कोई शांतिपूर्ण हल निकल आना चाहिए। इस पर हमारी सरकार को देश को और सारे संसार को यह बताना होगा कि किस प्रकार वह इस मामले को हल करना चाहते हैं। हम चीनियों की स्थिति और उनके दावों को भलीभांति जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि उत्तरी सीमा के बारे में हमारी अपनी राय क्या है। यह तो ठीक है कि हमारी सरकार चीन के एक पक्षीय निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी। इस पर भी उसे यह तो बताना चाहिए कि आखिर इस मामले में हमारा पक्ष क्या है। यदि ऐसा न किया गया तो देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियां स्थिति का अनुचित लाभ उठाती रहेंगी। पत्र व्यवहार करते रहने से ही यह समस्या हल नहीं हो सकेगी।

आर्थिक दृष्टि से देश की खाद्य स्थिति बहुत खराब है। बंगाल में तो नई फसल के तुरन्त बाद ही हालात खराब हो गये। बंगाल और उड़ीसा को चावल की दृष्टि से एक सामान्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। परन्तु इसका परिणाम यह हुआ है कि चावल के दाम बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्यों में बहुत बढ़ गये हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस में किसका दोष है। उड़ीसा सरकार का दावा है कि उसने ४०,००० टन चावल गत मास भेजा है, परन्तु बंगाल सरकार कहती है कि उन्हें १४,००० टन ही प्राप्त हुए हैं। सरकार को खाद्य समस्या को ठीक प्रकार से हल करना चाहिए ताकि गत वर्ष की तरह किसी भयानक स्थिति का सामना न करना पड़ जाए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा १४९ संशोधन प्रस्तुत करने के लिए चुने गये हैं। यदि वे अन्यथा नियमानुकूल होंगे, तो मैं उन्हें प्रस्तुत किया गया मान लूंगा। चुने हुए संशोधनों की एक सूची सूचना बोर्ड पर लगा दी जायेगी और आज रात को सदस्यों को परिचालित भी कर दी जायेगी।

चूंकि वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा हो चुकी है और रेलवे आय-व्ययक पर अलग से चर्चा होने वाली है, अतः मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे वेतन आयोग तथा रेलवे के सम्बन्ध में दिये गये संशोधनों का उल्लेख न करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :—

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१	श्री सम्पत	. सूत के मूल्य की वृद्धि को रोकने तथा हथकरघा बुनकरों को बेरोजगारी से बचाने के लिये किये जाने वाले आवश्यक उपायों का उल्लेख न किया जाना ।
२	श्री सम्पत .	. विभिन्न हथकरघा सहकारी समितियों को हथकरघा छट का धन देने में अति विलम्ब का उल्लेख न किया जाना ।
३	श्री सम्पत .	. तीसरी पंचवर्षीय योजना में तूतीकोरिन को गहरे समुद्र का बन्दरगाह बनाने का आश्वासन न दिया जाना ।
४	श्री सम्पत	. वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रति जो अन्याय अपनी सिफारिशों में किया है, उसका उल्लेख न किया जाना ।
५	श्री सम्पत .	. बर्मा, मलाया और सिंगापुर में बसे दक्षिण भारतीयों की दयनीय स्थिति तथा वहां उनके अधिकारों की रक्षा के लिये उठाये जाने वाले उपायों का उल्लेख न किया जाना ।
६	श्री सम्पत .	. अनुसूचित जातियों के जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, और जिनको उसके पूर्व मिलने वाली सुविधाओं तथा रियायतों से बंचित कर दिया गया है, उनकी दयनीय स्थिति का उल्लेख न किया जाना ।
७	श्री सम्पत .	. पन्द्रहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन के निश्चयों को कार्यान्वित करने में सरकार की असफलता ।
१०	श्री खुशवक्तराय.	. यह उल्लेख न होना कि बिहार विधान-सभा द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर गन्ने का मूल्य २ रु० प्रतिमन निर्धारित कर दिया जायेगा ।
१५	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. उड़ीसा और बिहार राज्यों की सीमाओं के पुनर्समायोजन के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना ।
१६	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. बिहार में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा न कर सकना ।

१	२	३
१७	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. खाद्य-खण्ड के बनने के बाद उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में धान व चावल के मूल्यों की अत्याधिक वृद्धि को रोकने में विफलता ।
१८	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. कपड़े के मूल्यों में हुई वृद्धि का उल्लेख न किया जाना ।
१९	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	.. आवश्यक वस्तुओं के मंहगे होने के कारण देश में मजदूरों की वास्तविक आय के कम होने का कोई उल्लेख न किया जाना ।
२०	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. देश में सेवा सहकारी संस्थाओं तथा संयुक्त सहकारी कृषि समितियों को बनाने के काम को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव का कोई उल्लेख न किया जाना ।
२१	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. देश के भूमिहीन किसानों को शीघ्रता से भूमि बांटने के काम को आगे बढ़ाने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख न किया जाना ।
२२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अपनी एक शाखा स्थायी रूप से उड़ीसा में स्थापित न करना ।
२३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का उल्लेख न किया जाना ।
२४	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. देश की संकट पूर्ण खाद्य स्थिति को हल करने में विफलता ।
२६	श्री तंगामणि .	. प्रभावित कर्मचारियों की मांगों के आधार पर वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख न किया जाना ।
२७	श्री तंगामणि .	. मद्रास राज्य को तामिलनाड नाम देने का कोई उल्लेख न किया जाना ।
२८	श्री तंगामणि .	. सड़क परिवहन कर्मचारियों के काम के घण्टे और उनके काम की स्थिति निर्धारित करने की आवश्यकता का उल्लेख न किया जाना ।
२९	श्री तंगामणि	. १९५८ के त्रिदलीय सम्मेलन में सहमत होने के बाद भी सरकारी क्षेत्र में अनुशासन संहिता को स्वीकार न करने के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना ।

१	२	३
३०	श्री तंगामणि	. भारतीय श्रम सम्मेलन के त्रिदलीय निर्णयों को स्वीकार करने के संबंध में सरकार के वायदे के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना ।
३१	श्री त० ब० विट्ठलराव	. दूसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित श्रम नीति व श्रम कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का उल्लेख न किया जाना ।
३२	श्री त० ब० विट्ठलराव	. मध्य प्रदेश की दमुआ कोयला खान में हुई दुर्घटना तथा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों का उल्लेख न किया जाना ।
३३	श्री त० ब० विट्ठलराव	. बागान, रसायन तथा जूट उद्योगों के लिए मजूरी बोर्डों के संगठन में विलम्ब का उल्लेख न किया जाना ।
३४	श्री त० ब० विट्ठल राव	. कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान ६ $^{1}/_{4}$ प्रतिशत से बढ़ा कर ८ $^{1}/_{3}$ प्रतिशत करने के बारे में विधान न बनाया जाना ।
३५	श्री सम्पत	. मद्रास राज्य को 'तमिड़ नाडू' नाम देने का कोई उल्लेख न किया जाना ।
३६	श्री सम्पत	. लंका में रहने वाले तामिल लोगों की दयनीय दशा का कोई उल्लेख न किया जाना और उनके हितों की रक्षा का कोई आश्वासन न दिया जाना ।
३७	श्री सम्पत	. गैर-हिन्दी भाषियों पर बिना उनकी मर्जी के हिन्दी न थोपने के बारे में कोई आश्वासन न दिया जाना ।
३८	श्री सम्पत	. पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिये धन के आवण्टन के मामले में दक्षिण के राज्यों के साथ उचित व न्यायपूर्ण व्यवहार करने का आश्वासन न दिया जाना ।
३९	श्री सम्पत	. तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व दक्षिण में अणुशक्ति संयंत्र स्थापित करने का उल्लेख न किया जाना ।
४०	श्री सम्पत	. दक्षिण भारत में इस्पात कारखाना स्थापित करने का उल्लेख न किया जाना ।
४१	श्री सम्पत	. दक्षिण में अधिक उर्वरक कारखाने आरम्भ करने की आवश्यकता का उल्लेख न किया जाना ।

१	२	३
४२	श्री सम्पत	तामिलनाद व आंध्र को अलग-अलग खाद्य खण्ड बनाने का आश्वासन न दिया जाना ।
४७	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	चीनी, कपड़ा, मिट्टी का तेल व सिमेंट तथा खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि ; किसानों को खाद्यान्नों तथा कच्चे माल का उचित मूल्य न मिलना तथा कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों में विद्यमान असमानता तथा उपरोक्त वस्तुओं का मूल्य स्थिर करने के सम्बन्ध में उल्लेख न किया जाना ।
४८	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	जाति प्रथा के उन्मूलन का उल्लेख न किया जाना ।
४९	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	सरकारी नौकरियों में ६० प्रतिशत नौकरियां पिछड़ी जातियों के लिये रक्षित करने के बारे में आश्वासन न दिया जाना ।
५०	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	देश को खाद्य के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनाने के लिये निम्नलिखित उपायों का उल्लेख न किया जाना :— (क) अलाभदायक जोतों पर से लगान समाप्त करना ; (ख) भूमि का समान वितरण । (ग) जो लोग स्वयं खेती नहीं करते उनकी भूमि को, किसानों में बांटने के लिये, अर्जित करना ; (घ) छोटी सिंचाई योजनाओं को चालू करना; और (ङ) कृषियोग्य भूमि का कृष्यकरण करना ।
५१	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	चीन ने भारत का जो क्षेत्र अपने अधीन कर लिया है, उसे कब वापस लिया जायेगा और भारत व उसकी सीमा की रक्षा के सम्बन्ध में कार्यक्रम क्या है, इनका उल्लेख न किया जाना ।
५२	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	पंचायतों को विधान निर्माण का तथा सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देना तथा जिला व राज्य स्तर पर वित्तीय वितरण की व्यवस्था करना ।
५३	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	पिछड़ी जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन की सिफारिशों के प्रति बर्ती गई उपेक्षा ।

१	२	३
५४	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता व बेरोजगारी की समस्या ।
५५	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	भारत का राष्ट्र मंडल को छोड़ने के बारे कुछ उल्लेख न होना ।
५६	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	पंच वर्षीय योजनाओं की असफलता ।
६४	श्री तंगामणि	पांडेचरी तथा अन्य फ्रांसीसी बस्तियों के वैध हस्तान्तरण का उल्लेख न किया जाना ।
६५	श्री तंगामणि	फ्रांसीसी बस्तियों (पांडेचरी सहित) पर भारत संघ के न्यायिक क्षेत्राधिकार के विस्तार का उल्लेख न किया जाना ।
६६	श्री तंगामणि	पांडिचेरी तथा अन्य फ्रांसीसी बस्तियों पर उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार न किया जाना ।
६७	श्री तंगामणि	वेतन आयोग के प्रतिवेदन के फलस्वरूप कर्मचारियों की विद्यमान सुविधाओं में कमी ।
६८	श्री तंगामणि	खाद्य व कपड़ा जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि ।
६९	श्री तंगामणि	दक्षिण में इस्पात कारखाना स्थापित करने का उल्लेख न किया जाना ।
९६	श्री प्र० के० देव	देश में खाद्य की खराब स्थिति तथा खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि ।
९७	श्री प्र० के० देव०	बिहार, आंध्र तथा मध्य प्रदेश के उड़िया क्षेत्रों का समायोजन न किया जाना ।
९८	श्री प्र० के० देव	देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी असमानता ।
९९	श्री प्र० के० देव	बातचीत असफल हो जाने पर चीनी सेनाओं को देश में से हटाने के बारे में सरकार द्वारा कठोरतम कार्यवाही करने का आश्वासन न दिया जाना ।
१००	श्री प्र० के० देव	बातचीत के दौरान, बिना संसद् की राय मालूम किये भारत देश का कोई भी भाग चीन को नहीं देगा, इसका उल्लेख न किया जाना ।

१	२	३
१०१	श्री प्र० के० देव	केरल के चुनाव के परिणामस्वरूप देश में साम्प्रदायिक शक्तियों की वृद्धि।
१०२	श्री प्र० के० देव	देश में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई अनुशासन हीनता।
१०३	श्री रा० चं० माझी	विधान परिषदों और लोक-सभा में अनुसूचित जातियों व आदिम जातियों के लिये स्थान-सुरक्षित करने के बारे में उल्लेख न किया जाना।
१०४	श्री रा० चं० माझी	आदिम जातियों को स्कूलों में उनकी मातृ-भाषा में न पढ़ाया जाना।
१०५	श्री रा० चं० माझी	अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को नियमित रूप से छात्रवृत्ति न देना।
१०६	श्री रा० चं० माझी	बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्डों का न खोला जाना।
१०७	श्री रा० चं० माझी	अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में विफलता।
१०८	श्री रा० चं० माझी	सिंचाई परियोजनाओं का समुचित रूप में कार्यान्वयन न होना।
१०९	श्री रा० चं० माझी	कृषकों को प्रविधिक ज्ञान, बीज, उर्वरक तथा आधुनिक कृषि औजार न देना।
११०	श्री रा० चं० माझी	देश में बेरोजगारी की समस्या।
११४	श्री शि० ला० सक्सेना	चीन द्वारा हमारी १०,००० मील भूमि पर कब्जा करने के बाद भी स्थिति के सम्बन्ध में आत्म-तुष्टि।
११५	श्री शि० ला० सक्सेना	चीन के आक्रमण के कारण तीसरी पंच वर्षीय योजना में समुचित परिवर्तन न किया जाना; देश की जनता को चीन के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार न कर पाना।
११६	श्री शि० ला० सक्सेना	आपत्ति के अवसर पर देश की सेवा करने के लिए तैयार रहने हेतु विद्यार्थियों तथा नवयुवकों में अपने कर्त्तव्यों के प्रति उत्साह न पैदा कर पाना।
११७	श्री शि० ला० सक्सेना	काला बाजार वालों तथा शोषण करने वालों के विरुद्ध आवश्यक और निरन्तर कार्यवाही करने की घोषणा न करना।

१	२	३
११८	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में चावल के मूल्यों में असाधारण वृद्धि ।
११९	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना तथा वहां की आर्थिक उन्नति करने व बेरोजगारी की समस्या हल करने का उल्लेख न किया जाना ।
१२०	श्री ले० अचौ सिंह	संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का लोकतंत्रीकरण ।
१२१	श्री ले० अचौ सिंह	आसाम में मनीपुर भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ।
१३४	श्री ब्रज राज सिंह	चीनी, कपड़ा, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट आदि के मूल्यों में असाधारण वृद्धि; किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ न मिलना और कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में विद्यमान असमानता ।
१३५	श्री ब्रज राज सिंह	जाति प्रथा का उन्मूलन ।
१३६	श्री ब्रज राज सिंह	देश को खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों का उल्लेख न किया जाना ; (क) अलाभदायक जोतों पर से लगान समाप्त करना (ख) भूमि का समान वितरण (ग) जो लोग स्वयं खेती नहीं करते उनकी भूमि को किसानों में बांटने के लिए अर्जित करना (घ) छोटी सिंचाई योजनाओं को चालू करना (ङ) कृषि योग्य भूमि का कृष्यकरण ।
१३७	श्री ब्रज राज सिंह	चीन के आक्रमण को पीछे हटाने के उपायों का उल्लेख न किया जाना ।
१३८	श्री ब्रज राज सिंह	पंचायतों को विधान-निर्माण तथा सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देना तथा जिले व राज्य स्तर पर वित्तीय वितरण की व्यवस्था करना ।

१	२	३
१३९	श्री ब्रज राज सिंह	. देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता व बेरोजगारी की समस्या।
१४०	श्री ब्रज राज सिंह	. लोगों की न्यूनतम व अधिकतम आय निर्धारित न करना ।
१४१	श्री ब्रज राज सिंह	. भारत का राष्ट्र मंडल से अलग न होने का उल्लेख न किया जाना ।
१४२	श्री ब्रज राज सिंह	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों में विश्वास पैदा न किया जाना ।
१४३	श्री ब्रज राज सिंह	. दो फसलों के बीच के समय में खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि रोकने में विफलता ।
१४४	श्री ब्रज राज सिंह	. विश्वविद्यालयों में तुरन्त ही शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषायें न करना ।
१४५	श्री शि० ला० सक्सेना	. देश को यह न बताना कि चीन ने तिब्बत की सीमा पर सेना की ४० टुकड़ियां लगा दी है; और हिमालय की ओर मोटर चलाने लायक सड़कें और रेल मार्ग बना लिये है।
१४६	श्री शि० ला० सक्सेना	जनता को यह न बताना कि सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का कठोरता से दमन किया जायेगा ।
१४७	श्री शि० ला० सक्सेना	. यह बचन न देना कि भविष्य में संघ शिक्षा मंत्री एक पूर्ण मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री ही नियुक्त होगा जिसमें देश के नवयुवकों में नया उत्साह और अनुशासन की भावनायें पैदा करने के सभी गुण होंगे।
१४८	श्री अं० वें० घारे	. सेवाओं में बढ़ती हुई अकुशलता तथा भ्रष्टाचार ।
१४९	श्री अं० वे० घारे	. यह आश्वासन न देना कि चुनाव के दिनों में मंत्रियों के दोरे कम किये जायेंगे।
१५०	श्री अं० वें० घारे	. देश में पिछड़े वर्गों के लिए संविहित विकास बोर्डों की स्थापना का उल्लेख न किया जाना।
१५१	श्री अं० वें० घारे	. यह उल्लेख न किया जाना कि विकास बोर्डों में शासक दल विरोधी दलों का पर्याप्त सहयोग प्राप्त करेगा ।

१	२	३
१५५	श्री अशोक मेहता	. चीन जब तक हमारे प्रदेश से अपनी सेनायें हटा न ले और मैकमैहोन लाइन को स्वीकार न कर ले तब तक हमारे प्रधान मंत्री चीन के प्रधान मंत्री से मिलने को तैयार न हों।
१५६	श्री ब्रज राज सिंह	. अंग्रेजी को भारत की राज्य भाषा के पद से हटाने तथा भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने में विफलता।
१५७	श्री रा० चं० माझी	. सभी राज्यों में आदिम जातियों को मान्यता दिये जाने का उल्लेख न होना।
१५८	श्री ले० अचौ सिंह	. मनीपुर में तेल की खोज के काम को आगे बढ़ाने में विफलता।
१५९	श्री ले० अचौ सिंह	. मनीपुर में बढ़ती हुई बेरोजगारी
१६०	श्री ले० अचौ सिंह	. भारत के पूर्वी सीमान्त के विद्रोही नागाओं को दबाने में असफलता।
१ १	श्री ले० अचौ सिंह	. नागा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र में लोकतंत्रात्मक विधान सभा की मांग के बारे में उल्लेख न होना।
१६२	श्री ले० अचौ सिंह	. मोटर परिवहन कर्मचारियों के कार्य की स्थिति के संबंध में संसद में एक विधान प्रस्तुत करने में विफलता।
१६३	श्री ले० अचौ सिंह	. मनीपुरी को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रविष्ट करने का उल्लेख न किया जाना।
१६४	श्री ले० अचौ सिंह	. मनीपुर में एक टेकनिकल कालेज व एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का उल्लेख न किया जाना।
१६	श्री ले० अचौ सिंह	. मनीपुर के विभागाध्यक्षों के पदों पर केवल बाहरी व्यक्तियों को रखने से मनीपुर की जनता में असंतोष।
१६६	श्री ले० अचौ सिंह	. भूमि सुधार कानूनों को कार्यान्वित करने में विलम्ब।
१६७	श्री ले० अचौ० सिंह	. आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में विफलता।

१	२	३
१६८	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने का उल्लेख न किया जाना।
१६९	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर की पहाड़ियों में बढ़ती हुई अराजकता व अशान्ति
१७०	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में लोकतंत्रात्मक व उत्तरदायी सरकार बनाने का उल्लेख न किया जाना।
१७१	श्री ले० अचौ सिंह	हिमाचल सीमान्त की सुरक्षा व प्रतिरक्षा के बारे में कोई पक्की व ठोस नीति का न होना।
१८१	श्री शि० ला० सक्सेना	पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम वेतन १२५ रु० निर्धारित करने का आश्वासन न देना।
१८२	श्री शि० ला० सक्सेना	गन्ने का मूल्य बढ़ाकर २ रु० मन कर दिया जाये।
१८३	श्री शि० ला० सक्सेना	वर्तमान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ के स्थान पर नया अधिनियम बनाने का उल्लेख न किया जाना।
१८४	श्री शि० ला० सक्सेना	भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन न देना।
१८७	श्री वाजपेयी	पहले चीन उन भागों पर से कब्जा हटा ले जिस पर उसने कब्जा कर रखा है, उसके बाद बातचीत हो, इस बात का उल्लेख न करना।
१८८	श्री वाजपेयी	चीनी सेनाओं को भारत की सीमा से बाहर भगाने के लिए किसी योजना का उल्लेख न किया जाना।
१८९	श्री वाजपेयी	इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने से इन्कार करना।
१९०	श्री वाजपेयी	गोआ तथा अन्य पुर्तगाली बस्तियों का उल्लेख न किया जाना।
१९१	श्री वाजपेयी	हाल के महीनों में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेज वृद्धि।
१९२	श्री वाजपेयी	वेतन आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों से सरकारी कर्मचारियों में उत्पन्न गंभीर असंतोष।

१	२	३
१९३	श्री वाजपेयी	प्रस्तावित बम्बई राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध में मैसूर–बम्बई सीमा विवादों के बारे में वहां के लोगों के असंतोष का उल्लेख न होना ।
१९४	श्री वाजपेयी	देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी ।
२०१	श्री गोरे	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बेकार पड़ी कृषि योग्य भूमि का कृष्यकरण तथा सिंचाई सुविधाओं का उपयोग ।
२०७	श्री खुशवक्त राय	देश में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र उच्च अधिकार–प्राप्त न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में उल्लेख न होना ।
२०९	श्री तंगामणि	उद्योगों में कर्मचारियों के सहयोग की योजना को कार्यान्वित करने का उल्लेख न किया जाना ।
२१०	श्री तंगामणि	मद्रास में हथकरघा बुनकरों की दयनीय स्थिति ।
२११	श्री तंगामणि	लंका में भारतीय राष्ट्रजनों की दयनीय स्थिति ।
२१२	श्री तंगामणि	विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों में अशान्ति तथा उसके कारणों को दूर करना ।
२१३	श्री तंगामणि	योजना आयोग के भूमि सुधार परामर्शदाताओं की सिफारिशों पर हुई प्रगति का उल्लेख न किया जाना ।
२१५	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में खाद्यान्नों के मल्य में वृद्धि ।
२१६	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	उड़ीसा में परादीप पत्तन के एक बड़े पत्तन के रूप में विकसित करने का उल्लेख न किया जाना ।
२१७	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	भूमि सुधार के संबंध में , विशेषत: भूमि की अधिकतम सीमा के संबंध में, हुई प्रगति का उल्लेख न किया जाना ।
२१८	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	चीन ने जिस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है उसे चीन से वापस लेने के लिये ठोस कार्यवाही करने के बारे में भारतीय जनता की भावना का उल्लेख न किया जाना ।

१	२	३
२१९	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	. उत्तरी सीमा क्षेत्रों के विकास तथा भारत–विरोधी व चीन के पक्ष में प्रचार रोकने के संबंध में किसी कार्यवाही का उल्लेख न किया जाना।
२२०	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	देश में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उसे समाप्त करने के उपायों का उल्लेख न किया जाना।
२२१	श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	. उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग की स्थापना।
२२४	श्री प्र० गं० देव	. गोआ को मुक्त कराने संबंधी योजना का उल्लेख न किया जाना।
२२५	श्री प्र० गं० देव	. भूमिहीनों को भूमि आवण्टित करने के कार्यक्रम पर जोर न दिया जाना।
२२९	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायाधिकरण का न बनाया जाना।
२३०	श्री मोहम्मद इमाम	. पंचायत राज का ग्रामीण जनता के सामाजिक व आर्थिक जीवन पर सरकारी सत्ता के विस्तार के लिये उपयोग न करने के बारे में आश्वासन न देना।
२३२	श्री मोहम्मद इमाम	. भ्रष्टाचार व पक्षपात को समाप्त करने के उपायों का उल्लेख न किया जाना
२३३	श्री दशरथ देव	. त्रिपुरा संघ राज्य की जनता की कठिनाइयों की ओर ध्यान न दिया जाना।
२३४	श्री दशरथ देव	. त्रिपुरा में पढ़े लिखे वर्ग तथा बिना पढ़े मेहनत मजूरी करने वाले लोगों में बेरोजगारी।
२३५	श्री दशरथ देव	. त्रिपुरा में बसे विस्थापित व्यक्तियों तथा नये बसे आदिम जातियों के लोगों की कठिनाइयां।
२३६	श्री दशरथ देव	. पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की समस्या को हल करने का उल्लेख न किया जाना।
२३७	श्री दशरथ देव	. त्रिपुरा में आदिम जाति क्षेत्रों में खाद्यान्नों का अति अभाव।

१	२	३
२३८	श्री दशरथ देव	. त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में मध्यम श्रेणी के एक उद्योग की स्थापना की मांग ।
२३९	श्री देशरथ देव	. त्रिपुरा के भूमिहीन किसानों को 'खास' भूमि बांटने का उल्लेख न किया जाना
२४०	श्री दशरथ देव	. त्रिपुरा में मुख्यायुक्त के शासन के स्थान पर एक उत्तरदायी सरकार बनाने की मांग ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन सभा के सामने है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा)**: आज हमारी सरकार तड़क भड़क और दिखावे पर जो लाखों रुपया नष्ट कर रही है उसके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कहा गया । दूसरे बेकारी की समस्या को हल करने के लिए भी इस में कुछ उल्लेख नहीं है । तीसरी बात चीन के साथ हमारे विवाद की है । इन सब झगड़ों का इलाज सिर्फ एक है और वह एक विश्व संघ की स्थापना । मेरा मत है कि चीन के इस झगड़े को हमारी सरकार ने व्यर्थ में इसे इतना बढ़ा कर दिखाया है । लेकिन इससे उन्हें तीन लाभ हुए हैं । एक यह कि लोग कहने लगे हैं कि हमें अपनी सरकार को मजबूत करना चाहिए । दूसरे साम्यवादियों की हार हो गयी । तीसरे उन्होंने अमरीका की सहानुभूति प्राप्त कर ली और राष्ट्रपति आइजनहावर ने भारत में पाकिस्तान से अधिक दिन व्यतीत किये ।

आज देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें सरकार का कोई दोष नहीं । दोष लोगों का है, सरकार का दोष इतना ही है कि वह लोगों को नैतिकता की शिक्षा नहीं दे रही । हमारे गृह कार्य मंत्रालय में एक ऐसा विभाग भी होना चाहिए जो लोगों को नैतिकता की शिक्षा दे । हम गन्ना इत्यादि की कीमतों को बढ़ाने की बात करते हैं, मेरा तो कहना है कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी प्रकार के कारखानों में मजदूर भागीदार हो जायें ।

विश्वविद्यालयों में ठीक ढंग से कार्य नहीं हो रहा, इसकी बहुत से मित्रों ने शिकायत की है । यदि ऐसा है तो विश्वविद्यालयों का इस ढंग से पुनर्गठन किया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध व्यवस्था में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जाय । गोआ के प्रश्न को हल करने का सरल तरीका यह है कि भारतीयों और पुर्तगालियों में अन्तर्विवाह को प्रोत्साहन दिया जाय । इससे भारत और पुर्तगाल दोनों को लाभ होगा । जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है मुझे खुशी है कि मार्शल अय्यूब खां मेरी बात से सहमत हो गये हैं । उनका कहना है कि हमें संयुक्त प्रतिरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । इससे पाकिस्तान से सम्बन्धित बहुत ही समस्याओं का हल हो जायेगा ।

मेरा यह भी निवेदन है कि आज हमारी सरकार लोगों के मामले में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रही है । वास्तव में आम लोगों को तो स्वराज्य मिला नहीं केवल बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं और अधिकारियों को ही स्वराज्य मिला है । मेरा सुझाव है कि हरेएक गांव और कस्बे को स्वायत्त-शासी इकाई बना दिया जाना चाहिए । हमें बहुत बातें न बना कर लोगों के लिए पूर्ण स्वराज्य की व्यवस्था करनी चाहिए । हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि इस देश में सब लोग सुख, शान्ति और प्रसन्नता से रह सकें ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लीलाधर कटकी** (नौगांव) : चीन ने हमारी सीमा पर आक्रमण किया है और यह हमारा परम कर्तव्य है कि जितना शीघ्र हो सके हम चीनी सेनाओं को वहां से हटायें । हमारी कठिनाई यह है कि हम केवल अपने पड़ौसी देश के लिए ही नहीं प्रत्युत सारे संसार के लिए ही शांतिप्रिय नीति अपनाने के दावेदार हैं । अतः हमारी सीमाओं से आक्रमणकारियों को हटाये जाने के सम्बन्ध में शंकायें प्रकट की जा रही हैं । लौंगजू उनके कब्जे में है, लद्दाख में वे सड़कें बना रहे हैं । वहां हवाई अड्डों का भी निर्माण किया गया है । हम उन को कब वहां से हटा सकेंगे इस सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट होना चाहिए । इस दिशा में राजनयिक बातचीत को जारी रखने के लिए कितना समय लिया जायेगा, इसका हमें पता होना चाहिए । प्रधान मंत्री ने बार बार कहा है कि चीन के साथ इस समय बातचीत करने का कोई आधार नहीं है । चीन जब तक कुछ मूल शर्तें नहीं मानेगा हम उससे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे । मेरा यह सुझाव है कि हमें पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन और संचार के साधनों का विकास करने में शीघ्रता से काम लेना चाहिए । नेफा, नागा पहाड़ियों, मनीपुर और त्रिपुरा इत्यादि स्थानों में हमें प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के प्रति जागरूक होना चाहिए ।

मेरा यह भी निवेदन है कि तेजपुर, गौहाटी, जोरहाट और डिब्रूगढ़ में हमें शीघ्र हवाई अड्डे बनाने चाहिए ताकि समय आने पर वहां अपेक्षित रसद आदि पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके और सीमा के साथ साथ रहने वाले लोगों और सशस्त्र सेनाओं, दोनों के लिए रसद भेजी जा सके । यदि हो सके तो हमें सैनिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए और राष्ट्रीय सेना छात्र दल को प्रोत्साहन देना चाहिए । २० वर्ष से लेकर ३० वर्ष तक के सभी लोगों के लिए, जो विद्यार्थी न हों, प्रादेशिक सेना का कोर्स लेना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए । ऐसा करने से हमें सीमाओं की प्रतिरक्षा में काफी सहायता प्राप्त हो जायेगी ।

इसके अतिरिक्त जो सब से बड़ा प्रश्न लोगों के दिलों में है, वह खाद्य समस्या है । खाद्य समस्या का हल करने में हम असफल रहे हैं । तीसरी योजना के अन्त तक हमें ११,०० लाख टन खाद्यान्नों की प्रति वर्ष आवश्यकता होगी । अतः इस समस्या को युद्धकालीन स्तर पर हल किया जाना चाहिए । वैज्ञानिक ढंगों को अपना कर हमें प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करनी चाहिए । इसी प्रकार सूखा पड़ने और बाढ़ों की रोकथाम की भी व्यवस्था करनी चाहिए । यदि हमारे कृषकों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का कोई वैज्ञानिक हल निकल आया तो निश्चित रूप में हमारे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी । यद्यपि हम उर्वरकों का और सुधरे हुए ढंगों का प्रयोग कर रहे हैं इस पर भी प्राकृतिक कठिनाइयों के आ जाने से काफी बाधा आ उपस्थित होती है । इसके साथ ही हमें सिंचाई के लिए जल सम्भरण की भी व्यवस्था करनी होगी ।

शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण तथा सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए जो प्रगति हुई है वह सन्तोषजनक नहीं है । अभी तक केवल आंध्र और राजस्थान में ही पंचायत राज्य कायम करने की दिशा में काम आरम्भ किया गया है । अन्य राज्यों में इस दिशा में अंभी कम ही प्रगति हुई है । इसके बिना लोगों में जागृति नहीं आ सकेगी । कृषि उत्पादन तथा अन्य सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए जन सहयोग बड़ा अनिवार्य है । अतः मेरा निवेदन है कि हमें इन सब चीजों के लिए देशभर में एक वातावरण का निर्माण करना चाहिए । एक वर्ष भी यदि हम पूर्ण रूप से परस्पर सहयोग से कार्य करें तो उपरोक्त समस्याओं को हल करने के लिए अपेक्षित वातावरण का निर्माण हो सकता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार १६ फरवरी, १९६०/२७ माघ, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १५ फरवरी, १९६०

२६ माघ, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४०९–४३३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२०	पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे पर रेल-मार्ग को क्षति .	४०९—४११
१२१	सस्ते रेडियो सेटों का लाइसेंस शुल्क .	४११–४१२
१२२	खराब स्लीपरों के लिये स्वीकृति	४१३—४२०
१२३	गंडक परियोजना .	४२०—४२२
१२४	दिल्ली में सामुदायक विकास कार्यक्रम	४२२–४२३
१२६	गढ़ी मानिकपुर के निकट रेलगाड़ी में डाका	४२४–४२५
१२७	खाद्य उत्पादन की अग्रिम परियोजनायें .	४२५–४२६
१२८	हीराकुद परियोजना का उड़ीसा सरकार को हस्तान्तरण	४२६–४२७
१२९	निम्न दामोदर घाटी में बाढ़	४२८
१३०	पोचमपद परियोजना	४२९–४३०
१३३	राज्यों के लिये विद्युत् .	४३०–४३१
१३४	डीज़ल रेलवे-इंजन	४३१—४३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४३३–४६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२५	मध्य प्रदेश को हीराकुड से बिजली का संभरण .	४३३
१३१	पेराम्बूर का सवारी-डिब्बे बनाने का कारखाना	४३३
१३२	कृषि उत्पादन के लिये आणविक आइसोटोप	४३३–३४
१३५	एस० एस० सीस्टेन में भारतीय नाविकों की मृत्यु .	४३४
१३६	भारत में विद्युत् अनुसन्धान संस्थायें .	४३४
१३७	ज्वालापुर के निकट गाड़ी में छुरा मारने की दुर्घटना	४३४–४३५
१३८	रासायनिक उर्वरक	४३५

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

१३९	दिल्ली के गांवों में मकान बनाना .	४३६
१४०	तुगंभद्रा उच्च स्तर नहर योजना .	४३६
१४१	चम्बल परियोजना	४३६–४३८
१४२	रेलवे के लिए खराब स्लीपर . . .	४३८
१४३	दिल्ली की मास्टर प्लान का पता लग जाना	४३८–३९
१४४	रेल गाड़ियों में आकाशवाणी के समाचारों का प्रसारण .	४३९
१४५	दिल्ली के लिए जल संभरण . .	४३९
१४६	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का पुनर्गठन .	४४०

अतारांकित प्रश्न संख्या

१०९	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी .	४४०
११०	चीन की छोटी सिंचाई योजनाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन .	४४०–४४१
१११	आसाम सरकार को ऋण . .	४४१
११२	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में नींबू आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान .	४४१–४४२
११३	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में क्षेत्र विद्या विभाग .	४४२
११४	केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था, शिमला . .	४४३
११५	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था का कीट-शास्त्र डिवीज़न	४४३–४४४
११६	पंजाब में चावल की ख़रीद	४४४
११७	जापान से जहाज़ों की ख़रीद .	४४४–४४५
११८	बाढ़ नियंत्रण	४४५
११९	राजस्थान के गांवों में बिजली लगाना .	४४६
१२०	अखिल भारतीय सड़क विकास योजना .	४४६
१२१	प्रादेशिक तथा राज्य जल मल प्रवाह बोर्ड . .	४४६
१२२	खाद्य उत्पादन के बारे में फोर्ड फ़ाउन्डेशन की सिफारिशें	४४६
१२३	स्टेशनों पर सेफ़ डिपाज़िट लॉकर	४४७
१२४	रेलवे दुर्घटना बचाने के लिए पुरस्कार	४४७
१२५	राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी	४४८
१२६	आदर्श नगर आयोजन विधान	४४८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--ककश:		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२७	राज्य भाण्डागार व्यवस्था निगम .	४४८
१२८	मद्रास तथा मैसूर के बीच अन्तर्राज्यिक नदी-विवाद	४४९
१२९	सिंचाई की क्षमता	४४९
१३०	खाद्य उत्पादन . . .	४५०
१३१	टेल्को के इंजनों का मूल्य नियत करने के लिये पंच	४५०–४५१
१३२	कुष्ठ रोग	४५१
१३३	केसिंगा स्टेशन पर ऊपरी पुल	४५१
१३४	भंवानीपतना में मुख्य डाक-घर की इमारत .	४५२
१३५	सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन परामर्शदाता समिति	४५२
१३६	दामोदर घाटी निगम की नहरें	४५२–४५३
१३७	गाड़ियों में डकैतियां .	४५३
१३८	सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति	४५३–४५४
१३९	संवाददाताओं के लिये प्रेस रूम .	४५४
१४०	हिमाचल प्रदेश में फल	४५४–४५५
१४१	बैरकपुर में गाड़ी में डकैती . . .	४५५
१४२	इम्फाल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	४५५–४५६
१४३	हिमाचल प्रदेश में फल उद्योग	४५६
१४४	त्रिपुरा में भांडागार .	४५६
१४५	आन्ध्र प्रदेश में जल-विद्युत परियोजनायें	४५६–४५७
१४६	जल-नीलारुणा	४५७
१४७	सहकारी तथा वैज्ञानिक खेती	४५७
१४८	चीनी के कारखाने	४५८
१४९	नंगल बांध स्टेशन	४५८
१५०	रिंग रोड, दिल्ली	४५९
१५१	दिल्ली के ग्रामों में बिजली लगाना .	४५९–४६०
१५२	केलों की ढुलाई के लिये माल-डिब्बे	४६०
१५३	दिल्ली जंक्शन पर पोर्टर .	४६१
१५४	उड़ीसा में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये मकान	४६१–४६२
१५५	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर	४६२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५६ पहाड़ी स्थानों के लिये रियायती टिकट ४६२–४६३

१५७ छोटी सिंचाई योजनाएं . . ४६३

१५८ त्रिपुरा में हरकारों द्वारा डाक ले जाया जाना . ४६३

१५९ विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश) में पुल निर्माण की योजना ४६३

१६० राजस्थान को अल्पावधि-ऋण ४६४

स्थगन प्रस्ताव ४६४–४७०

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :

(१) १ फरवरी, १९६० के बाद केरल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का खराब हो जाना।

(२) मिज़ो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में भुखमरी से पांच व्यक्तियों की कथित मृत्यु ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४७०–४७१

(१) भारत-चीन सम्बन्ध के बारे में चीन की सरकार को भेजे गये नवीनतम पत्रों आदि की प्रतियां।

(२) अन्दमान वन विभाग के कार्य के बारे में वक्तव्य की एक प्रति।

(३) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १७ दिसम्बर, १९५९ को दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२(८१)/५८ की एक प्रति।

(४) कृषि उत्पाद (विकास और भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५९ की धारा १५ की उप-धारा (३) और धारा ४२ की उप-धारा (९) के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ के लिये केन्द्रीय भाण्डागार निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे सहित।

राज्य-सभा से सन्देश ४७१

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य-सभा ने अपनी १२ फरवरी, १९६० की बैठक में पशु निर्दयता-निवारण विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के समय को चालू सत्र के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया है।

विषय	पृष्ठ
१९५९-६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) के बारे में विवरण .	४७१
वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने १९५९-६० के आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया ।	
१९५९–६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) के बारे में विवरण	४७१
रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने १९५९–६० के आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया ।	
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	४७१—४७४
(१) प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने खमरिया के आयुध कारखाने में १ जनवरी, १९६० को हुए विस्फोट से हुई क्षति के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
(२) सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) ने मचकुंड परियोजना के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ पर श्री चिंतामणि पाणिग्रही द्वारा ८ दिसम्बर, १९५९ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।	
(३) सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
विधेयक—पुरस्थापित . . .	४७४
बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक, १९६०	
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	४७४—४८३
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	४८३—५१३
श्री विश्वनाथ रेड्डी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । श्री अन्सार हरवानी ने उसका अनुमोदन किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
मंगलवार, १६ फरवरी, १९६०।२७ माघ, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि .	———
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव तथा उस पर प्रस्तुत संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा ।	